उत्तराखण्ड शासन

सामाजार्थिक समीक्षा

कुमाऊँ मण्डल

वर्ष 2016–17

कार्यालय उप निदेशक,
अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल

दूरभाष संख्या – 05946–222465

E – Mail - dd1_stat@yahoo.co.in
ddecostat@gmail.com

प्रस्तावना

कुमाऊँ मण्डल की वर्ष २०१६-२०१७ की सामाजार्थिक समीक्षा प्रकाशन श्रृँखला का ३५ वाँ संस्करण है। इसके अर्न्तगत मण्डल की भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासनिक संरचना, प्राकृतिक संसाधन, जनशक्ति एवं पशुधन, कृषि, उद्यान, सिंचाई, उद्योग, ग्राम्य विकास, विद्युत, परिवहन, संचार, पर्यटन एवं सामाजिक व आर्थिक सेवाओं का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है। पुस्तिका को अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से विस्तृत आँकड़ों को अध्यायों के अन्तर्गत सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

पत्रिका के प्रकाशन में मण्डल के समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारियों, जनपद के सम्बन्धित सहायकों, मण्डलीय कार्टोग्राफिक सहायक श्री हरीश चन्द्र भट्ट एवं मण्डलीय कार्यालय के अन्य सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में पत्रिका को ससमय प्रकाशित करने एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए जनपदों से त्रुटिरहित आंकड़े उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त होता रहेगा। प्रबुद्ध पाठकों के बहुमूल्य सुझाव का सदैव आदर किया जायेगा।

(राजेन्द्र तिवारी)
उप निदेशक
अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल ।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विभाग/अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	मण्डल का ऐतिहासिक परिचय/भौगोलिक स्थिति	1–4
2	खनिज सम्पदा	5
3	प्रशासनिक ढाँचा	6–7
4	जनसंख्या विवरण	8–9
5	कृषि	10–19
6	उद्यान	20–25
7	वन	26–27
8	पशुपालन	28–31
9	रेशम	32–33
10	सहकारिता	34
11	सिंचाई	35–37
12	दुग्ध विकास	38–46
13	मत्स्य विकास	47–50
14	ग्राम्य विकास	51–57

क्रम संख्या	विभाग/अध्याय	पृष्ठ संख्या
15	विद्युत	58–60
16	अक्षय ऊर्जा	61–63
17	उद्योग	64–78
18	बाल विकास	79–82
19	मार्ग परिवहन एवं संचार	83–84
20	बैंकिग सेवायें	85
21	शिक्षा	86–89
22	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	90–97
23	जल सम्पूर्ति	98–99
24	पर्यटन	100–104
25	सेवायोजन	105–106
26	निर्बल वर्ग विकास हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम	107–113
27	शान्ति एवं कानून व्यवस्था	114
28	मण्डल की प्रमुख समस्याएं/सुझाव	115–117

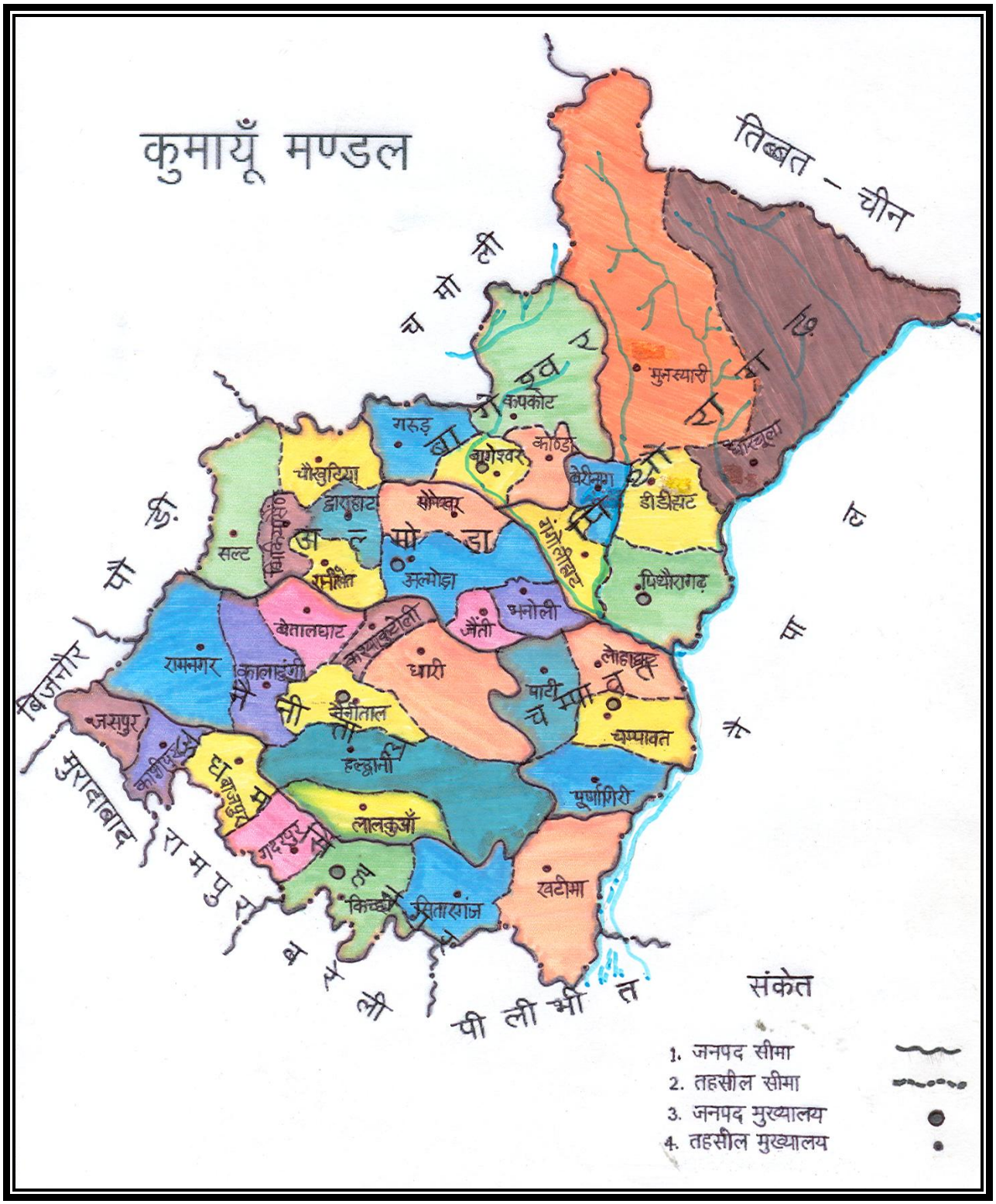

कुमायूँ मण्डल
तिब्बत – चीन
मुनस्यारी
धारचूला
कपकोट
गरुड़
बागेश्वर
काण्डा
बेरीनाग
डीडीहाट
चौखुटिया
द्वाराहाट
सोमेश्वर
सल्ट
रानीखेत
अल्मोड़ा
गंगोलीहाट
पिथौरागढ़
भनोली
जैंती
बेतालघाट
कोश्याकुटोली
रामनगर
कालाढुंगी
धारी
लोहाघाट
पाटी
नैनीताल
चम्पावत
जसपुर
काशीपुर
बाजपुर
हल्द्वानी
पूर्णागिरी
लालकुआँ
गदरपुर
किच्छा
सितारगंज
खटीमा
बिजनौर
मुरादाबाद
पी ली भी त
संकेत
1. जनपद सीमा
2. तहसील सीमा
3. जनपद मुख्यालय
4. तहसील मुख्यालय

अध्याय – 1

मण्डल का ऐतिहासिक परिचय/भौगोलिक स्थिति

प्राकृतिक सौन्दर्य, सुरम्य घाटियों तथा धार्मिक व पौराणिक स्थलों से सुशोभित कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड प्रदेश की उत्तरी सीमा में स्थित है। उत्तर दिशा में तिब्बत, पूर्व दिशा में नेपाल की सीमायें, पश्चिम दिशा में चमोली, पौड़ी गढ़वाल तथा बिजनौर जनपद की सीमायें तथा दक्षिण दिशा में उ0प्र0 के जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत की सीमायें हैं। भौगोलिक दृष्टि से मण्डल 28'7° से 30° उत्तरी अक्षांश तथा 78'7°से 81'1° पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। कुमायूँ मण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21034 वर्ग किमी0 है, जो उत्तराखण्ड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39.33 प्रतिशत है।

कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कुल 6 जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा चम्पावत हैं। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। जनपद चम्पावत के तीन विकास खण्ड लोहाघाट, पाटी एवं बाराकोट पूर्ण पर्वतीय तथा विकास खण्ड चम्पावत का कुछ क्षेत्र मैदानी है। जनपद नैनीताल में 6 विकास खण्ड पर्वतीय क्षेत्र तथा 2 विकास खण्ड हल्द्वानी तथा रामनगर भावर क्षेत्र में आते है। ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र है।

मैदानी भाग भावर व तराई क्षेत्र में विभाजित है। पर्वतीय क्षेत्र के बाद तुरन्त ही एक पट्टी ऐसी पाई जाती है जहाँ पर्वतों के नीचे उतरने वाली नदियों ने बहुत दूर तक छोटे–बड़े शिलाखण्ड लाकर एकत्र कर दिये है। इस क्षेत्र में अधिक वन पाये जाते है। यहाँ भूमिगत जल का अभाव है। लगभग 50–60 मीटर गहराई तक भी जल प्रायः नहीं मिल पाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से विकास खण्ड हल्द्वानी, कोटाबाग तथा रामनगर आते है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। जहाँ भूमिगत जल प्रायः 10 मीटर की गहराई तक उपलब्ध हो जाता है। यह भाग उत्तर प्रदेश के रूहेलखण्ड तथा मुरादाबाद मण्डलों के मैदानी क्षेत्र से लगा है।

तराई क्षेत्र पूर्व में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा से लेकर पश्चिम में विकास खण्ड जसपुर तक फैला है। इनमें ऊधमसिंहनगर के समस्त सात विकास खण्ड सम्मिलित है। यह भाग सामान्य उतार–चढ़ाव के साथ दक्षिण पूर्व की ओर ढ़ला हुआ है, जो उत्तम प्रकार की दोमट मिट्टी से भरपूर है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की चट्टानें या कंकरीली भूमि नहीं पायी जाती है। मण्डल मुख्यालय नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र में ऊँची पर्वत श्रेणियाँ तथा घाटियाँ हैं। पर्वत श्रेणियों की अधिकतम ऊँचाई 26 हजार फुट तक है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां पंचाचूली एवं त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विख्यात है। इस क्षेत्र में समतल भूमि बहुत कम है, जिसके कारण आवागमन में विशेष रूप से कठिनाई आती है। पर्वतीय क्षेत्र में भूमिगत जल प्रायः नगण्य है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिये बहुत कम भूमि उपलब्ध है। यह क्षेत्र वनों से आच्छादित है। केवल जनपद नैनीताल का भावर क्षेत्र तथा ऊधमसिंह नगर विकास की अग्रिम पंक्ति में है।

नैनीताल :– अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल नैनीताल जनपद में छोटे–बड़े अनेक ताल है, किन्तु सर्वाधिक प्रसिद्धि नैनीताल नगर में स्थित नैनीताल सरोवर ने प्राप्त की है। नीलमणी के नयनाभिराम ताल की सजग प्रहरियों के समान घिरे हुए सात पर्वतों से बनी रमणिक घाटी में नैनीताल बसा है। नैनीताल नगर का यह ताल कब और कैसे अस्तित्व में आया, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं स्कन्द पुराण के अनुसार किसी समय अत्रि, पुलस्य और पुलक नामक तीन ऋषि इस स्थान पर तपस्या किया करते थे। उन्होनें ही योगबल से इस सरोवर और स्थान का नाम त्रिरेश्वर रखा, परन्तु यह नाम न जाने कब लुप्त हो गया और "नैनीताल कहा जाने लगा"। नैनीताल शहर वर्ष 1841 में बसने

लगा। इसके पहले यहॉ जंगल था। नैना देवी के मन्दिर में मेला लगता था। सन् 1841 में मिस्टर बैरन ने इसे देखा। उससे पहले कुमाऊॅ के दूसरे कमिश्नर मिस्टर ट्रेल ने भी देखा था। बैरन साहब ने ''हिम्मला'' नामक पुस्तक में लिखा है कि वहॉ के थोकदार नरसिंह, नैनीताल को पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, परन्तु मि0 ट्रेल ने नरसिंह को नाव में बैठाकर ताल में डुबाने की धमकी देकर नोटबुक में दस्तखत करा लिये। बाद में थोकदार नरसिंह पॉच रूपये मासिक वेतन पर नैनीताल के पटवारी बना दिये गये। नैनीताल देश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ बारह महीने पर्यटको की आवाजाही रहती है।

अल्मोड़ा :– जनपद अल्मोड़ा प्राचीन शहरों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। ब्रिटिश काल में यह जनपद एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला था, जिसके अर्न्तगत वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर जनपद थे। ब्रिटिश काल में अल्मोड़ा में कुमाऊॅ कमिश्नरी का मुख्यालय था। कालान्तर में कुमाऊॅ मण्डल की कमिश्नरी, जनपद नैनीताल स्थानान्तरित कर दी गयी। पॉच किमी. लम्बी पहाड़ी पर बसा अल्मोड़ा नगर चन्द राजाओं के शासन के बाद गोरखाओं के आधिपत्य में रहा, बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया।

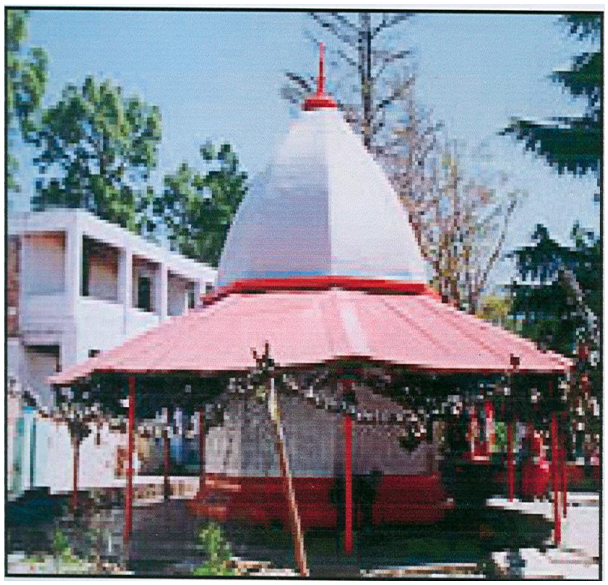

अल्मोड़ा अपनी बौद्धिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। प्राकृतिक वातावरण, हिमालय दर्शन के आकर्षण से स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गॉधी, पंडित नेहरू, लोहिया आदि राष्ट्रीय व्यक्तित्व यहॉ आये थे। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग से ग्लेशियरों तक पहुॅचने वाले साहसी पर्यटकों के लिए अल्मोड़ा प्रारम्भिक पड़ाव है। ताम्र बर्तनों के पुश्तैनी व्यवसाय में कलश, परात, थाली और वाटर फिल्टर जैसी नवीन दस्तकारी में अल्मोड़ा अपनी पकड़ बनाये हुए है।

बागेश्वर :– जनपद बागेश्वर धार्मिक ही नहीं राष्ट्रीय तथा स्वराज आन्दोलन का भी केन्द्र रहा है। सन् 1921 में ब्राह्मण क्लब चामी के बुलावे पर राष्ट्रीय नेता श्री हरगोविन्द पन्त, श्री चिरंजीलाल तथा श्री बद्रीदत्त पाण्डेय बागेश्वर पहुंचे तथा सरयू नदी के तट पर कुली उतार आन्दोलन आरम्भ किया। राष्ट्र भक्त विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा स्वराज मन्दिर की नींव डाली गयी। सन् 1933 में देश भक्त मोहन जोशी के नेतृत्व में जबरदस्त स्वदेशी प्रदर्शनी हुई। बागेश्वर में बागनाथ मन्दिर तथा गरूड़ में बैजनाथ मन्दिर ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देश–विदेश से लाखों की संख्या में लोग इन मन्दिरों के दर्शन तथा इनका ऐतिहासिक महत्व जानने के लिये आते है। बैजनाथ के समीप ही तैलीहाट है, जहाँ कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ अभी भी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के मन्दिरों का समूह विद्यमान है। बागेश्वर में पावन सरयू, गोमती एवं अदृश्य भागीरथी नदी के संगम पर बागनाथ मन्दिर है। बताते है कि चन्दवंश के राजा लक्ष्मी चन्द द्वारा 1602 ई0 में पुननिर्माण के पश्चात् भगवान बागनाथ का भव्य मन्दिर बनाया गया । इस मन्दिर में सातवीं शताब्दीं से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर परिसर में ही अन्य देवी–देवताओं के अलग–अलग मन्दिर है। प्रतिवर्ष माह

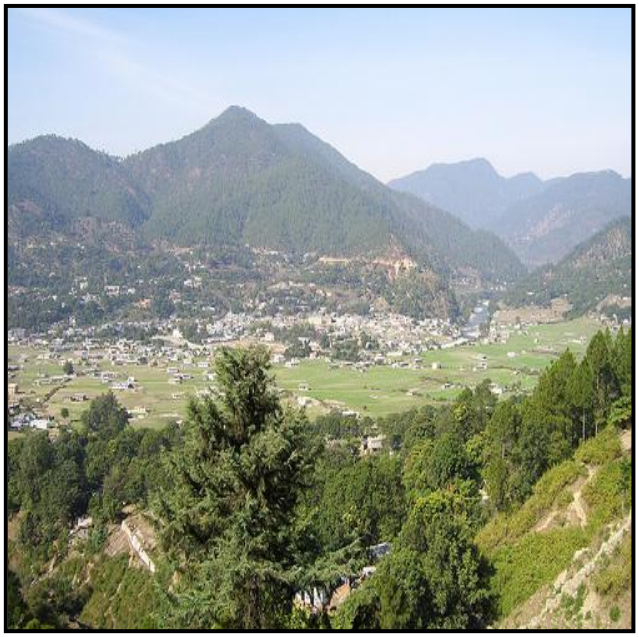

जनवरी में मकर संक्रान्ति को यहाँ भव्य मेला लगता है। जो उत्तरायणी नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन देश–विदेश के हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान कर भगवान बागनाथ के दर्शन करते हैं तथा एक सप्ताह तक व्यवसायिक, सांस्कृतिक गतिविधियां होती है।

ऊधमसिंहनगर :– जनपद ऊधमसिंह नगर का सृजन सितम्बर, 1995 को जनपद नैनीताल के तराई सम्भाग को अलग कर किया गया । इतिहासकारों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व भगवान रूद्र के किसी भक्त या रूद्र नाम के किसी हिन्दू कबीले के मुखिया द्वारा बसाया गया। रूद्रपुर गाँव आज भौतिक विकास की पगडंडियों से चलकर विशाल रूद्रपुर नगर का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। जनपद ऊधमसिंहनगर का मुख्यालय बन जाने से रूद्रपुर का महत्व और बढ़ गया है। काशीपुर का औद्योगिकीकरण बहुत पहले हो चुका है। हाल के उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद रूद्रपुर तथा सितारगंज के सिडकुल क्षेत्र में औद्योगिकीकरण से जिला ऊद्यम सिंह नगर औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी जनपद की श्रेणी में आ चुका है।

ब्रिटिश काल में 1861 में नैनीताल जनपद बन जाने के साथ ही 1864–65 में सम्पूर्ण तराई व भावर को "तराई व भावर गवर्नमेन्ट एक्ट" घोषित कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश राज मुकुट के अधीन हो गया। देश के विभाजन के तुरन्त बाद शरणार्थी समस्या विकराल रूप में उपस्थित हुई । बड़ी संख्या में देश के पश्चिमोत्तर व पूर्वी क्षेत्र से आये शरणार्थियों को तराई के मध्य 35 किमी0 परिक्षेत्र में 164.2 वर्ग मील भू क्षेत्र पर उप निवेश
योजना के अर्न्तगत पुर्नवासित किया गया। व्यक्तिगत आवासियों को क्राउन ग्रान्ट एक्ट के आधार पर भूमि आवंटित की गई। शरणार्थियों का पहला जत्था दिसम्बर 1948 में पहुँचा।

कश्मीर, पंजाब, केरल, पूर्वी उ0प्र0, गढ़वाल, कुमायूँ, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, नेपाल और तमिलनाडू से लेकर भारत मूल के वर्मा प्रजातियों का समूह तराई में बसा है जो विभिन्न पेशों, धर्मों और जाति समूह के लोगों से मिलकर बना है। तराई का यह कोलोनाईजेशन क्षेत्र है और उसी का हृदय है, रूद्रपुर। इसीलिए 20–25 वर्ष पूर्व तराई को मिनी "हिन्दुस्तान" उपनाम से सम्बोधित किया था। जनपद ऊधमसिंह नगर कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में मण्डल/प्रदेश में अग्रिम पंक्ति पर है।

पिथौरागढ़ :– जनपद पिथौरागढ़ हिमालय की गोद में बसा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। जनपद की उत्तरी तथा पूर्वी सीमायें क्रमशः तिब्बत तथा नेपाल से लगती है। उत्तरी सीमा पर गगनचुम्बी हिमाच्छादित गिरिमाल एक अभेद्य दीवार सी खड़ी है, जिसमें पंचाचूली और त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये विख्यात है। पर्वतारोहियों के लिए यह शिखर विशेष आकर्षक रहे हैं। त्रिशूल शिखर के नीचे स्थित मिलम ग्लैशियर सैलानियों को आकर्षित करता है। सुदूर मध्य हिमालय की दुर्गम बर्फीली चोटियों को अपने मस्तक पर धारण किये हुए है।

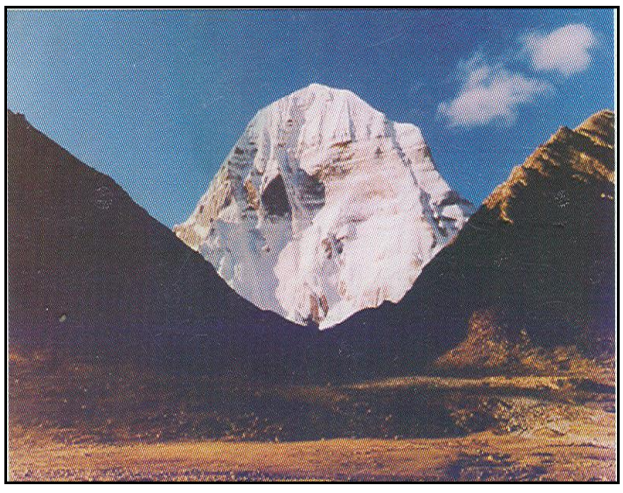

चम्पावत :– जनपद चम्पावत का सृजन सितम्बर, 1997 को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत तथा जनपद ऊधमसिंहनगर के विकास खण्ड खटीमा के 35 राजस्व ग्राम एवं जनगणना ग्राम वनवसा तथा नगर पालिका परिषद टनकपुर को सम्मिलित कर किया गया है।

जनपद चम्पावत पर्वतों एवं घाटियों का क्षेत्र हैं। यहाँ पर्वत श्रृंखलायें दक्षिण से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है। इन पर्वत मालाओं के मध्य कहीं–कहीं सुन्दर घाटियाँ भी हैं, जिनमें चम्पावत से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है।

जनपद चम्पावत में चम्पावत, खेतीखान, देवीधूरा, मायावती आश्रम, श्यामलाताल, लोहाघाट एवं पंचेश्वर आदि अति सुन्दर एवं आकर्षक है। प्रमुख धार्मिक स्थल में पूर्णागिरी धाम जनपद चम्पावत के भूभाग में स्थित है। जनपद के विकास खण्ड चम्पावत में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल रीठा साहिब स्थित है। मॉ बाराही मंदिर देवीधुरा में रक्षा बन्धन के दिन होने वाला बग्वाल मेला जिसे देखने लाखों लोग आते है, जो जिला चम्पावत में ही स्थित है। जिला चम्पावत प्राकृतिक सौन्दर्य का धनी है।

जनपद में प्रमुख मंदिर बालेश्वर, गुरू गोरखनाथ, गोलू देवता का जन्म स्थान गौरेलचौड़, मानेश्वर, रिखेश्वर आदि है जिसमें समय–समय पर मेले आदि लगते है। जनपद मुख्यालय के समीप निर्मित एक हथिया नौले के सम्बन्ध में कहा जाता है इस नौलें का निर्माण एक ऐसे कारीगर द्वारा किया गया था जिसके पास एक ही हाथ था इसलिए उसको एक हथिया नौला कहा जाता है।

अध्याय – 2

खनिज सम्पदा

कुमायूँ मण्डल खनिज सम्पदा का परम्परागत इतिहास रहा है। यहाँ के स्थाई निवासी परम्परागत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह, ताँबा, स्वर्ण सीसा तथा चूना पत्थर, मिट्टी आदि का उत्खनन एवं शुद्धिकरण किया करते थे। औषधि के रूप में प्रयोग की जाने वाली शिलाजीत एवं अभ्रक का शुद्धिकरण भी यहाँ प्राचीनकाल से किया जाता रहा हैं।

इस मण्डल में खनिज के रूप में चूने का पत्थर, खड़िया, डोलामाइट, कायनाईट, यूरेनाईट, पाइराइट व मैग्नासाइड आदि पाया जाता है, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा इसका निर्यात भी होता है। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, रेता, गिट बोल्डर आदि भी व्यवसायिक स्तर पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कच्चा लोहा, ताँबा तथा जिप्सम आदि भी बहुत थोड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, किन्तु इनका व्यवसायिक रूप से उपयोग अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। जनपद बागेश्वर में झिरोली नामक स्थान पर मैग्नेसाइट का एक कारखाना स्थापित है। झिरोली स्थित मैग्नासाइट खदान से भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर आदि इस्पात संयंत्रों को मैग्नेसाइट की आपूर्ति की जाती है।

खड़िया जो व्यवसायिक क्षेत्र में सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण खनिज है। मण्डल में खड़िया के वृहद भण्डार है। खड़िया जखेड़ा, हरपा, बिरखल, सुराग, कर्मी, चौड़ास्थल, लोहारखेत, लीती, चिंडग, तुपेड़, चौरा, रीमा, विजयपुर, काण्डा आदि जगहों पर प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। कुमायूँ मण्डल के पर्वतीय भाग में खनिज पदार्थो के उत्खनन तथा उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक नया आयाम दिया जा सकता है।

अध्याय – 3

प्रशासनिक ढाँचा

भौगोलिक दृष्टि से कुमायूँ मण्डल में 6 जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर व चम्पावत सम्मिलित है, जिनमें 51 तहसील, 8 उपतहसील एवं 41 विकास खण्ड है। मण्डल में 3 नगर निगम, 18 नगर पालिका परिषद, 3 छावनी क्षेत्र, 17 नगर पंचायत तथा 9 सेन्सस टाऊन हैं। मण्डल मुख्यालय नैनीताल में है। जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल में कुल 7457 ग्राम है, जिनमें से 279 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम एवं 116 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6921 आबाद ग्राम हैं। जनगणना 2011 के उपरान्त पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं जनपद चम्पावत के कुछ ग्राम नगर क्षेत्र में स्थानान्तरित होने के कारण 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार मण्डल में कुल ग्रामों की संख्या 7407 है। जिसमें से 280 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम, 116 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6870 आबाद ग्राम हैं। न्याय पंचायतें 289 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 3486 है। मण्डल में पुलिस स्टेशनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 38 व नगरीय क्षेत्र में 33 तथा 01 जी0आर0पी0 है।

मण्डल की मुख्य प्रशासनिक इकाईयॉ

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	विकास खण्ड
1.	अल्मोड़ा	1. अल्मोड़ा	1. भैसियाछाना 2. लमगड़ा (आंशिक) 3. धौलादेवी (आंशिक) 4. हवालबाग (आंशिक) 5. ताकुला (आंशिक)
		2. भनोली	1. धौलादेवी (आंशिक) 2. लमगड़ा (आंशिक)
		3. सोमेश्वर	1. ताकुला (आंशिक) 2. हवालबाग (आंशिक)
		4. भिक्यासैंण	1. भिक्यासैंण (आंशिक) 2. सल्ट (आंशिक)
		5. रानीखेत	1. ताड़ीखेत 2. द्वाराहाट (आंशिक)
		6. चौखुटिया	1. चौखुटिया
		7. द्वाराहाट	1. द्वाराहाट (आंशिक) 2. भिक्यासैंण (आंशिक)
		8. सल्ट	1. सल्ट (आंशिक)
		9. जैती	1. लमगड़ा (आंशिक)
		10. स्याल्दे	1. स्याल्दे

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	विकास खण्ड
2.	बागेश्वर	1. कपकोट	1. कपकोट (आंशिक)
		2. गरूड़	1. गरूड़–बैजनाथ
		3. बागेश्वर	1. बागेश्वर (आंशिक) 2. कपकोट (आंशिक)
		4. काण्डा	1. बागेश्वर (आंशिक) 2. कपकोट (आंशिक)
		5.दुग नाकुरी	1. बागेश्वर (आंशिक) 2. कपकोट (आंशिक)
		6. कठपुड़ियाछीना	1. बागेश्वर
3.	नैनीताल	1. नैनीताल	1. भीमताल 2. रामगढ़ (आंशिक) 3. कोटाबाग (आंशिक)
		2. कालाढूँगी	1. कोटाबाग (आंशिक)
		3. कोश्याकुटोली	1. रामगढ़ (आंशिक) 2. बेतालघाट (आंशिक)
		4. धारी	1. धारी 2. ओखलकांडा
		5. बेतालघाट	1. बेतालघाट (आंशिक)
		6. हल्द्वानी	1. हल्द्वानी (आंशिक)
		7. लालकुआँ	1. हल्द्वानी (आंशिक)
		8. रामनगर	1. रामनगर
4.	ऊधमसिंहनगर	1. काशीपुर	1. काशीपुर
		2. जसपुर	1. जसपुर
		3. बाजपुर	1. बाजपुर
		4. किच्छा	1. रूद्रपुर (आंशिक)
		5. रूद्रपुर	1. रूद्रपुर (आंशिक)
		6. गदरपुर	1. गदरपुर
		7. खटीमा	1. खटीमा
		8. सितारगंज	1. सितारगंज
5.	पिथौरागढ़	1. डीडीहाट	1. डीडीहाट (आंशिक)
		2. बेरीनाग	1. बेरीनाग (आंशिक)
		3. धारचूला	1. धारचूला (आशिक)
		4. पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़ (विण) 2. मूनाकोट
		5. गंगोलीहाट	1. गंगोलीहाट (आशिक)
		6. मुनस्यारी	1. मुनस्यारी (आशिक)
		7. बंगा पानी	1. धारचूला (आशिक) 2 मुनस्यारी (आशिक)
		8. थल	1. बेरीनाग (आशिक) 2. डीडीहाट (आशिक)
		9. कनालीछीना	1. कनालीछीना (आशिक) 2. डीडीहाट (आशिक)
		10. गणाई गंगोली	1. गंगोलीहाट (आशिक)
		11. देवथल	1. कनालीछीना (आशिक)
		12. तेजम	1. मुनस्यारी (आशिक)
6.	चम्पावत	1. चम्पावत	1. चम्पावत (आंशिक)
		2. श्री पूर्णागिरी	1. चम्पावत (आंशिक)
		3. लोहाघाट	1. लोहाघाट 2. पाटी (आंशिक)
		4. पाटी	1. पाटी (आंशिक)
		5. बाराकोट	1. बाराकोट

अध्याय - 4

जनसंख्या वितरण

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 10086292 में से कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या 4228998 है। कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 41.93 प्रतिशत है।

जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल के जनपदों की जनसंख्या निम्न प्रकार है :

क्र0 सं0	जनपद का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी0)	कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी0	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)	साक्षरता प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	पिथौरागढ़	7090	483439	239306	244133	68	1020	82.25
2	बागेश्वर	2246	259898	124326	135572	116	1090	80.01
3	अल्मोड़ा	3139	622506	291081	331425	198	1139	80.47
4	चम्पावत	1766	259648	131125	128523	147	980	79.83
5	नैनीताल	4251	954605	493666	460939	225	934	83.88
6	ऊधमसिंहनगर	2542	1648902	858783	790119	649	920	73.10
योग मण्डल		**21034**	**4228998**	**2138287**	**2090711**	**201**	**978**	**78.52**

कुमायूँ मण्डल में क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ तथा जनसंख्या की दृष्टि से ऊधमसिंहनगर सबसे बड़ा जनपद है। मण्डल में सबसे कम क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला जनपद चम्पावत है। ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, जबकि जनपद पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, मण्डल के जनपदों में जनपद ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तथा जनपद पिथौरागढ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मण्डल का जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है तथा उत्तराखण्ड की जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमायूँ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। जनपद पिथौरागढ़ में 82.25%, अल्मोड़ा में 80.47%, नैनीताल में 83.88%, बागेश्वर में 80.01%, चम्पावत में 79.83% तथा उधमसिंह नगर में 73.10% व्यक्ति साक्षर हैं।

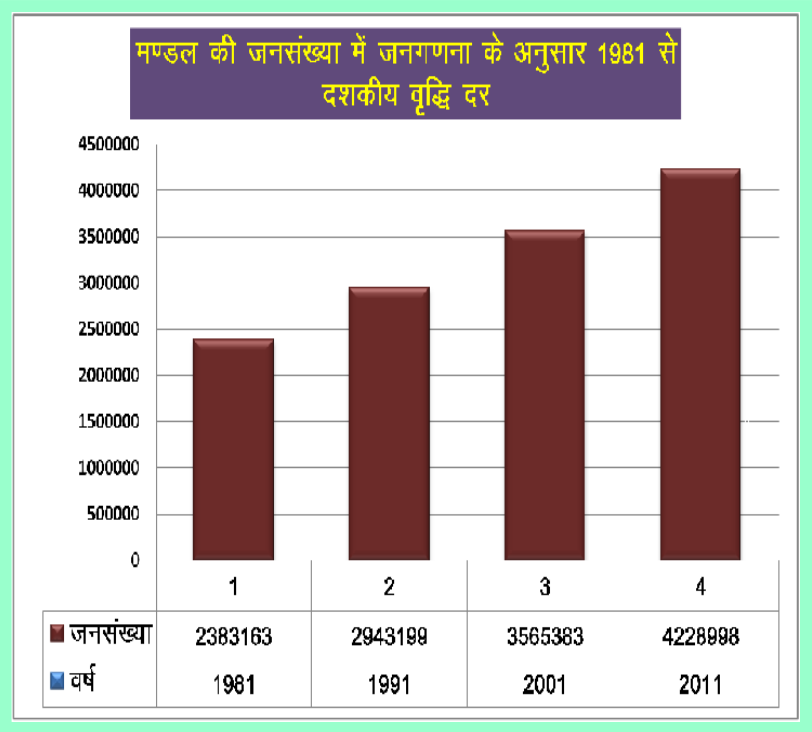

जनगणना 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में 1000 हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 978 है, जबकि उत्तराखण्ड में 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 963 है। कुमाऊ मण्डल के पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ में 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1020, अल्मोड़ा में 1139, बागेश्वर में 1090, चम्पावत में 980, नैनीताल में 934 तथा ऊधमसिंह नगर में 920 है। पर्वतीय भू–भाग में निवास कर रहे अधिकांश पुरूष सेना में सेवारत रहने के कारण बाहर है तथा इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के साधनों की कमी के कारण रोजगार की तलाश में पर्वतीय क्षेत्र में निवास कर रहे पुरूष मैदानी भागों में रोजगार के लिये बाहर रहते है, जिस कारण पूर्णतः पर्वतीय जनपद अल्मोड़ा,बागेश्वर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है, जबकि मैदानी भाग में कम है।

कुमाऊँ मण्डल में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण जनगणना 2011 के अनुसार मुख्य कर्मकरों में कृषक 40.60%, कृषि श्रमिक 11.19%, पारिवारिक उद्योग 2.59% तथा अन्य कर्मकर 45.62%, पाये गये। इस प्रकार मुख्य कर्मकर 1234528 व सीमान्त कर्मकर 471016 को सम्मिलित करते हुए, कुल कर्मकरों की संख्या 1705544 है।

अध्याय – 5

कृषि

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में कुल कर्मकरों में से 44 प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आश्रित है। यह अनुपात जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत के लिये क्रमशः 69.62, 68.85, 36.56, 20.74, 63.44 तथा 60.25 प्रतिशत है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मण्डल में अर्थ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग कृषि है परन्तु जिला ऊधमसिंह नगर में सम्पूर्ण भाग तथा जिला नैनीताल के मैदानी भाग को छोड़कर पर्वतीय भाग में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है।

खेत छोटे–छोटे तथा छिटके है, जिस कारण कृषि से बहुत कम आय अर्जित होती है। अतः कृषि विधिकरण योजना के अन्तर्गत कृषकों को व्यवसायिक फसलों/गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सहायतित त्वरित सिंचाई लाभ योजना से असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। जिला योजना में पौध सुरक्षा कार्यक्रम, कृषि यंत्रों की योजना तथा उन्नत कृषि तकनीक हस्तान्तरण की योजनाओं से कृषि को लाभकारी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र सहायतित योजना माईक्रोमोड योजना में धान्य विकास, दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कृषि यंत्रों का वितरण की योजना संचालित हैं।

कृषि विभाग की स्थापना ब्रिटिशकालीन भारत में सन् 1875 में की गयी। प्रारम्भ में विभाग का कार्य कृषि ऑकडे एकत्रित करना एवं कुछ आदर्श फार्म स्थापित करने तक सीमित था। सन् 1980 में इसे भूमि अभिलेख विभाग से सम्बद्व किया गया। कालान्तर में GOVERNMENT OF INDIA ACT 1919 के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा कृषि नीति प्रतिपादित किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को दिनांक 01.12.1919 से स्वतंत्र विभाग बनाया गया। उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अधीन 09 नवम्बर 2000 से उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के साथ उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कृषि विभाग उत्तराखण्ड का पुर्नगठन किया गया। विभागीय विस्तार के फलस्वरूप वर्तमान में एकल खिडकी व्यवस्था के अर्न्तगत कृषि निवेश केन्द्र न्यायपंचायत स्तर पर स्थापित कर समस्त विभागीय कार्य न्यायपंचायत स्तर से सम्पादित किये जा रहे हैं।

वर्तमान में विभाग का कार्य जनपद में कृषकों की जोत कृषि भूमि की मृदा का परीक्षण प्रयोगशाला में कर कृषकों को उनकी मृदा के बारे में जानकारी एवं मृदा सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन्नतशील

प्रजातियों के बीज, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराता है। कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी प्रशिक्षण/फसल प्रर्दशन के माध्यम से समय–समय पर उपलब्ध करायी जाती है। विभाग द्वारा दैवी आपदा एवं अन्य कारणों से कृषि भूमि के कटाव/क्षरण होने की स्थिति में चैक डैम, ब्रस्टवाल, स्पर आदि के माध्यम से कृषि भूमि की सुरक्षा करते हुए जल संरक्षण कार्य भी सम्पादित करता है। कृषकों के रोजगार क्षमता में अतिरिक्त वृद्वि हेतु विभाग द्वारा बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक का निर्माण कर सिंचाई क्षमता में वृद्वि करते हुए कृषकों को मत्स्य पालन करने पालीहाउस से सब्जी उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करता है।

भूमि को कृषि की दृष्टि से सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है प्रथम तलाऊ भूमि जो कि प्रायः समतल होती है और जिस पर सिंचाई साधन उपलब्ध है। 'तलाऊ' भूमि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है इसमें रवी, खरीफ जायद फसलें ऊगाई जाती है। फसलें जैसे आलू ,प्याज अथवा सोयाबीन, जिसे 'भट्ट' भी कहा जाता है, नकदी फसलें उगाई जाती हैं। असिंचित क्षेत्र को 'उपराऊ' भूमि कहते है। यह दो भागों में बाटी जा सकती है– 1. अब्बल 2. दोयम। अब्बल में मिट्टी अच्छी होने के कारण उपज दोयम से अधिक होती हैं उपजाऊ भूमि में फसल चक्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि दो वर्षांत में एक न एक बार भूमि परती रखी जाती है। साधारणतया खरीफ में सभी कृषि क्षेत्र में फसल बोयी जाती है, परन्तु रवी में एक भू–भाग परती छोड़ना पड़ता है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु वित्तीय संसाधन सुलभ कराने के साथ साथ नवीनतम वैज्ञानिक कृषि विधियों एवं उपकरणों की आवश्यकता की जानकारी सुलभ कराने हेतु प्रदर्शनियों के आयोजन, बीज उर्वरक, कीटनाशक औषधियों आदि आवश्यक कृषि निवशों की ससमय सम्पूर्ति की व्यवस्था, फसल सुरक्षा तथा आवश्यक कृषि निवेश जुटाने हेतु उत्पादन एवं ऋण की व्यवस्था जैसे अनेक उपाय किये जा रहे है।

(अ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

➢ **जैविक कार्यक्रमः**–जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में जैविक संरचना निर्माण के अन्तर्गत क्रमश 245, 420, 161, 124, 103 वर्मी कम्पोस्ट क्रमश 95, 92 70, 60, 44 नाडेप क्रमशः 29, 60 24, 20, 0 बम्बू नाडेप, क्रमशः 11, 25, 10, 8, 9 प्रशिक्षण एवं क्रमशः 7, 10, 4, 3, 7 मास्टर ट्रेनरों के मानदेय के अन्तर्गत क्रमशः.रू0 5.04, 8.80, 3.52, 2.64, 6.56 लाख व्यय किया गया। योजनान्तर्गत क्रमशः कुल रू0 17.77, रू0 29.63, रू0 12.83, रू0 10.05, रू0 12.00 लाख व्यय किया गया।

➢ **कृषक महोत्सवः**– वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषक महोत्सव का आयोजन कुमाऊॅ मण्डल की समस्त न्याय पंचायतों में किया गया। जिसमें कृषि व सम्बन्धित रेखीय विभागों द्वारा स्टालों व प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि व विभाग सम्बन्धित जानकारियॉ दी गयी। कृषि निवेश वितरित किये गये। महोत्सव के दौरान वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 44, 64, 95, 24, 35, 27 न्याय पंचायतों में कृषक महोत्सव रवि, 2016 का आयोजन किया गया।

➢ **एकीकृत बहुद्देशीय जल सम्भरण योजनाः–** इस योजना अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमश 9, 13, 36, 14, 3 बहुद्देशीय जल संभरण टैकों का निर्माण कराया गया जिसमें 35000 लीटर व 50000 लीटर की क्षमता के जल संभरण टैक निर्मित किए गए साथ ही पॉलीहाउस, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन का कार्य भी किया गया। जिसमें क्रमशः रू0 41.39, रू0 82.52, रू0 143.29, रू0 70.49, रू0 15.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

➢ **मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम परीक्षण (दैवीय आपदा) :–** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भू–कटाव की रोकथाम हेतु ब्रेस्टवॉल, जल निकास नाली, रिटेनिंग वॉल चैकडैम, पुस्ता व सुरक्षा दीवार आदि के निर्माण हेतु वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, में क्रमशः रू0 114.98, रू0 5. 01, रू0 3.84, रू0 5.58 लाख की धनराशि व्यय की गई।

➢ **घेरबाड़ योजना :–** जंगली जानवरों के कृषि फसल के बचाव हेतु जनपद अन्तर्गत घेरबाड़ योजना संचालित की गयी वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, में घेरबाड़ का कार्य कराया गया, जिसमें क्रमशःरू0 48.04, रू0 10.17, रू0 42.42, रू0 22.00 लाख की धनराशि व्यय की गई।

➢ **कृषि यंत्रीकरण :–** कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुमन्य अनुदान सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में विभिन्न प्रकार के मानव चालित, बैलचालित, ट्रैक्टरचालित एवं शक्ति चालित यंत्रों पर क्रमशः रू0 17.89, रू0 20.37, रू0 16.10, रू0 3.92, रू0 10.65, रू0 51.03 लाख अनुदान उपलब्ध कराया गया।

(ब) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

➢ **चावल कार्यक्रम :–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 280, 200, 845 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। जिस पर कुल मूल्य क्रमशः.रू0 13.407, रू0 8.779, रू0 38.912 लाख कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया। अधिक उपजदायी बीजों के वितरण पर कुल मूल्य रू0 क्रमशः 0.744, रू0 0.294, 3.466 लाख कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया पौघ रक्षा रसायन मद में क्रमशः रू0 0.983, रू0 1.498, रू0 12.051 लाख कृषि रक्षा रसायनों पर अनुदान के रूप में कृषकों को अनुमन्य कराया गया । खरपतवार नियंत्रण मद में क्रमशः कुल रू0 0.00, रू0 0.813, रू0 11.980 लाख कृषि रक्षा रसायनों पर अनुदान के रूप में कृषकों को अनुमन्य कराया गया। मानव चालित नैपसैक स्प्रेयर वितरण में क्रमशः रू0 0.00, रू0 0.114, रू0 0.005 लाख अनुदान दिया गया। कृषकों को 15000 प्रति पावर वीडर की

दर में क्रमशः रू0 3.15, रू0 0.00, रू0 0.00 लाख अनुदान उपलब्ध कराया गया । जल पम्प वितरण मद में क्रमशः 4, 13, 10 जल पम्प 10000 रू0 प्रति जल पम्प की दर से क्रमशः रू0 0.40, रू0 1.30, रू0 1.00 लाख कृषकों को अनुदान के रूप में अनुमन्य कराया गया। कृषक प्रशिक्षण मद में क्रमशः.रू0 0.66, रू0 0.54, रू0 0. 68 लाख व्यय किया गया एवं जैव उर्वरकों पर अनुदान करने मं कुल मूल्य क्रमशः.रू0 0.505, रू0 0.547, रू0 0.110 लाख कृषकों को अनुदान के रूप में अनुमन्य कराया गया। इस प्रकार कुल क्रमशःरू0 20.036, रू0 14. 387, रू0 85.878 लाख व्यय किया गया जिसमें से क्रमशःरू0 3.13, रू0 1.292, रू0 14.93 लाख अनुसूचित जाति के कृषकों पर व्यय किया गया। इस प्रकार क्रमशः रू0 15.87, रू0 13.095, रू0 65.18 लाख सामान्य कृषकों पर व्यय किया गया। योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 1.03, रू0 0.00, रू0 5.76 लाख अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु व्यय किया गया।

➢ **गेहूँ कार्यक्रम :–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में कलस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत क्रमशः 410, 360, 430, 180, 740 है0 क्षेत्र में प्रदर्शन का आयोजना किया गया। उर्द गेहूँ कलस्टर प्रदर्शनों में क्रमशः 20, 20, 30, 20, 140 है0 क्षेत्र में प्रदर्शन आयोजित किया गया। कलस्टर प्रदर्शन कार्यक्रम हेतु क्रमशः.रू0 20.60, रू0 14.91, रू0 20. 86, रू0 9.56, रू0 35.93 लाख की धनराशि कृषि निवेशों अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये गए। सूक्ष्म तत्व वितरण मद में क्रमशः रू0 0.11, रू0 0.00, रू0 0.124, रू0 0.00, रू0 0.48 लाख सूक्ष्म तत्वों पर 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराये गए। नैपसैक स्प्रेयर वितरण में क्रमशः 96, 0, 6, 0, 0 स्प्रे मशीनों पर क्रमशःरू0 0.092, रू0 0.000, रू 0.036, रू0 0.00, रू0 0.00 लाख का अनुदान कृषकों को अनुमन्य कराया गया। पावर वीडर मद में क्रमशः 5, 9, 0, 5, 0 पावर वीडर कृषकों को 15000 रू0 प्रति पावर वीडर की दर से क्रमशः.रू0 0.75, रू0 1.35, रू0 0.00, रू0 0.75, रू0 0.00 अनुदान के रूप में अनुमन्य कराया गया। जल संवहन पाइप में क्रमशः 4000, 1300, 4100, 770, 0 मीटर पाइप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया, जिस पर क्रमशः.रू0 0.76, रू0 0.35, रू0 0.764, रू0 0.227, रू0 0.00 लाख. व्यय किया गया। जल पम्प मद में क्रमशः 5, 3, 9, 7, 0 जल पम्प कृषकों का 10000 रू0 प्रति जल पम्प की दर से वितरण किये गये जिस पर क्रमशः.रू0 0.478, रू0 0.30, रू0 0.90, रू0 0.636, रू0 0.00 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार योजनान्तर्गत क्रमशः.रू0 4949.474, रू0 20.422, रू0 29.386, रू0 13.762, रू0 90.28 लाख व्यय किया गया। क्रमशः रू0 35.46, रू0 13.58, रू0 22.14, रू0 10.88, रू0 67.13 लाख की धनराशि सामान्य कृषकों हेतु, क्रमशः रू0 14.02, रू0 4.56, रू0 7.24, रू0 2.88, रू0 18.53 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु एवं क्रमशः रू0 0.00, रू0 2.28, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 4.62 लाख की धनराशि अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु व्यय की गयी।

➢ **दलहन कार्यक्रम :–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दलहन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में दलहन कार्यक्रम के क्लस्टर प्रदर्शन मद में क्रमशः 190, 170, 190, 100, 80, 190 है0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये। जिस पर कुल क्रमशः.रू0 8.318, रू0 8.798, रू0 9.917, रू0 4.30, रू0 3.445, रू0 8.96 लाख धनराशि कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध करायी गयी। अधिक उपजदायी बीज वितरण मद में क्रमशः 24.63, 35.92, 40.55, 18.46, 25.64, 15.52 कु0 उन्नत बीज कृषकों को रू0 2500.00 प्रति कु0 की दर से वितरणवार क्रमशःरू0 0.64, रू0 1.278, रू0 0.971, रू0 0.48, रू0 0.55, रू0 0.397 लाख अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म तत्व वितरण एवं पौंध सुरक्षा रसायन वितरण अन्तर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर क्रमशः रू0 2.04, रू0 1.67, रू0 1.405, रू0 1.61, रू0 0.00, रू0 3.20 लाख अनुदान के रूप में व्यय किया गया। कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत नैपसैक स्प्रेयर रू0 600 प्रति स्प्रेयर अनुदान के अनुसार कृषकों को अनुदान पर वितरण किये गये जिस पर क्रमशः.रू0 0.21, रू0 0.00, रू0 0.066, रू0 0.00, रू0 0.00, रू 0.00 लाख व्यय किया गया। जल संवहन पाईप के अन्तर्गत क्रमशः 9000, 7100, 4000, 11800, 2310, 360 मी0 पाइप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया, जिस पर क्रमशः रू0 1.71, रू0 2.205, रू0 0.756, रू0 2.247, रू0 1.155, रू0 0.18 लाख अनुदान के रूप में व्यय किया गया। जल पम्प वितरण मद में क्रमशः 0, 8, 16, 10, 0, 9.जल पम्प 10000 रू0 प्रति जल पम्प अनुदान के रूप में कृषकों को वितरण किया गया, जिस पर क्रमशः रू0 0.00, रू0 0,80, रू0 1.60, रू0 1.00, रू0 0.00, रू0 0.90 अनुदान के रूप में व्यय किया गया। इस प्रकार क्रमशः रू0 2.45, रू0 2.00, रू0 3.35, रू0 2.75, रू0 4.75, रू0 3.99 लाख अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु, रू0 11.63, रू0 13.01, रू0 13.24, रू0 8.11, रू0 4.75, रू0 19.15 लाख की धनराशि सामान्य जाति के कृषकों हेतु एवं क्रमशः रू0 0.00, रू0 0.79, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 0 रू0 2.99 लाख की धनराशि अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु व्यय की गयी।

➢ **मोटा अनाज :–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर में उन्नतशील प्रजातियों के बीज वितरण मद में 1500 रू0 में प्रति कुन्तल की दर से कृषकों में बीज वितरण किया गया जिस पर क्रमशःरू0 0.254, रू0 0.443, रू0 0.961, रू0 0.00, रू0 0.035 लाख.अनुदान के रूप में व्यय किया गया। जिसमें क्रमशः रू0 0.04, रू0 0.00., रू0 0.347, रू0 0.00, रू0 0.01 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु व्यय की गयी।

(स) राष्ट्रीय तिलहन एवं आयलपॉम मिशन योजना :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्लस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत क्रमशः 120, 10, 10, 10, 0,15 है0 क्षेत्र में तिलहन फसलों के क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये जिसमें क्रमशः.रू0 5.00, रू0 0.419, रू0 0.163, रू0 0.314, रू0 0.00, रू0 0.222 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कृषि निवेश कृषको को उपलब्ध कराये गये। योजनान्तर्गत जनपदवार क्रमशः रू0 17.00, रू0 1.873, रू0 0. 922, रू0 1.632, रू0 0.334, रू0 0.932 लाख कृषको को कृषि निवेश/यंत्रों/प्रशिक्षण इत्यादि मदों में अनुदान

के रूप में उपलब्ध कराये गए। जिसमें से क्रमशः.रू0 2.434, रू0 0.241, रू0 0.086, रू0 0.180, रू0 0.018, रू0 0.078 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु एवं क्रमशः रू0 14.566, रू0 1.212, रू0 0.836, रू0 1.452, रू0 0.315, रू0 0.802 लाख की धनराशि सामान्य श्रेणी के कृषकों हेतु व्यय की गयी।

(य) नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी मिशन (नामेट):–

1. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एस0एम0ए0एम0) :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में निम्न कार्य सम्पादित कराये गये।

➢ **कस्टम हायरिंग केन्द्र :–**इसके अन्तर्गत वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 1, 3 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये गए, जिस पर क्रमशः रू0 4.00, रू0 12.00 लाख अनुदान के रूप में कृषकों/कृषक समूहों को उपलब्ध कराये गए।

➢ **फार्म मशीनरी बैंक :–** इसके अन्तर्गत कृषकों के समूहों का गठन कर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गयी। जिसमें ट्रैक्टर, पावर वीडर, थ्रेसर, ब्रशकटर आदि यंत्रों के कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 3, 3, 2, 1, 1, 2 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किय गए एवं 80 प्रति0 अनुदान की धनराशि कृषक समूहों के बैंक खाते में भुगतान की गयी। फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक कृषकों को प्रोत्साहित किया जा सकें। इस पर क्रमशः रू0 15.00, रू0 15.00, रू0 10.00, रू0 5.00, रू0 5.00, रू0 10.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी, जिसमें क्रमशः.रू0 5.00, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 5.00 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के समूह में व्यय की गयी।

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत 40प्रति0 या अधिकतम अनुमन्य सीमा तक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चालित यंत्र, पावर टिलर, मानव/शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्र, थ्रैसर, एच0डी0पी0ई0 पाईप, ब्रुश कटर, मल्टी क्रॉप थ्रैसर इत्यादि पर भी अनुदान उपलब्ध कराया गया।

(2) सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिग मैटिरियल (एस0एम0एस0पी0) पूर्व में बीज ग्राम योजना :– रबि वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर एस0एम0एस0पी0 योजनान्तर्गत क्रमशः 44, 64, 95, 0, 35, 0 न्याय पंचायतों में क्रमशः 4365, 1907, 2688, 0, 1546, 0, कृषकों को क्रमशः 1768.45, 758. 454.58, 0, 505.50, 0 कुन्तल गेहूँ बीज 50 प्रति0 अनुदान पर वितरित किया गया। क्रमशः 38, 29, 38, 0, 10, 0 तीन चरणों के कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गए। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में क्रमशः.रू0 25.85, रू0 17.86, रू0 13.78, रू0 0.00, रू0 9.01, रू0 0.00 लाख धनराशि का व्यय किया गया।

(र) राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशनः–

➢ **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम :–** इस योजना में वर्षा आधारित क्षेत्रों में विकास हेतु कृषि आधारित फसल प्रणाली पशुपालन/दुग्ध आधारित फसल कार्यक्रम उद्यान आधारित कार्यक्रम आयोजित किये गये है। जिसमें सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदर्शन आयोजित कराये गये है, वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद

नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, में क्रमशः 2, 3, 8, 2, 3 क्लस्टरों में चयनित कृषकों को लाभान्वित किया गया। उक्त कार्यक्रम में कृषकों को कृषि व रेखीय विभागों सम्बन्धी जानकारी हेतु, सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण/भ्रमण आयोजित कराये गये। जिसमें क्रमशः40, 80, 140, 80, 60 कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। योजना के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक जल सम्भरण टैंक का निर्माण कराया गया। साथ ही जल सम्वहन पाइप का भी वितरण किया गया। उक्त योजना अन्तर्गत क्रमशः रू0 43.96, रू0 66.23, रू0 96.84, रू0 55.18, रू0 20.68 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

➢ **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना :–** उक्त योजना के अन्तर्गत मृदा परीक्षण/विश्लेषण के महत्व व उपयोगिता को बढ़ाया देने हेतु, वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 5410, 2074, 4002, 1480, 1241, 23360 मृदा नमूना एकत्रीकरण/विश्लेषण के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 15059, 32689, 54577, 12456, 10082, 23900 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये। उक्त कार्यक्रम हेतु क्रमशः.रू0 10.35, रू0 4.16, रू0 7.47, रू0 2.88, रू0 2.88, रू0 3.83 लाख की धनराशि व्यय की गई।

➢ **परम्परागत कृषि विकास योजना :–** परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, में क्रमशः 15, 32, 55, 25, 20 चयनित कलस्टरों में जैविक कलस्टर बनाने हेतु योजना का क्रियान्वयन किया गया। योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 55.86, रू0 113.95, रू0 179.13, रू0 80.57, रू0 73.35 लाख व्यय किया गया। पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण हेतु अभिलेखीकरण मद में क्रमशः 750, 800, 1500, 1000, 1000 कृषकों का अभिलेखीकरण कार्य किया गया। मृदा नमूना एकत्रीकरण मद में क्रमशः 315, 300, 500, 525, 420 नमूनों का विश्लेषण किया गया। योजनान्तर्गत क्रमशः 371, 805, 2204, 408, 525 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट निर्मित किये गए, जिस पर क्रमशः रू0 18.55, रू0 41.50, रू0 110.20, रू0 20.40, रू0 26.25 लाख की धनराशि व्यय की गयी, तथा क्रमशः 298, 650, 1150, 0, 548 एकड़ क्षेत्र हेतु फॉस्फेट रिच जैव खाद का वितरण किया गया।

2. राज्य सैक्टरः–

(क) अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम :– इसके अन्तर्गत वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में मृदा परीक्षण, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, अतिरिक्ति सिंचन क्षमता सृजन, बहुउद्देशीय टैंक, कृषि यंत्र वितरण, प्रशिक्षण इत्यादि मद अन्तर्गत क्रमशः रू0 30.00, रू0 31.01, रू0 29.99, रू0 23.00, रू0 20.00, रू0 25.00 लाख व्यय किया गया।

(ख) स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम :– उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में मडुवा की फसल को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 200.00 रू0 प्रति कुन्टल की दर से मडुवा बोनस वितरण कार्यक्रम संचालित किया गया। जिसमें वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः 4, 22, 48, 8, 5 एफ0आई0जी0 कृषक समूह के माध्यम से क्रमशः.रू0 6.00, रू0 20.11, रू0 89.06, रू0 12.32, रू0 15.05 लाख की धनराशि वितरित की गई। उक्त योजना के माध्यम से क्रमशः 1479, 5373, 25677, 9185, 3125 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

जिला योजना :–

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में चयनित ग्रामों में कृषकों/कृषक समूहों में बीज मिनिकिट वितरण, कृषि यंत्र वितरण एवं अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य सम्पादित कराये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

1. बीज मिनिकिट वितरण :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में के चयनित ग्रामों में क्रमशः 352, 0, 19670, 1000, 0, 0 कृषकों को विभिन्न फसलों की अधिक उपजदायी नवीनतम प्रजातियों के बीज मिनी किट वितरित किये गये। इस प्रकार उक्त कार्यक्रम पर क्रमशः रू0 1.00, रू0 0.00, रू0 5.95, रू0 2.00, रू0 0.00, रू0 0.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी

2. कृषि यंत्र वितरण :– इस कार्यमद के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर के चयनित ग्रामों में कृषकों/कृषक समूहों को कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रकार के मानव चालित बैल चालित एवं शक्ति चालित कृषि यंत्रों यथा विवके स्याही हल, पावर वीडर, पावर टिलर, मडुवा थ्रेसर एवं नैपसैप स्प्रेयर आदि का 80 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा तक अनुमन्य अनुदान पर वितरण कर क्रमशः 0, 4807, 161, 13, 1863, 0 कृषकों/कृषक समूहो को लाभान्वित किया गया, जिस पर क्रमशः रू0 0.00, रू0 5.00, रू0 33.80, रू0 10.00, रू0 34.20, रू0 0.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

3. अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :– इस कार्य मद के अन्तर्गत उत्पादकता में वृद्धि लाने एवं चयनित ग्रामों के कृषकों/कृषक समूहों की आजीविका में सुधार लाने हेतु क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बहुउद्देशीय टैकों का निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, गूल निर्माण एवं सुरक्षा दीवार आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित कराकर वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः.रू0 25.23, रू0 22.51, रू0 11.84, रू0 0.00, रू0 22.95, रू0 11.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी। योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 15.00, रू0 0.00, रू0 3.41, रू0 2.25, रू0 2.00, रू0 49.00 लाख की धनराशि पौंध सुरक्षा कार्यक्रम हेतु व्यय की गयी। इस मद अन्तर्गत क्रमशः 2129, 0, 5965, 1125, 400, 15556 है0 क्षेत्रफल में कार्यक्रम का संचालन करते हुए कृषकों को लाभान्वित किया गया।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2016–17 में उर्वरक का उपभोग (मै0टन में) निम्नानुसार रहा :–

क्रम संख्या	जनपद का नाम	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटाश	योग
1	पिथौरागढ़	234.24	127.34	24.98	386.56
2	अल्मोड़ा	98.62	44.63	11.74	154.99
3	नैनीताल	7767.57	1009.48	364.86	9141.91
4	ऊधमसिंह नगर	27569.00	7522.00	2788.00	37879.00
5	बागेश्वर	252.00	79.00	16.00	347.00
6	चम्पावत	327.73	82.40	35.84	445.97
योग मण्डल		36249.16	8864.85	3241.42	48355.43

कुमायूँ मण्डल में सकल बोये गये क्षेत्रफल वर्ष 2015–16, 578496 हैक्टेयर के आधार पर में उर्वरक का उपयोग प्रति है0 0.08 मै0टन है। सर्वाधिक प्रति है0 0.15 मै0टन उर्वरक का उपयोग जिला ऊद्यम सिंह नगर में तथा सबसे कम प्रति है0 0.0013 मै0टन उर्वरक का उपयोग जिला अल्मोड़ा में हैं। जनपद ऊधमसिंह नगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी होने के कारण अधिकांश भाग में कृषि होती है। अतः ऊधमसिंह नगर में उर्वरक का उपभोग सर्वाधिक है। पर्वतीय सम्भाग में अधिकांश भूमि असिंचित होने के कारण उर्वरक का उपयोग कम है।

कृषि जोतों का आकार :–

कृषि गणना 2010–11 के अनुसार कुमायूँ मण्डल के जनपदों में भूमि जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल हैक्टेयर में निम्न प्रकार है :–

मण्डल / जनपद	0.5 है0 से कम		0.5 से 1.0 है0		1.0 से 2.0 है0	
	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)
1	2	3	4	5	6	7
पिथौरागढ़	45971	12706.66	24603	16976.05	7881	10669.42
अल्मोड़ा	43532	12887.57	38511	27853.65	22451	30576.95
नैनीताल	21987	6670.77	12247	9804.73	9637	14450.52
ऊधमसिंहनगर	44014	9628.00	20523	14355.96	20213	27664.95
बागेश्वर	34858	8507.46	13998	9426.99	4479	5742.04
चम्पावत	15848	5122.47	11542	8566.41	6517	9381.81
योग मण्डल	**206210**	**55522.93**	**121424**	**86983.79**	**71178**	**98485.69**

मण्डल / जनपद	2.0 है0 से 4.0 कम		4.0 से 10.0 है0		10.0 तथा उससे अधिक		कुल जोतों की संख्या	
	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)
	8	9	10	11	12	13	14	15
पिथौरागढ़	1335	3369.67	55	277.48	1	18.25	79846	44017.53
अल्मोड़ा	4570	11578.28	201	1000.16	3	48.31	109268	83944.92
नैनीताल	5069	13774.98	1556	8709.17	167	2484.22	50663	55894.39
ऊधमसिंहनगर	14804	40490.99	6793	37804.70	512	15899.19	106859	145843.79
बागेश्वर	503	1269.69	30	144.27	1	12.44	53869	25102.89
चम्पावत	2113	5803.24	244	1226.13	10	165.89	36274	30265.95
योग मण्डल	**28394**	**76286.85**	**8879**	**49161.91**	**694**	**18628.30**	**436779**	**385069.47**

जहॉ तक जोतों के आकार का प्रश्न है, पर्वतीय भू–भाग में एक ओर तो जोतें छोटी है दूसरी ओर जोत के अर्न्तगत आने वाले खेत भी छोटे–छोटे व ढालदार हैं।

कृषि गणना वर्ष 2010–11 के अनुसार मण्डल की लगभग 75.01 प्रतिशत जोतों का आकार एक है0 से कम है। लगभग 16.30 प्रतिशत जोतों का आकार एक से दो है0 के बीच, 8.53 प्रतिशत जोतों का आकार दो है0 से दस है0 के बीच तथा 0.16 प्रतिशत जोतों का आकार दस है0 से ऊपर है। मण्डल की भॉति जनपदों में भी जोतों के वितरण की लगभग यही स्थिति है।

उक्त के अलावा एक है0 तक की जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल मात्र 37.01 प्रतिशत क्षेत्र हैं जबकि 25.57 प्रतिशत क्षेत्र एक से दो है0 क्षेत्रफल वाली जोतों के बीच है, 32.58 प्रतिशत क्षेत्र दो से दस है0 तक की जोतों, एवं शेष 4.84 प्रतिशत दस है0 से अधिक जोतों के अन्तर्गत हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में प्रदेश के सबसे बड़े निजी कृषि फार्म (प्राग फार्म) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के फार्म (कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, सितारगंज जेल, हेमपुर का आर्मी फार्म) स्थित है।

अध्याय – 6

उद्यान

कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद न होने के कारण जनपद उद्यान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। औद्यानिक कार्यक्रम से लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। इन उद्यानों की मुख्य समस्या समीपस्थ विपणन केन्द्रो का न होना है। जिससे उद्यानपतियों/सब्जी उत्पादकों को अपना उत्पादन बिक्री हेतु काफी दूर ले जाना पड़ता है। मौसमी फलों सब्जियों आदि के उचित भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण उद्यानपतियों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री का उचित मूल्य प्राप्त नही होता है। जिस कारण उद्यानपतियों/कृषको को आर्थिक नुकसान के साथ–साथ मौसमी फलो, सब्जियों आदि का नुकसान होता है। विगत कई वर्षो से औद्यानिक फसलों में जंगली जानवरों यथा बन्दरों, सुअरों एवं नील गाय द्वारा काफी नुकसान होने से कृषकों को आर्थिक क्षति हो रही है।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 38 राजकीय उद्यान, 34 नर्सरी, 127 उद्यान सचल दल केन्द्र, 18 फल संरक्षण केन्द्र हैं।

जिला योजना

स्पेशल कम्पोनेंट योजना :– जिला योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 50% राज सहायता पर 8.59 है0 क्षेत्रफल मे मुख्यतया आम व नीबू प्रजाति के फल पौधों का रोपण किया गया है। जिसमें वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 132 कृषकों को लाभान्वित किया गया। 50% राज सहायता पर 1092.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल में पौध सुरक्षा कार्य कराया गया। जिसमें 2710 कृषको को लाभान्वित किया गया। 75 प्रतिशत राज सहायता के अन्तर्गत 2046.30 हैक्टेयर क्षेत्रफल में कुरमुला नियंत्रण का कार्य कराया गया, जिसके अन्तर्गत 1589 कृषको को लाभान्वित किया गया। पाली हाउस (30X11X9) वर्ग फीट में 38 पाली हाउस निर्माण कराये गये। जिसमें 90% राज सहायता लाख रू0 15.03 राज सहायता से 38 कृषकों को दी गयी। 827.00 कुन्टल आलू बीज 1419 कृषको में वितरण करवाया गया। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के अन्तर्गत 328.00 कुन्तल, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण कार्य तथा कुल 426 प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण दिया गया। औद्यानिक औजार वितरण के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राजसहायता पर 352 औद्यानिक औजार वितरण किये गये, जिससे 352 कृषको को लाभान्वित किया गया। पोस्ट हार्वेस्ट योजनान्तर्गत 1677 प्लास्टिक क्रेट्स का वितरण कर 1256 कृषको को लाभान्वित किया गया।

सामान्य योजना :– योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 5314.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल में पौध सुरक्षा कार्य किया गया। जिसस 8889 कृषको को लाभान्वित किया गया, 1249.60 है0 क्षेत्रफल में 75% राजसहायता में कुरमुला कीट नियंत्रण का कार्य किया गया, जिसके अन्तर्गत 1721 कृषक लाभान्वित हुये, 174 पाली हाउस 90% राज सहायता का निर्माण करवाया गया। जिसके अन्तर्गत 174 कृषकों को लाभान्वित किये गये। सब्जी प्रसंस्करण के अन्तर्गत 929.84 कुन्तल फल प्रसंस्करण कार्य करवाया गया जिसमें 12940 कृषकों लाभान्वित हुवे

तथा 1168 प्रशिक्षार्थियों को फल एवं सब्जी प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया गया है। औद्यानिक औजार वितरण के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राजसहायता पर 1908 औद्यानिक औजार वितरण किये गये, जिससे 1592 कृषको को लाभान्वित किया गया। पोस्ट हार्वेस्ट योजनान्तर्गत 1623 प्लास्टिक क्रेटस का वितरण कर 732 कृषको एवं 52200 कोरोगेटेड बाक्स वितरित कर 1305 कृषको को लाभान्वित किया गया।

राज्य सैक्टर

➢ राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में कृषको के पूर्व स्थापित उद्यानों को जंगली जानवरों/पालतू जानवरों से सुरक्षा हेतु 0.49950 लाख रू0 प्रति हैक्टयेर 75% राज सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष में 108 कृषकों के उद्यानों में 45.20 हैक्टेयर में एगिल आयरन/वायर की फैन्सीगल लगाकर व्यक्तिगत उद्यानों का घेरबाड़ किया गया है, 5644 उद्यान कार्डो का पंजीकृत किया गया।

➢ **उद्यानों का जीर्णोद्धार :–** उद्यानों का जीर्णोद्धार के अन्तर्गत 25.00 हैक्टेयर क्षेत्र में पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया, जिससे 39 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

➢ **ग्रीन हाउस की पालीथीन बदलाव योजना :–** ग्रीन हाउस की पालीथीन बदलाव योजना के अन्तर्गत 19946.00 वर्ग मी0 में पुराने पाली हाउसों की पालीथीन का बदलाव कर 74 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

➢ **वृहद फल पौध रोपण :–** वृहद फल पौध रोपण के अन्तर्गत 1.12395 लाख निःशुल्क फल पौध का रोपण कर 10589 कृषको को लाभान्वित किया गया।

➢ **एप्पल मिशन योजना :–** योजनान्तर्गत 0.80 है0 में सघन पद्धति से आयतित उन्नत प्रजाति के पौधो का जनपद नैनीताल व अल्मोड़ा में एक–एक कृषक कुल 02 कृषकों के उद्यानों में रोपण किया गया, जिस पर लाख रू0 19.20 राजसहायता प्रदान की गई।

➢ **अखरोट मिशन योजना :–** योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल में 2.00 है0 क्षेत्रफल में अखरोट पौधो का रोपण कर 03 कृषकों को लाभान्वित किया गया, जिस पर लाख रू0 9.08 व्यय किया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :– इस योजनान्तर्गत 44.72 कुन्तल पालक, फ्रैचबीन, लौकी, तुरई, खीरा, करेला, कद्दू मैरो तथा 258.00 कुन्टल हल्दी, 639.00 कुन्टल अदरख, 935.00 कुन्टल आलू बीज 50% राज सहायता पर 8390 उद्यानपतियों में वितरित किया गया ।

नमसा योजना :– नमसा योजनान्तर्गत 119.96 हैक्टेयर क्षेत्रफल में बन्दगोभी, टमाटर, फ्रैचबीन सब्जी उत्पादन के 50% राज सहायता पर प्रदर्शन उपलब्ध कराकर 5510 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

हार्टिकल्चर टेक्नोलाजी मिशन (HMNEH) :–

फल पौध क्षेत्रफल विस्तार :– एच0एम0एन0ई0एच0 योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में निम्नानुसार औद्योनिक कार्य करवाये गये।

➢ **फल पौध क्षेत्रफल विस्तार :–** इस योजना के अन्तर्गत आम 61.00 है0, सेव 14.00 है0, अनार 3.00 है0, आडू 45.00 है0, लीची 80.00 है0, अखरोट 2.00 है0, नीबू प्रजाति 21.00 है0, अमरूद 23.00 है0, आवला 8.00 है0 कुल 257 है0 क्षेत्रफल में पौध रोपण कार्य करवाया गया। द्वितीय एवं तृतीय किस्त के अन्तर्गत 108 है0 क्षेत्रफल में फल पौध रोपण (गैप फिलिंग) का कार्य करवाकर कृषको को लाभान्वित किया गया।

➢ **सब्जी क्षेत्रफल विस्तार :–** हाइब्रिड सब्जी प्रदर्शन(टमाटर,बन्दगोभी,शिमला मिर्च) 252.00 है0 क्षेत्रफल में किया गया, जिससे 2181 कृषकों का लाभान्वित किया गया।

➢ **मसाला क्षेत्रफल विस्तार :–** मसाला (मिर्च, हल्दी, अदरख) 132 है0 क्षेत्र में मसाला उत्पादन का कार्य करवाया गया, जिससे 820 कृषको को लाभान्वित किया गया।

➢ **पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार :–** योजनान्तर्गत (नीबू, आम, सेव एवं आडू) कुल 36.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल में पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार करवाया गया। 78 कृषकों लाभान्वित किये गये।

➢ **वर्मी कम्पोस्ट मशीन :–** 40 वर्मी कम्पोस्ट पीट का निर्माण 50 प्रतिशत राज सहायता पर किया गया। जिसके अन्तर्गत 40 उद्यानपतियों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना :–

वर्ष 2016–17 में उद्यानपतियों का चयन कर 48 पाली हाऊसों का निर्माण करवाया गया, जिस पर रू0 36.637 लाख व्यय किया गया।

आतमा परियोजना :–

वर्ष 2016–17 में इस योजनान्तर्गत जनपदो को रू0 6.687 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। जिससे कृषको को जनपदो से बाहर भम्रण, सब्जी प्रदर्शन, मेला एवें सेमिनारों का आयोजन तथा फार्म स्कूलों को धनराशि उपलबध करायी गयी, जिसमे प्रशिक्षण/भम्रण पर रू0 1.972 लाख व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष 269 कृषक लाभान्वित हुए एंव 27 सब्जी प्रदर्शन कराकर रू0 1.305 लाख व्यय किया गया। तथा रू0 0.80 लाख मेला/सेमिनार व रू0 2.61 लाख फार्म स्कूलों पर व्यय किया गया।

उन्नत किस्म की रोपण सामग्री हेतु पौधालय प्रक्षेत्रों का विकास – इस योजना के अर्न्तगत मण्डल के अधीन जनपदों में औद्यानिक विकास को गति प्रदान करने हेतु संचालित विभिन्न राजसहायता की योजनाएं सम्मिलित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष 2017–18 हेतु लाख रू0 125.00 परिव्यय प्रस्तावित है। योजनावार प्रस्तावित परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

फल पौध, सब्जी बीज एवं पौध, आलू बीज वितरण एवं परिवहन पर राज सहायता :– इस योजना का उद्देश्य सभी उद्यानपतियों को फल पौध, सब्जी बीज व पौध रसायनिक दवायें/औजार एक ही दर पर उपलब्ध कराना है। अतः उक्त इनपुटस् को उद्यान सचल दल केन्द्रों/विकास खण्ड़ स्तर तक पहुंचाने हेतु ढुलान पर शत–प्रतिशत राज सहायता दी जाती है, जिस हेतुरू0 32.00 लाख व्यय प्रस्तावित किया गया है।

औद्यानिक फसलों पर कीट व्याधि की रोकथाम :– इस योजनान्तर्गत जनपद के फल/सब्जी उत्पादकों को उनकी फसलों को कीट–व्याधि से बचाने हेतु 50 प्रतिशत राज सहायता पर कीट–व्याधि रसायन कृषकों की मांगानुसार निकटतम उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं,जिस हेतुरू0 58.00 लाख व्यय प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के अर्न्तगत जनपद के विकासखण्ड रामनगर, हल्द्वानी, कोटाबाग हेतु आम फसल को मैंगोसूटगाल से बचाने हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर कीट/व्याधिनाशक रसायन उपलब्ध कराये जाते हैं। जिस हेतु रू0 4.00 लाख का परिव्यय भी इस योजना में सम्मलित किया गया है।

औद्यानिक औजार संयंत्रों पर राज सहायता :– इस योजनान्तर्गत औद्यानिक कार्यो जैसे कटाई, छटाई एवं कीट व्याधि के छिडकाव आदि कार्यो हेतु कृषकों को उन्नत किस्म के औद्यानिक औजार/संयंत्र 50 प्रतिशत राज सहायता पर उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषक अपने उद्यानों में आवश्यक कटाई, छटाई का कार्य सुगमतापूर्वक कर सकेगें। इस वर्षरू0 13.00 लाख व्यय प्रस्तावित है।

कुरमुला कीट के विरुद्ध अम्लीय भूमि सुधार :– जनपदो के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खण्ड़ों में कुरमुला कीट बहुतायत मे पाया जाता है। जिस कारण कृषकों की आलू एवं सब्जियों की फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है। अतः आलू/सब्जी फसल को कुरमुला कीट के नुकसान से बचाने के लियें कीटनाशक रसायन 75 प्रतिशत राज सहायता पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिस हेतुरू0 11.00 लाख व्यय प्रस्तावित है।

50 प्रतिशत राज सहायता पर हल्दी, अदरक, ग्लेडियालाई बल्ब, सब्जी बीजों का वितरण – जनपदो के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खण्ड़ों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सब्जी बीजों पररू0 11.00 लाख व्यय प्रस्तावित है।

फल /सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना – इस योजनान्तर्गत 2 योजनाएं सम्मिलित की गई है जिसके अन्तर्गत कुलरू0 183.00 लाख व्यय प्रस्तावित है।

फलों की पैकिंग में कोरोगेटेड बक्सों का प्रोत्साहन :– जनपदो में लगभग 377062.15 मै0टन फलों का उत्पादन हो रहा है तथा उत्पादित फल, विपणन हेतु देश–प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में भेजा जा सकता है। वर्तमान में फलों की पैकिंग हेतु लकड़ी के बक्सों का प्रयोग हो रहा है चूंकि लकड़ी की उपलब्धता बहुत कम हो गई है। अतः लकड़ी के बक्सों के स्थान पर कोरोगेटेड बक्से उपलब्ध कराये जायेगें। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गतरू0 102.00 लाख व्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उत्पादन स्तर से (फील्ड से) गोदाम तक फलो/सब्जियों को सुरक्षित लाने हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर प्लास्टिक क्रेट्स क्रय कर उपलब्ध कराये जायेगे।

फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण में प्रशिक्षण :– कृषकों /उद्यापतियों को फल सब्जियों के प्रसंस्करण पर विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा सात दिवसीय रू0 350/– प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रशिक्षण का प्राविधान है। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गतरू0 81.00 लाख व्यय प्रस्तावित है।

प्रदेश के अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्रों मे औद्यानिक विकास – योजनान्तर्गत अनु0जाति/जनजाति के कृषको को औद्यानिक फसलों को व्यवसायिक रुप प्रदान करने के लिए औद्यानिक फसलों पर 50 प्रतिषत अनुदान दिया जायेगा। आलोच्य वर्ष में आलू विकास पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 20000/–प्रति हैक्टर की दर से राज सहायता दी जायेगी जिस पर रू0 5.25 लाख व्यय प्रस्तावित है।

कीटव्याधि की रोकथाम पर 50%की राजसहायता :– जनपदो में औद्यानिक फसलों जैसे फलों, सब्जियों, आलू, व मसाला फसलों के उत्पादन में लगने वाले कीड़ो व बीमारियों से फसल को बचाने हेतु कृषकों को 50% राजसहायता पर सभी प्रकार के कीट/व्याधिनाशक रसायन उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे कृषकों की फसलों को कीटों से होने वाली क्षति को बचाते हुए अधिक आर्थिक आय अर्जित की जा सके।

कुरमुला कीट नियन्त्रण पर 75%राजसहायता :– कुरमुला कीट जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिक फसलों जैसे सब्जी, आलू, अदरक व फलदार पेड़ों को जमीन के अन्दर रहकर विशेष रूप से हानि पहुॅचाता हैं इसकी रोकथाम न होने की स्थिति में फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। कुरमुला कीट का यदि नियन्त्रण न किया गया तो ये आगे बोयी जाने वाली फसलों को भी क्षति पहुॅचाता हैं। जिसके नियन्त्रण हेतु विभाग द्वारा 75% राजसहायता पर कृषकों को कीटनाशक रसायन उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे कृषकों को निश्चित रूप से काफी लाभ हो रहा हैं। कुरमुला कीट नियन्त्रण होने से सब्जी उत्पादन का कार्य काफी अच्छी प्रगति में हैं। वर्ष 2016–17 में जनपद में 1997.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल में कुरमुला कीट का नियन्त्रण किया गया हैं।

औद्यानिक औजार वितरण पर 50%राजसहायता :– औद्यानिक फसलों के उत्पादन में काम आने वाले सभी प्रकार के औजार व संयन्त्रों जैसे स्प्रे मशीन, स्केटियर, आरी, बडिंग ग्राफटिंग चाकू आदि संयंत्र 50% राजसहायता पर कृषकों को जनपद में स्थित उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। जनपदो में औद्यानिक कार्यो की गुणात्मक प्रगति के कारण औद्यानिक औजार/संयंत्रों की मॉग प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं। वर्ष 2016–17 में 1421 औद्यानिक औजारों का वितरण उक्त योजनान्तर्गत कृषकों को किया गया हैं।

औद्यानिक फसलों के व्यवर्तनीकरण पर 50% राजसहायता :– इस योजना के अन्तर्गत हल्दी एवं अदरक बीज 50% राजसहायता पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 427 कु0 अदरक बीज व उन्नत किस्म की 258.00 कु0 हल्दी बीज का वितरण कृषकों में किया गया हैं।

चयनित क्षेत्रो में विभिन्न फल पट्टी का समुचित विकास :– इस योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 58.00 है0 में आम, लीची, अमरूद पौधो का रोपण किया गया हैं।

1. फल पौध, सब्जी बीज, कीट रसायन, आलू के परिवहन रा0सहा0।
2. औद्यानिक औजार संयन्त्रो के वितरण पर 50 प्रति0 रा0 सहा0 योजना।
3. कृषको/उद्यान मालिको को फल सब्जियो के प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षण योजना
4. चयनित क्षेत्रो में विभिन्न फलो एवं पट्टियो के समन्वित विकास की योजना।
5. औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशो पर रा0सहा0 योजना।
6. औद्यानिक फसलो पर कीट व्याधि की रोकथाम पर 50 प्रतिशत रा0 सहा0 योजना।
7. चयनित विकास खण्डो में महिलाओ को औद्यानिक प्रशिक्षण योजना।
8. फल सब्जी उत्पादो को प्रोत्साहन हेतु कोरोगेटेड बॉक्स का वितरण योजना।
9. आलू एवं सब्जी की फसल पर 75 प्रति0 अनुदान पर कुरमुला नियंत्रण।
10. आलू उत्पादन योजना।
11. औद्यानिक फसलो पर 50 प्रति0 रा0 सहा0 पर व्यवर्तीकरण की योजना।
12. फल पौध स0 बीज कीट रसायन आलू के परिवहन पर रा0 सहा0।
13. औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर रा0 सहा0।

2-HMNEH

1. एच0 एम0एन0ई0एच0 योजनान्तर्गत क्षेत्रफल विस्तार योजना में आम, लीची, सेव, आड़ू फल पौधो का रोपण 226.00 है0 क्षे0 में किया गया, जिसमें 513 कृषक लाभान्वित किये गये।
2. सब्जी हे0क्षे0 विस्तार में बन्दगोभी, फूलगोभी, टमाटर, शिमलामिर्च 207.00 है0 क्षे0फ0 में 1976 काश्तकारो को लाभान्वित किया गया।
3. मसाला क्षे0फ0 विस्तार में 63.28 कुन्तल लहसुन बीज वितरण किया गया जिसमें 1588 कृषक लाभान्वित किये गये।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त 40 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, 02 बोरवैल, 2000 वर्ग मी0 ऐन्टीहैलनैट, 02 सिचाई टैंक, 22 पावर टीलर एवं टैक्टर वितरित कर कृषको को लाभान्वित किया गया।

अध्याय – 7

वन

कुमायूँ मण्डल में अधिकांश क्षेत्र वनों से आच्छादित हैं। भूमि उपयोग के आंकड़े वर्ष 2015–16 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 63.41 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत हैं। कुमायूँ मण्डल में 60.23 प्रतिशत क्षेत्र तथा गढवाल मण्डल में 65.45 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में से सर्वाधिक 73.10 प्रतिशत जिला नैनीताल तथा सबसे कम 33.30 प्रतिशत जिला ऊधमसिंह नगर वन क्षेत्र के अन्तर्गत है। पिथौराढ़ में 72.33 प्रतिशत, बागेश्वर में 52.99 प्रतिशत, अल्मोड़ा में 50.80 प्रतिशत तथा चम्पावत में 56.74 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत हैं। पर्वतीय क्षेत्र के संरक्षण हेतु कम से कम 66 प्रतिशत क्षेत्रफल में वनों का होना आवश्यक है। इस दृष्टि से वनों के सघनीकरण एवं विस्तार की नितान्त आवश्यकता है।

वन उत्पादन :– पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किस्म के वृक्ष पाये जाते हैं, जिसमें चीड़, बाज, देवदार, तुन, बुरूश, काफल, अयारपांगर आदि प्रमुख हैं। भाबर क्षेत्र में साल, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस, पापुलर, सेमल, गुटेर एवं बाकुली की प्रजातियों के वृक्ष प्रमुख हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा निकाल कर इसका निर्यात व्यापक रूप से होता है। लीसा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है जिससे तारपीन का तेल व विरोजा तैयार किया जाता है इसके अतिरिक्त चीड़ की लकड़ी गृह निर्माण, फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। बांज की पत्तियां पशुचारा के रूप में प्रयुक्त होती है तथा लकड़ी से कोयला बनाया जाता है। बांज का वृक्ष जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर की लकड़ी कत्था उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साल, शीशम एवं सागौन, चीड़, देवदार इमारती लकड़ी के रूप में प्रयुक्त होते है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले वृक्षो का अधिकांश भाग मण्डल से बाहर भेजा जाता है जिसके कारण वन आधारित उद्यम इस क्षेत्र में विकसित नहीं हुए हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का विकास आर्थिक उन्नति हेतु आवश्यक है। वनों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियॉ भी पाई जाती हैं। जिसमें तेज पत्ता, कपूर कवली, समीघा, पाषण भेद, वन हल्दी, गुणवन्ता, कुटकी, बण्डा, सालमसंजा, सालम मिश्री एवं गंधारामण आदि प्रमुख है। ये अधिकांश मात्रा में मण्डल से बाहर निर्यात की जाती है। उत्तराखण्ड राज्य में जड़ी बूटी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग जड़ी बूटी के रोपण का कार्य बृहत रूप से कर रहा है।

घने जंगलों में पशु पाये जाते है जिसमें बाघ, भालू, घुरड़, काकड़, हिरन प्रमुख हैं। पहले इन जंगलों में शेर तथा हाथी भी काफी संख्या में पाये जाते थे किन्तु धीरे–धीरे जंगलों के कटने व इनके निकट बस्तियॉ हो जाने तथा जंगलों के बीच लोगों का आवागमन हो जाने से अब जंगली पशुओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। वन विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा के लिये कई प्रबन्ध किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थान सुरक्षित रखे गये है। जिसमें कार्बेट नेशनल पाक्र ढिकाला (रामनगर) एक प्रमुख सुरक्षित क्षेत्र है जो देश–विदेश के पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र है। जनपद अल्मोड़ा में बिनसर अभ्यारण्य तथा पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। नैनीताल तथा अल्मोड़ा में चिड़ियाघर भी स्थापित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

वन राजस्व – वन क्षेत्र में सूखे, गिरे पेडों के प्रकाष्ठ, लीसा विदोहन, जडी बूटी से प्राप्त राजस्व, अवैध वाहनो के प्रवेश, अवैध कटान एवं चुगान आदि पर जुर्माना वन विभाग की आय का प्रमुख श्रोत है।

हक हकूक – पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों को वन प्रभाग द्वारा ग्रामीणों की आवश्यक्तानुसार उनका हक हकूक दिया जाता है।

प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निस्तारण में लागू नये नियम/अधिनियम – भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओ/उपधाराओं के प्राविधानो के अनुसार वनो का रखरखाव किया जाता है। बढती जनसंख्या एवं बढते हुए जैविक दबाव के फलस्वरूप घटते हुए वन तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु वनो पर निर्भरता पर्यावरण संरक्षण में प्रतिकूल परिस्थितिया है। इस क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संशोधित अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तराखण्ड वन नियमावली 2001 – उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग 3155/1–व0ग्रा0वि 2001–बी(15) 2001 देहरादून दिनांक जुलाई, 3. 2001 ,द्वारा लागू है। जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के अधीन पंचायत वन नियमावली 1976 का अतिक्रमण कर नई नियमावली लागू की गई है। पंचायती वनों का रखरखाव व नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों व सरपंचों को दी गई है, जो जिला वन पंचायत विकास अधिकारी के सहयोग से पंचायती वनो का विकास एवं संवर्द्धन करेंगे।

भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2001 – उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 240 विभागीय एवं संसदीय कार्य 2002 देहरादून 1 अगस्त 2002 के विविध अधिसूचना अन्तर्गत भारत संविधान के अनुच्छेद 2000 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2001 को दिनांक 17.07.2002 को अनुमति प्रदान की।

इसके अन्तर्गत अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2002 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं 26, 33, 42, 52, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 77, 79, 82 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किए है। प्रभागीय वनाधिकारी को अवैध कार्यो में लिप्त वाहनों के अधिग्रहण सम्बन्धी एवं अतिक्रमित भूमि में बेदखली सम्बन्धी कार्य हेतु मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदत किए गए है।

अध्याय – 8

पशुपालन

पशुपालन इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन व्यवसाय है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो वर्तमान समय में भी यह व्यवसाय कृषि के बाद दूसरा मुख्य व्यवसाय है। यहॉ लगभग हर घर में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते आदि पालतू जानवरो को देखा जा सकता है।

पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार कुमायूँ मण्डल में 2241229 पशु हैं। कुल पशुधन में 905719 गौवंशीय, 460902 महिषवंशीय, 32 याक, 661114 बकरे–बकरियां, 70929 भेड़ें, 4316 सुअर, 15949 घोड़े, गधे, टट्टू तथा 122268 अन्य पशु हैं। कुक्कुटों की संख्या 3909847 है।

जनपद में पशु चिकित्सा, पशुधन विकास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है, जो कि निम्नवत है–

1 पशु चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ्य :– वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 28, 31, 37, 13, 10, 23. पशु चिकित्सालय, सभी जनपदों में एक–एक सचल पशु चिकित्सालय, क्रमश 98, 62, 104, 23, 33, 71 पशुसेवा केन्द्र, क्रमशः 106, 42, 69, 30, 24, 95 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र, जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, में क्रमशः 18, 3, 9, भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित है। जिनके माध्यम से जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 575202, 368201, 370133, 192294, 140761, 593777 पशुओं की चिकित्सा/बांझपन चिकित्सा की गयी एवं क्रमशः 380918, 157756, 171017, 155143, 33998, 440702 पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीके लगाये गये।

2 पशुधन विकास एवं नस्ल सुधार :– वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमश 98, 62, 104, 23, 33, 71 पशु सेवा केन्द्रों, तथा क्रमशः 106, 42, 69, 30, 24, 95 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/उपकेन्द्रों के माध्यम से पशु प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराई गयी। वर्ष 2016–17 में क्रमशः 37041, 19758, 13507, 11759, 5385, 69173 गायों/भैसों को प्रजनन सुविधा दी गयी जिसके फलस्वरुप क्रमश 19462, 10530, 5152, 6125, 2723, 34759 संतति उत्पन्न हुई तथा जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 17176, 17141, 16138, 8965, 7381, 14096 निकृष्ट सांडों का बधियाकरण किया गया। इसके साथ साथ जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 380918, 157756, 17117, 155143, 22643, 440702 पशुओं का विभिन्न महामारियों/बीमारियों के बचाव हेतु टीकाकरण किया गया।

3 कुक्कुट विकास :– वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 1500 कुक्कुट पक्षियों की क्षमता वाले 3 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र हैं इनमें 3 संघन कुक्कुट विकास परियोजना चलाई जा रही है। कुक्कुट प्रक्षेत्र से वर्ष 2016–17 में 215219 क्रायलर प्रजाति के कुक्कुट चूजों का वितरण किया गया तथा विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत

कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमश 973980, 296390, 170965, 144035, 86000, 665165 अन्य कुक्कुट चूजों का वितरण किया गया।

4 भेड़ विकास :– वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 30 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र कार्यरत है, जिनके माध्यम से स्थानीय भेड़ो में नस्ल सुधार एवं चिकित्सा/ टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। भेड़ एवं भेड़ पालकों का बीमा न्यूनतम प्रीमियम पर किया जा रहा है।

5 चारा विकास कार्यक्रम :– वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा में एक चारा अनुसंधान प्रक्षेत्र कार्यरत हैं। प्रक्षेत्रों पर विभिन्न बहुवर्षीय उन्नतशील चारा घासों जैसे दोलनी, गुच्छी, ब्रोम, राई घासों के बीज/रूट स्टाक के साथ ही नैपियर घास के रूट स्टाक का उत्पादन किया जाता है। वर्ष में प्रक्षेत्र पर चारा बीज, हरा चारा, सूखा चारा उत्पादन एवं जड़–क्लोन्स/रूट स्टाक रूम द्वारा वितरण/विक्रय विभिन्न राजकीय विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया गया।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 11, 9, 19, 4, 3, 6 चारा बैकों/उप चारा बैकों के माध्यम से पशुपालकों को चारा फीड ब्लाक का भी वितरण किया जाता है।

1–पशुचिकित्सा :–

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	575202	368201	370133	192294	140761	593777

2– बधियाकरण :–

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	17176	17141	16138	8965	7381	14096

3– टीकाकरण :–

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	380918	157756	171017	155143	33998	440702

4– बांझपन शिविरों का आयोजन :–

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	324	353	318	65	189	537

5– पशु तथा भैंस विकास :–

अ. कृत्रिम गर्भाधान :–

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
कृत्रिम गर्भाधान	37041	19758	13507	11759	5385	69173
कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति	19462	10530	5152	6125	2723	34759

ब. प्राकृतिक गर्भाधान/उत्पन्न संतति :–

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
प्राकृतिक गर्भाधान	3556	3810	2826	976	2129	0
प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न संतति	1898	2020	1408	633	801	0

6–कुक्कुट वितरण :–

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	973980	296390	170965	144035	86000	665165

7– अनुसूचित जाति के लाभार्थ कुक्कुट इकाई की स्थापना :–

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	500	3642	1019	1500	1700	500

8–चारा विकास कार्यक्रम :–

(क) चारा बैंकों/उप चारा बैंकों की स्थापना –

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	11	9	19	4	3	6

(ख) चारा बीज वितरण (कुन्तल में) –

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
कुन्तल में	173.88	205.80	52.58	138.07	99.87	118.37

(ग) चाराघास की योजना (कुन्तल में) –

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	0	0	834.80	0	0	0

(घ) पशु प्रदर्शनी का आयोजन –

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	4	16	1	4	2	0

(ड) बांझपन निवारण का आयोजन –

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	324	353	318	65	189	537

9–भेड़ एवं ऊन विकास :–

1. भेड़ विकास कार्यक्रम :–

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	–	भेड प्रक्षेत्र–02 ऊन प्रसार केन्द्र–18	भेड प्रक्षेत्र–00 ऊन प्रसार केन्द्र–03	–	भेड प्रक्षेत्र–02 ऊन प्रसार केन्द्र–09	–

2. अन्य विकास कार्यक्रम :–

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	–	–	–	पशुधन प्रक्षेत्र–नरियाल गॉव अंगोरा प्रक्षेत्र– चम्पावत	–	सूकर प्रक्षेत्र–काशीपुर

10– 20 सूत्रीय कार्यक्रम :–

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
दुग्ध उत्पादन (लाख ली0)	1256.160	984.550	1515.560	354.538	63.233	1794.000
अण्डा उत्पादन (लाख संख्या)	78.000	26.440	49.570	22.458	33.636	2509.000
ऊन उत्पादन (कु0 में)	0.000	0.790	73.140	0.000	3.400	30.140
वृक्षारोपण (संख्या हजार में)	0.000	8.067	1.800	4.275	5.364	29.480

11. अटल आदर्श ग्राम योजना :– 33 पशुसेवा केन्द्रों की स्थापना की गई।

जनपद	नैनीताल	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	चम्पावत	बागेश्वर	ऊधमसिंहनगर
संख्या	01	07	11	03	10	01

अध्याय – 9

रेशम

रेशम उद्योग कृषि पर आधारित एक सहायक उद्योग है। कृषि से सम्बन्धित समस्त उद्योगों में रेशम उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखण्ड राज्य में 90 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र व 10 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है ऐसे में रेशम उद्योग राज्य में अल्प पूंजी निवेश से अधिक आय सर्जन का साधन है, जो समस्त आयु एवं आय वर्ग के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराता है। उत्तराखण्ड राज्यके दूरस्थ, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के साथ–साथ संवेदनशील पर्यावरण के संरक्षण व सम्वर्धन हेतु रेशम उद्योग काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। उत्तराखण्ड राज्य के कुमायूँ मण्डल में रेशम उत्पादन हेतु अनुकूल वातावरण है, जिसके कारण यहॉ सभी प्रकार के रेशम जैसे– शहतूती, टसर, मूंगा एवं एरी रेशम पैदावार की अपार सम्भावनायें है।

रेशम उद्योग की स्थापना करने में कृषक के स्तर पर बहुत ही न्यून धनराशि लगती है। वास्तव में कृषक की मेहनत ही मुख्य रूप से इस उद्योग को चलाती है एवं यह उद्योग किसी भी सीमा तक कृषक द्वारा बढ़ाया जा सकता है जिसके फलस्वरूप उसकी आमदनी की भी उसी अनुपात में बढ़ोत्तरी सम्भव है।

वर्तमान में कुमायू मण्डल में, चम्पावत जनपद को छोड़कर शेष सभी जनपदों में रेशम उद्योग की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। रेशम उद्योग को अपनाने वाले कृषक अतिरिक्त आमदनी रेशम उद्योग से प्राप्त कर रहे हैं। कुमायूँ मण्डल के आच्छादित जनपदों के कुछ विकास खण्डों में रेशम उद्योग को बड़े पैमाने पर कृषकों द्वारा स्वीकार किया गया है, उदाहरणार्थ जनपद नैनीताल के कोटाबाग एवं रामनगर विकास खण्ड जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर, जसपुर, बाजपुर विकास खण्डों में शहतूती रेशम कार्य का काफी विकास हुआ है। कुमायूँ मण्डल के पर्वतीय जनपदों बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में ओक तसर एवं मूंगा रेशम के लिये वृहद परियोजना वर्तमान में स्वीकृत हुयी है, जिसके माध्यम से पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले कृषकों को रेशम उत्पादन के माध्यम से स्थानीय रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है जिससे न सिर्फ उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि पलायन रोकने में भी कारगर है।

कुमायूँ मण्डल के विभिन्न जनपदों में वर्ष 2016–17 में रेशम विभाग की निम्नानुसार योजनायें संचालित की गयी।

1. **जिला योजना** – वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु (जनपद चम्पावत को छोड़कर) जिला योजना के अन्तर्गत रू0 60.43 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसका पूर्ण व्यय कर लिया गया है, इससे जनपदों में स्थापित कुल 23 राजकीय शहतूत उद्यानों का रख–रखाव, रेशम कीटपालकों के लिये सामग्री, औषधियों, विशुद्धिकारकों का क्रय किया जाता है। इससे ग्रामीणों को उनके आवास के निकट रोजगार प्राप्त होता है।

2. राज्य सैक्टर योजना – वर्ष 2016–17 में कूमायु मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु (जनपद चम्पावत को छोड़कर) राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत रू0 12.33 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसके अन्तर्गत कुमायू मण्डल के विभिन्न जनपदों में वृक्षारोपण कार्य, जैविक रेशम विकास सम्बन्धी कार्य, कृषकों को विभिन्न तकनीकी विषयों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्य तथा वान्या रेशम जैसे एरी, मूंगा, टसर आदि के प्रसार हेतु कार्यों का सम्पादन किया गया।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – आर.के.वी.वाई. योजना कुमायूँ मण्डल के दो पर्वतीय जनपदों बागेश्वर व पिथौरागढ़ में संचालित की जा रही है। जनपद बागेश्वर में वर्ष 2015–16 से 2017–18 (तीन वर्ष) तक आर. के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत मूंगा रेशम विकास कार्यक्रम का सम्पादन किया जा रहा है, जिसके लिये कुल रू0 42.48 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी है, इसमें बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 100 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक की अवधि में शहतूती रेशम विकास कार्यक्रम का सम्पादन आर.के.वी.वाई. में किया जा रहा है, जिसके लिये कुल रू0 140.50 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी इसमें कुल 100 कृषकों को रेशम उद्योग से जोडा गया है।

4. अनुसूचित जाति उप नियोजन योजना :– जनपद नैनीताल में वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 (02 वर्ष) की अवधि के लिये अनुसूचित जाति उप नियोजन योजना का सम्पादन किया जा रहा है जिसमें कुल 200 कृषकों को रेशम उद्योग से जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2016–17 में योजना के अन्तर्गत कुल 87 कृषकों को चयनित कर उनकी भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण सम्पन्न कराया गया, जिसमें प्रति कृषक 300 शहतूत पौध उपलब्ध करायी गयी। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुल रू0 159.07 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी।

5. अनुसूचित जनजाति उप नियोजन योजना :– जनपद उधमसिंह नगर में अनुसूचित जन जाति उप नियोजन योजना के अन्तर्गत कुल 600 कृषकों को लाभान्वित किया जाना है, वर्ष 2016–17 में कुल 235 कृषकों को योजना के अन्तर्गत चयनित कर प्रति कृषक 300 शहतूत वृक्षारोपण सम्पन्न कराया गया।

रेशम उद्योग की उपरोक्त सभी योजनाये समाज के निर्धनतम् व्यक्ति से सीधी जुड़ी हुई है और उन्हें रोजगार के अतिरिक्त, आमदनी उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से इस उद्योग के प्रति कृषकों का रूझान बढ़ा है। जिससे कुमायूँ मण्डल में रेशम उद्योग के क्रियाकलापों में गति आयी है।

अध्याय – 10

सहकारिता

वर्तमान में सहकारिता विभाग में त्रिस्तरीय ढाँचा कार्यरत है, जिसके अर्न्तगत शीर्ष स्तर पर शीर्ष संस्थायें उत्तराखण्ड सहकारी बैंक एवं उत्तराखण्ड विपणन संघ कार्यरत हैं। जनपद स्तर पर जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी संघ एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार आदि केन्द्रीय संस्थायें हैं। इनके अतिरिक्त प्रारम्भिक स्तर पर प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति, प्रारम्भिक उपभोक्ता समितियाँ, महिला उपभोक्ता समिति, वेतनभोगी सहकारी समिति, श्रम समिति आदि प्रकार की समितियाँ कार्यरत हैं। सहकारी विभाग में निम्न मुख्य योजनायें कार्यरत हैं।

ऋण एवं अधिकोषण योजना :– उक्त योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से फसली एवं मध्यकालीन ऋण वितरित किये जाते हैं। समितियों में मिनी बैंक भी कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से समितियों को अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। सहकारी बैंक के माध्यम से समस्त प्रकार की समितियों को उपभोक्ता व्यवसाय, उर्वरक व्यवसाय एवं अन्य प्रकार के व्यवसायों के लिये ऋण सीमायें उपलब्ध कराई जाती हैं। सहकारी बैंक उपभोक्ता उपभोग ऋण एवं अन्य व्यवसायिक ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। मण्डल में जिला सहकारी बैंक की 123 शाखायें कार्यरत हैं।

उपभोक्ता योजना :– उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, जिला सहकारी संघ की शाखायें कार्यरत हैं। जिला सहकारी संघ के माध्यम से जनपद की प्रारम्भिक समितियों में उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है।

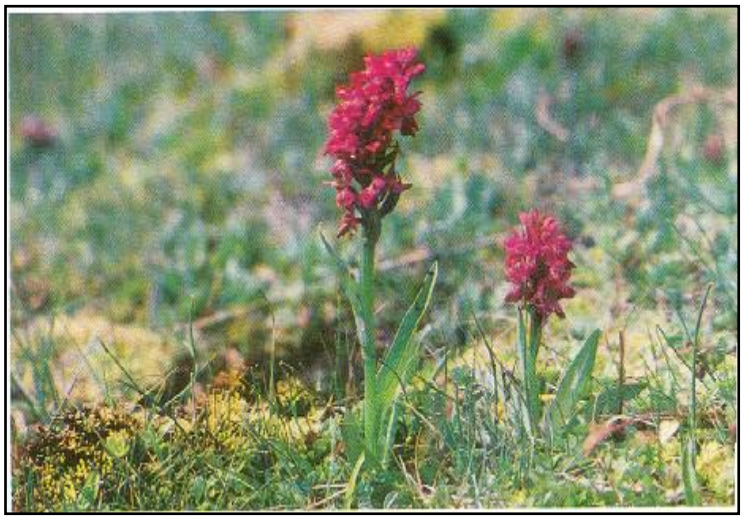

जड़ी–बूटी एवं भेषज योजना :– पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जड़ी–बूटी भेषज योजना कृषकों के लिए एक लाभदायक योजना है। इस योजना के अर्न्तगत जिला स्तर पर भेषज संघ के माध्यम से जड़ी–बूटी का विदोहन एवं उसका क्रय–विक्रय किया जाता है।

अध्याय – 11

सिंचाई

मण्डल के पर्वतीय जनपदों में कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है जिस कारण उन्नतशील बीजों एवं उर्वरक रसायनिकों का प्रयोग कम हो पाता है। शासन द्वारा चलाये जा रहे राजकीय सिंचाई एवं निजी लघु सिंचाई के माध्यम से नहरें, गूल, हौज एवं हाईड्रम का निर्माण कर सिंचन क्षमता में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। जनपद ऊधमसिंहनगर एवं जनपद नैनीताल के भाबर व तराई क्षेत्र में सिंचाई के अधिक साधन उपलब्ध हैं। जहाँ नहर, गूल, हौज के अतिरिक्त भूस्तरीय पम्प सैटों से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है।

वर्ष 2016–17 में कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत राजकीय नहरों की लम्बाई 3327.58 किमी0, लघुडाल नहरों की लम्बाई 199.03 किमी0, राजकीय नलकूपों की संख्या 894 एवं बोरिंग पर लगे भूस्तरीय पम्प सैटों/निशुल्क बोरिंग की संख्या 27839, हौजों की संख्या 16336, हाईड्रमों की संख्या 737, राजकीय सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित गूलों की लम्बाई 1463 किमी0, नलकूप विभाग द्वारा निर्मित गूलों की लम्बाई 1700 किमी0 एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित गूलों की लम्बाई 13233 किमी0 है।

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड, लघु डाल खण्ड एवं सिंचाई निर्माण खण्ड कार्यरत हैं। इन खण्डों द्वारा राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत निर्मित नहरों/पम्प योजनाओं का अनुरक्षण, नई योजनाओं का निर्माण कार्य, बाढ़ कार्यों का रख–रखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ सिंचाई की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

कुमाऊँ मण्डल में मुख्य अभियंता स्तर के दो कार्यालय हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा में कार्यरत हैं, जिनके द्वारा किये गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी :–

वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के इस संगठन के कार्यक्षत्र जनपद नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः 280, 226 संख्या नहरें निर्मित हैं, जिनकी कुल लम्बाई क्रमशः 1937.50, 1018.074 कि.मी. तथा सी.सी.ए. क्रमशः 27509, 95887 हैक्टेयर है।

जिला सैक्टर :– जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः रु. 517.80, 587.00 लाख की धनराशि अनुमोदित थी, जिसके सापेक्ष क्रमशः रु. 319.35, 306.90 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसके अन्तर्गत नहरों का निर्माण एवं नहरों के जीर्णोद्धार क्रमशः 66, 47, नहर जीर्णोद्धार व पुलिया 14 संख्या सिंचाई टैंक का निर्माण से 19 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन एवं 161 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनः जीवित की गई। इसके अतिरिक्त क्रमशः 7, 60 संख्या छोटी–छोटी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को भी पूर्ण किया गया।

केन्द्र पोषित योजना (सी.एस.एस.) :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः रु. 426.00, 245.55 लाख की धनराशि शासन के अवमुक्त हुई। जिसके सापेक्ष रु. 426.00, 245.55 लाख की धनराशि व्यय कर 4 संख्या स्टड, 0.690 कि.मी. टो वाफल पत्थर पिचिंग व सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया।

वाह्य सहायतित (नाबार्ड) :– इस योजना के अन्तग्रत वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर में नहरों/बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु क्रमशः 1838.01, 1061.06, 8820.87 लाख की धनराशि व्यय कर क्रमशः 101.40, 115.820 कि.मी. लम्बाई की नहर योजनाओं का निर्माण/जीर्णोद्धार कर क्रमशः 459, 793 हैक्टेयर सिंचन एवं क्रमशः 1307, 3479 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित करायी गई है।

सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा :–

वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः 188, 213, 97, 139 नहरें निर्मित हैं, जिनकी कुल लम्बाई क्रमशः 450.955, 555.922, 250.10, 382.06 किमी0 तथा सी0सी0ए0 क्रमशः 4960, 5536.60, 2349.30, 3573 हैक्टेयर है।

जिला सैक्टर :– जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2016–17 के कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 259.10, 352.60, 279.77, 600.00 की धनराशि अनुमोदित थी जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 178.84, 198.81, 152.00, 341.92 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसके अन्तर्गत नहरों का निर्माण एवं नहरों के जीर्णोद्धार क्रमशः 20, 20, 2, 24 नहरे एवं 39, 0, 3, 0 संख्या सिंचाई टैंक का निर्माण से क्रमशः 44, 26, 13, 39 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन एवं क्रमशः 182, 247, 18, 312 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनः जीवित की गई। इसके अतिरिक्त क्रमशः 1, 42, 23, 44 संख्या छोटी–छोटी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को भी पूर्ण किया गया।

केन्द्र पोषित योजना (एस0पी0ए0) :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, में क्रमशः रू0 2424.77, 333.33 की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई। जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 1987.23, 126.60, व्यय कर क्रमशः 4, 1 बाढ़ सुरक्षा योजनओं पर कार्य कराया गया है।

केन्द्र पोषित योजना (सी0एस0एस0) :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 1015.50, 191.10, 134.29, 343.68 की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई। जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 1015.50, 191.10, 74.29, 343.68 की धनराशि व्यय कर क्रमशः 10, 2, 2, 3 संख्या बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर कार्य किया गया।

(अ) राज्य सेक्टर नहर (नाबार्ड) :– इस योजना के तहत वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 88.51, 62.35 लाख की धनराशि व्यय कर क्रमशः 2.450, 3.500 किमी0 लम्बाई की नहरों का जीणोद्धार कर क्रमशः 104, 70 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित करायी गई है।

(ब) राज्य सेक्टर बाढ़ (नाबार्ड) :– इस योजना के तहत वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत के अन्तर्गत क्रमशः रू0 110.26, 240.57, लाख कि धनराशि व्यय कर क्रमशः 3, 2, संख्या बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का निर्माण किया गया।

लघु सिंचाई

लघु सिचाई विभाग द्वारा लघु कृषको को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 161, 13, 64, 57, 01, 0 हौज, क्रमषः 28.108, 21.062, 4.487, 8.975, 5.85, 9.438 किमी0 गूल, जनपद चम्पावत, ऊधमसिंह नगर में क्रमषः 21, 170 (निजी) पम्पसेट का निर्माण कर जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 552.80, 202.262, 161.50, 254.10, 150.70, 1311.00 है0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेष्वर, में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित गूल/हौज निर्माण की क्रमषः 09, 14, 03, योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर लगभग क्रमषः 15, 27, 15, हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित की गयी।

उपकरण एवं संयत्र :– हाईड्रम योजनाओं के संचालन हेतु पाईप रिंच/स्पैनर आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके लिये जिला योजना वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर में 0.20 धनराशि व्यय की गई।

हाईड्रम सुदृढीकरण/अन्य व्यय :– हाईड्रम योजनाओं के संचालन हेतु आंशिक आपरेटर की व्यवस्था की जाती है तथा निर्मित योजनाओं के सापेक्ष मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है, जिला योजना वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, में क्रमशः रू0 37.77, 16.71, 1.50, 17.00, 30.93, धनराशि व्यय की गई।

गूल मरम्मत/जीर्णोद्धार :– पूर्व निर्मित सामूहिक सिंचाई गूल/हौज निर्माण योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 14, 27, 15, 156 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित की गयी। जिला योजना वर्ष 2016–17 में जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर क्रमषः रू0 8.78, 37.87, 7.56, 22.00, 38.43, 143.00 धनराशि व्यय की गई।

अध्याय–12

दुग्ध विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण :–

योजनान्तर्गत मदवार मानकों का विवरण निम्नवत् हैं–

(1.) नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायता:–

क्र.सं.	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	धनराशि (रू0में)
1.	दुग्ध जांच संयंत्र एवं रसायन आदि	3,000	1000	500	4,500
2.	फर्नीचर एवं कन्टीजैंसी	5,000	–	–	5,000
3.	दुग्ध कैन	7,000	–	–	7,000
4.	प्रबन्धकीय अनुदान	7,200	6000	4800	18,000
5.	प्राथमिक पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवाएं	2,000	–	–	2,000
6.	कार्यशील पूंजी	5,000	5000	–	10,000
7.	सचिव प्रशिक्षण	7,500	–	–	7,500
	कुल योग:–	**36,700**	**12,000**	**5,300**	**54,000**

(2.) तकनीकी निवेश कार्यक्रम:–

(2.1) पशु औषधि– रू0 100 प्रति पशु।

(2.2) डिवार्मिंग– रू0 40 प्रति।

(2.3) टीकाकरण: रू0 20 प्रति।

(2.4) फीड सप्लीमेन्ट (यूरिया मौलेसिस लिंक ब्लाक)– रू0 45 प्रति तीन कि0ग्रा0

(2.5) मिनरल मिक्सचर– रू0 30 प्रति कि0ग्रा0

(2.6) आपातकालीन पशुचिकित्सा एवं पर्यवेक्षण इकाई–

(i) पशु चिकित्सक हेतु–

(क.) मानदेय (समस्त भत्तों सहित) रू0 22 हजार प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु– रू0 2.64 लाख।

(ख.) इन्सेन्टिव रू0 50 प्रति केस, 80 केस प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु– रू0 0.48 लाख।

(ii) वाहन–

(क.) पशुचिकित्सक हेतु 100 किमी0 / दिन / 20दिन / 12माह / रू0 8 / किमी0– रू0 1.92 लाख।

(ख.) जनपदीय सहायक निदेशक के फील्ड पर्यवेक्षण हेतु

100 किमी0 / दिन / 10दिन / 12माह / रू0 8 / किमी0– रू0 0.96 लाख।

योगः– प्रति इकाई– रू0 **6.00 लाख।**

(2.7) विविध व्ययः– रू0 30,000 / प्रतिवर्ष।

(2.8) संतुलित पशु आहार अनुदान–

(क) मैदानी क्षेत्र रू0 2.00प्रति किग्रा0

(ख) पर्वतीय क्षेत्र रू0 4.00प्रति किग्रा0

(2.9) कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक–

(क) मैदानी क्षेत्र रू0 1.00 प्रति किग्रा0

(ख) पर्वतीय क्षेत्र रू0 3.00 प्रति किग्रा0

(2.10) हैडलोड अनुदान–

(1) मैदानी क्षेत्र 25 पैसा / लीटर / कि0मी0

(2) पर्वतीय क्षेत्र 50पैसा / लीटर / कि0मी0

(3.) दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास–

(3.1) दुग्ध कक्ष निर्माण–

(1) मैदानी क्षेत्र रू0 4.65 लाख।

(2) पर्वतीय क्षेत्र रू0 5.15 लाख।

(3.2) भूसा गोदाम निर्माण–

(1) मैदानी क्षेत्र रू0 5.15 लाख।

(2) पर्वतीय क्षेत्र रू0 5.65 लाख।

(3.3) डी0पी0एम0यू0 सहित मिल्क एनालॉइजर की स्थापना– रू0 65,000 / प्रति नग।

(3.4) डी.पी.एम.यू. व वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालॉइजर स्थापना– रू0 80,000 / प्रति।

(3.5) मैनुअल फैट टैस्टिंग मशीन– रू0 3,000 / प्रति मशीन।

(3.6) इलेक्ट्रिकल फैट टैस्टिंग मशीन– रू0 5,000 / प्रति मशीन।

(3.7) मैनुअल चैप कटर– रू0 6,000 / प्रति नग।

(3.8) इलेक्ट्रिकल चैप कटर (मोटर सहित) रू0 10,000 / प्रति नग।

(3.9) दुग्ध समितियों में सौर ऊर्जा व्यवस्था–

(अ) सोलर प्लांट (इनवर्टर व बैटरी सहित)– रू0 35,000/प्रति नग।

(ब) सोलर प्लांट (इनवर्टर व बैटरी रहित)– रू0 20,000/प्रति नग।

(4.) प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम –

(4.1) समिति भवन वॉल पेंटिंग– रू0 10,000/प्रति समिति।

(4.2) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन–

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	प्रति व्यक्ति दर/दिन	कुल सहायता (रू0 में)
1.	समिति सचिव रिफ्रेसर प्रशिक्षण	7 दिन	500.00	3,500.00
2.	फारमर्स इण्डक्शन कार्यक्रम	2 दिन	500.00	1,000.00
3.	प्रबन्ध समिति सदस्य प्रशिक्षण	3 दिन	500.00	1,500.00
4.	स्टाफ प्रशिक्षण (प्रशिक्षक मानदेय सहित)	5 दिन	1000.00	5,000.00
5.	5.1 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी 5.2 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण 5.3 दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन	1 दिन	रू0 2,000/– प्रतिगोष्ठी रू0 400/–प्रति किट। रू0 2,200/–प्रति दुग्ध मार्ग।	

(4.3) पशु चिकित्सा एवं पशु प्रर्दशनी कैम्प(विवरण संलग्नक ''क'' पर)– रू0 5,000 प्रति कैम्प।

(5.) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायताः–

क्र.सं.	विवरण	दर
5.1	पशुशाला (01 पशु व 01बछडा हेतु 60 वर्ग फुट)	रू0 12,000/– प्रति पशुशाला
5.2	पशु नाद एवं पशु चरी व्यवस्था– पशु नाद– पशु चरी व्यवस्था–	 रू0 4,000/– प्रति। रू0 2,500/– प्रति।

(6.) दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रमः–

(6.1) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (विवरण संलग्नक ''क'' पर)– रू0 7,000/– प्रति कैम्प।

(6.2) मिल्क टैस्टिंग प्रोत्साहन– रू0 1.00/–प्रति सैम्पल।

पर्वतीय क्षेत्र (10 ली0 से अधिक की दुग्ध समितियों हेतु)

(6.3) सचिव प्रोत्साहन– दुग्ध व्यवसाय का 3.5%।

(10 ली0 से अधिक की दुग्ध समिति हेतु)

2. राज्य सेक्टर योजना :–

2.1. डेरी विकास योजना:–

➢ **प्रबंधकीय अनुदान :–** इसके अन्तर्गत दुग्ध संघ स्तर पर मानव संसाधन की कमी को दूर करने के दृष्टिकोण से संघ स्तर पर नियुक्त किये गये प्रबंधकीय स्टाफ, ग्रुप सचिवों को राजकीय अनुदान के रूप में मानदेय कार्यालय श्रम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

➢ **यातायात योजना :–** इसके अन्तर्गत दुग्ध समितियों से दुग्ध संग्रह कर दुग्धशाला तक लाने हेतु दुग्ध परिवहन में आने वाले व्यय में से राजकीय अंश के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध के ढूलान पर होने वाले यातायात व्यय के अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु यातयात अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

➢ **अवस्थापना सुविधायें :–** इसके अन्तर्गत दुग्ध संघों को सिविल कार्य व प्लाण्ट मशीनरीज मदों में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इससे दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाता है।

2.2. गंगा गाय महिला डेरी योजना :–

➢ गंगा गाय महिला डेरी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों की महिला सदस्यों को एक दुधारू गाय क्रय हेतु बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 300.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिससे 1040 पशुक्रय का लक्ष्य निर्धारित था, जिसे क्रय कर पूर्ण कर लिया गया। साथ ही, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी को पशुनाद के लिये वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है।

➢ इस योजना के अन्तर्गत क्रय की गयी दुधारू गाय का तीन वर्ष का पशुबीमा करवाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

➢ इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 300.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष 1043 दुधारू पशु क्रय किये जायेंगे।

➢ **योजना की प्रति यूनिट लागत निम्नवत् है –** **(धनराशि रू0 में)**

क्र0 सं0	विवरण	दुधारू पशु की इकाई	इकाई की लागत	अनुदान की धनराशि	बैंक ऋण की राशि	लाभार्थी अंशदान
1.	क्रास ब्रीड गाय	1	40,000	20,000	20,000	0
2.	परिवहन लागत	1	2800	1400	0	1400
3.	दुधारू पशु का तीन वर्ष का बीमा	1	1920	960	0	960
4.	पशु नांद/चरी क्रय हेतु अनुदान	1	2000	2000	0	0
5.	दुधारू पशु हेतु चारे दाने की व्यवस्था	1	5280	2640	0	2640
	योग–	**1**	**52000**	**27000**	**20000**	**5000**

2.3. दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना :–

➢ इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को 8.00 प्रतिशत एस0एन0एफ0 अथवा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को रू0 4.00 प्रति लीटर तथा 7.50 से 7.99 प्रतिशत एस0एन0एफ0 की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को रू0 3.00 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि राजअनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

➢ राज्य सेक्टर में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1,416.66 लाख (सामा0–रू0 1,3649.99 एवं एस0सी0एस0पी0–रू0 66.67 लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कर लिया गया।

➢ इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 3283.20 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसमें से रू0 1500.00 लाख का बजट प्राविधान हुआ है।

2.4. महिला डेरी विकास योजना :–

➢ प्रदेश में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु महिला डेरी विकास परियोजना के माध्यम से महिला दुग्ध समितियों का गठन कर ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाओं को जीवकोपार्जन हेतु आय–व्यय जागरुकता, सामाजिक उत्थान, स्वावलम्बी बनाने हेतु तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वेतन, प्रोपल्शन आदि के अतिरिक्त महिला दुग्ध समितियों का गठन– रू0 53,85,300.00 प्रति समिति, अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजन/सेमिनार–रू0 11,000.00 प्रति जनपद तथा महिला दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत सचिव प्रशिक्षण, प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण, स्टाफ प्रशिक्षण त्था स्वच्छ दुग्ध उपार्जन गोष्ठी हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

➢ राज्य सेक्टर में डेरी विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 354.223 लाख (सामा0– रू0 315.71, एस0सी0एस0पी0– रू0 26.513 लाख एवं टी0सी0पी0–रू0 12.00 लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कर लिया गया।

➢ इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 592.10 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसमें से रू0 477.71 लाख का बजट प्राविधान हुआ है।

2.5. दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण :–

➢ इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2016–17 हेतु उक्त योजनान्तर्गत रू0 40.00 लाख का प्राविधान शासन द्वारा किया गया है, किन्तु शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

➢ इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 60.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसमें से रू0 25.00 लाख का बजट प्राविधान हुआ है।

2.6. सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना :–

➢ वर्ष 2016–17 हेतु उक्त योजनान्तर्गत सामान्य में रू0 80.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 62.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कर लिया गया।

➢ इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 70.00 लाख का बजट प्राविधान हुआ है।

3. केन्द्र वित्त पोषित योजनाएं :–

➢ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (दुग्ध संघों में डेरी अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण) :–इस हेतु वर्ष 2016–17 के लिये रू0 800.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कर लिया गया।

➢ इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 0.01 लाख का बजट प्राविधान हुआ है।

➢ राष्ट्रीय डेरी विकास योजना :– इस हेतु वर्ष 2016–17 के लिये रू0 518.26 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 156.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कर लिया गया।

➢ **इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 318.26 लाख का बजट प्राविधान हुआ है।**

➢ वर्ष 2016–17 की उपलब्धियां :– उत्तराखण्ड राज्य में दुग्ध सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत सभी 13 जनपदों को आच्छादित कर लिया गया है और इस हेतु 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 निबन्धित किये गये हैं। दुग्ध सहकारिता की केन्द्रीयत एजेन्सी के रूप में उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन का भी गठन किया गया हैं।

➢ वर्ष 2016–17 में निर्धारित लक्ष्य 3987 के समक्ष माह मार्च, 2017 तक 4011 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गईं। विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा इस वर्ष राज्य के नगरीय उपभोक्ताओं को 185604 लीटर के निर्धारित लक्ष्य के समक्ष 150752 लीटर औसत दैनिक तरल दुग्ध बिक्री किया गया।

4 डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की उपलब्धियाँ एक दृष्टि में :–

(सहकारी वर्ष–2016–17, माह/दिनांकः मार्च, 2017 तक)।

➢ 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित एवं कार्यरत।

➢ 10 दुग्धशालाऐं, जिनकी दैनिक क्षमता 2.65 लाख लीटर प्रतिदिन।

➢ 45 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, जिनकी क्षमता 1.25 लाख लीटर प्रतिदिन।

➢ 100 मै0 टन क्षमता की पशुआहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) में स्थापित।

➢ 140 दुग्ध मार्गों पर 4,011 दुग्ध सहकारी समितियां गठित एवं कुल 2,682 कार्यरत, जिसमें 1,55,117 सदस्यों तथा 51,066 पोरर दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी।

➢ माह मार्च, 2017 में औसत दैनिक दुग्धोपार्जन 2,20,058 कि0ग्रा0 एवं वर्तमान सहकारी वर्ष में मार्च, 2017 तक औसत दैनिक दुग्धोपार्जन 1,82,928 कि0ग्रा0।

➢ माह मार्च, 2017 में औसत तरल दुग्ध बिक्री 1,55,244 ली0 एवं वर्तमान सहकारी वर्ष में माह मार्च, 2017 तक औसत दैनिक तरल दुग्ध बिक्री 1,50,752 लीटर।

➢ माह मार्च, 2017 में कुल 1,112 मै0 टन एवं वर्तमान सहकारी वर्ष में माह मार्च, 2017 तक कुल 12,490 मै0 टन आँचल पशुआहार की बिक्री।

5. रोजगार सृजन :–

कार्यरत समितियां–	2682
सदस्यता–	155117
दैनिक दुग्ध उपार्जन (किग्रा0)–	182928 कि0ग्रा0
प्रति समिति औसत दुग्ध उपार्जन–	69.76 लीटर
दैनिक नगरीय दुग्ध विक्रय (ली0)–	150752 कि0ग्रा0
पशु आहार विक्रय (मै0टन)–	12490 मै0टन
प्राथमिक पशु चिकित्सा संख्या/डिवार्मिंग–	30424/77040

6. स्वाट (swot) विश्लेषण :–

ताकत (strength)

1– सहकारी संस्था होने के कारण समय–समय पर शासकीय संरक्षण एवं सहायता।

2– पर्यटक स्थल होने के कारण दूध की बिक्री के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध है।

3– पशुपालन एवं डेरी व्यवसाय हेतु विभिन्न श्रोतों से व्यापक निवेश हो रहा है।

4– सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक जनसहयोंग है।

कमजोरियॉ (weakness)

1–सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप व्यवसाय में बाधक।

2–त्वरित निर्णय प्रक्रिया का आभाव।

3–अत्यधिक कच्चा व्यवसाय होने के कारण अस्थिरता की स्थिति बनी रहना।

4–पुरानी मशीनरी एवं छोटा संयत्र।

5–कार्मिकों का मूल्यॉकन योग्यता एवं उपयोगिता पर आधारित न होकर वरियता के आधार पर किया जाना।

7. सम्भावनाएँ (opportunities) :–

1–दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के उपयोग के प्रति स्वास्थ जागरूकता बढ़ रही है।

2–व्यवसाय का विविधीकरण।

3–ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जनसंख्या वृद्वि तथा कृषि जोते छोटी होने से स्वरोजगार के लिए पशुपालन पर निर्भरता बढ़ रही है।

6. भय (threat) :–

1–इंधन में (कोयला,तेल बिजली) तथा पैकिंग मैटेरियल की दरों में उत्तरोत्तर वृद्वि।

2–उपभोक्ताओं में फैट (घी) उपयोग कम करने की और रूझान का बढ़ना।

3–विश्व व्यापार और वैश्वीकरण की बढ़ती चुनौतियॉ तथा नये कारधानों का बोझ।

4–शहरों का तेजी से गॉव की तरफ बढ़ने से कृषि एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में कमी होना।

5–औद्योगीकरण का तीव्र विकास डेरी व्यवसाय को प्रतिस्थापित कर सकता है।

8. प्रमुख आवश्यकतायें/कार्यक्रम/विचार :–

1–दक्ष, प्रशिक्षित एवं उच्च शिक्षा प्राप्त प्रबन्धकीय श्रम शक्ति।

2–वर्तमान श्रम शक्ति का प्रशिक्षण,भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कर क्षमता विकास।

3–दुग्धशाला मे प्लांट मशीनरी का आधुनिकीकरण।

महिला डेयरी परियोजना :– उत्तराखण्ड में दुग्ध उर्पाजन का कार्य परम्परागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं को रोजगार से जोडने के उद्देश्य से जनपद में महिला दुग्ध समितियों के गठन का कार्य एवं दुग्ध उपार्जन कार्य सफलता पूर्वक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना मे पशु पोषण,स्वयं सहायता समूह,जागरूकता कार्यक्रम , सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल ,पिथौरागढ,अल्मोडा,चम्पावत,बागेश्वर,ऊधमसिंह नगर में क्रमशः. 2, 2, 2, 2, 2, 2, कुल 12 दुग्ध समितियो का गठन किया गया। जिनसे प्रतिमाह औसतन क्रमशः 583, 40, 57, 9, 15, 177 कुल 881 ली0 औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन किया गया।

डेरी विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ का विवरण :–

1. पशु औषधि एवं डिर्वार्मिग :– पर्वतीय ग्रामिण क्षेत्रो मे प्राथमिक पशु चिकित्सा, पशु कृमि नाशको की औषधियो की जानकारी एवं उपलब्धता न होने के कारण दुग्ध उत्पादक सदस्यो के पशुओ का दुग्ध उत्पादन गिर जता है जिससे प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन गिर जाता है और दुग्ध उत्पादन दुग्ध व्यवसाय को अलाभप्रद मानकर इससे विमुख होने लगता है पर्वतीय ग्रामिण क्षेत्रो मे दुग्ध समिजि सदस्यो के पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा एवं दुग्ध उत्पादन मे वृद्वि हेतु ग्राम स्तर पर डिवार्मिग,पशु टीकाकरण,एवं औषधि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2016–17 में कुमाऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः..0, 10125, 6000, 3184, 1928, 10000 कुल 21237 .पशु औषधि हेतु 100 प्रति पशु की दर से क्रमशः 0, 10.125, 6.00, 1.672, 1.928, लाख व 5500, 7500, 7500, 3184, 1928, 11250 कुल 36862 डीवार्मिग हेतु 40.00 प्रति पशु की दर से क्रमशः 0, 3.00, 3.00, 3.184, 0.60, 1.80 लाख व कुल रू. 11.584 लाख का व्यय किया गया है।

2. आपातकालीन पशु :– चिकित्सा एवं पर्यवेक्षक इकाईः–समिति सदस्यो द्वारा आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। अतः दुग्ध समिति सदस्यो को नाममात्र शुल्क पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी। आपातकालीन पशु चिकित्सा एवं फील्ड पर्यवेक्षक इकाई हेतु 5.00 लाख प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है।

3. संतुलित पशु आहार अनुदान :– दुग्ध उत्पादक में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल उन्हें नियमित रूप से संतुलित पशु आहार खिलाना अति आवश्यक है। अतः दुग्ध उत्पादको को इस हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा,कि वे अपने पशुओं का आवश्यकतानुसार संतुलित पशु आहार खिलायें। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ

मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर के अर्न्तगत क्रमशः 0, 15. 665, 17.43, 26.364, 0.97, 12.16 कुल रू.72.589 लाख का व्यय किया गया है।

4. हैड लोड अनुदान :– पर्वतीय क्षेत्रो मे दुग्ध उत्पादन अत्यधिक कम हैं। तथा अधिकांश ग्राम छितरे हुये व सडक से दूर स्थित है। अतः दुग्ध समितियों में संग्रहित दुग्ध प्रतिदिन रोड हैड तक पहुचाने में व्यावहारिक कठिनाई आती है। दुग्धशालाऐं अपने संसाधनो से इतना व्यय करने की स्थिति में नही है कि वे हैडलोडर को पर्याप्त भुगतान कर सकें। ऐसी परिस्थिति में दुग्ध विकास कार्यक्रमों को सुदूर स्थित ग्रामो तक पहुचॉने मे कठिनाई आ रही है। अतः हैड लोड अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिये पर्वतीय क्षेत्र हेतु 50 पैसा प्रति लीटर प्रति किमी0 की दर से वर्ष 2016–17 मे कुमाऊ मण्डल के जनपद पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, के अर्न्तगत क्रमशः 36.40, 23.22, 30.10, 2.52, कुल रू. 92.24 लाख व्यय किया गया।

5. गंगा गाय महिला डेरी योजना :– राज्य सैक्टर योजना के अर्न्तगत गंगा गाय महिला योजना के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2016–17 में कुमाऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिहनगर, के अर्न्तगत क्रमश. 260, 95, 80, 95, 25, 160 कुल 715 .गाय क्रय की गई प्रति लाभार्थी रू. 27000 का अनुदान उपलब्ध करा कर क्रमशः रू. 73.395, 26.925, 22.675, 26.925, 7.145, 45.195 लाख कुल रू. 202.26 लाख व्यय किया गया है।

6. दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन :– राज्य सेक्टर योजना के अर्न्तगत सहकारी समितियो के समस्त दुग्ध उत्पादको का दुग्ध प्रोत्साहन योजना 2016–17 से दुग्ध मूल्य के अतिरिक्त प्रति लीटर रू. 4.00 का प्रोत्साहन राशि का वितरण कर क्रमशः 637.217, 39.410, 73.887, 63.421, 3.158, 387.214 कुल रू 1204.307 लाख व्यय किया गया है।

7. मिनरल मिक्सचर :– जनपद मे दुधारू पशुओ के कम दुग्ध उत्पादन तथा बांझपन एक गम्भीर समस्या है इसके निराकरण हेतु दुधारू पशुओ को पर्याप्त मात्रा में मिनरल की आवश्यकता होती है, मिनरल की पूर्ति हेतु दुग्ध उत्पादकों को प्रति किलाग्राम 30 रू0 अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

8. कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक :– जनपद मे चारे की अत्यन्त कमी है। अधिकांश दुधारू पशु कुपोषण के शिकार है जिसके कारण दुग्ध उत्पादन कम है। ऐसी स्थिति में पशुपालको को दुग्ध विकास योजनाओ का अपेक्षित लाभ नही मिल पा रहा है। दुग्ध उत्पादन मे वृद्धि तथा दुधारू पशुओ के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उन्हे रियासती दर पर/अनुदान में कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक उपलब्ध कराया जा रहा है।

9. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के गुणवत्ता के प्रति उपभोक्ताओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम :– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो मे हो रहे विभिन्न प्रकार के अपमिश्रण की जानकारी, उनकी जांच तथा होने वाले दुष्परिणामो के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलो पर अस्थाई स्टाल अथवा कैम्प लगाकर उपभोक्ताओं का उक्त जानकारियां उपलब्ध करायी जा रही है। इन कैम्पो के माध्यम से दुग्ध उपभोक्ताओ को दूध की गुणवत्ता के साथ साथ उसमे हो रहे अपमिश्रण की जानकारी जिले के विभिन्न क्षेत्रो में उपलब्ध करायी जा रही है।

10. दुग्ध समितियो मे अवस्थापना विकास :– दुग्ध समितियो मे अवस्थापना विकास के अर्न्तगत डी.पी.एम0यू0 सहित मिल्क एनांलाइजर की स्थापना किया जा रहा है डी.पी.एम0यू0 सहित मिल्क एनालाइजर की स्थापना से दुग्ध गुणवत्ता मे सुधार के साथ दुग्ध समिति के कार्यप्रणाली में सुधार किया जा रहा है।

अध्याय – 13

मत्स्य विकास

मत्स्य पालन स्वरोजगार का सशक्त साधन है। वर्तमान में उॅचाई वाले क्षेत्रों में ठंडे पानी की मत्स्य प्रजातियॉ कामन मिरर, सिल्वर एवं ग्रास कार्प पाली जा रही है। प्रमुख जल संसाधन के अर्न्तगत कोसी, रामगंगा, विनोद, गगास ,सुयाल, एवं सरयू प्रमुख नदियॉ है। जनपद में प्राकृतिक झीलों एवं तालाबों का पूर्ण आभाव है। मत्स्य पालन हेतु शुद्व जल की अनुपलब्धता दूर करने हेतु शासन द्वारा कच्चे तालाब निर्माण हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान जनपद में ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वृहद जलाशय क्रमशः नानकसागर, बैगुल, धौरा, तुमरिया, उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा मत्स्य पालन की संभावना वाले इन तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा राजस्व विभाग से जनपद के मत्स्य पालकों को दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन "नीली क्रान्ति" को बढ़ावा देने के उददेश्य से बहुआयामी प्रयास किये जा रहे है। प्राकृतिक जलसम्पदा के रूप में नैनीताल, खुर्पाताल, साततात, भीमताल एवं नौकुचियाताल प्रमुख झीलें हैं। नदियों के रूप में गौला, कोसी, प्रमुख नदियां है।

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रामीण स्तर पर तैयार कराये गये कच्चे तालाबों में मत्स्य बीज वितरण किया जाता रहा है। अंगुलिकाओं का वितरण निर्धारित मूल्य व यातायात व्यय वसूल कर किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ वर्ष भर जलश्रोतों की उपलब्धता रहती है।

मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विशिश्ट स्थान है, जहॉ सागरों, नदियों, झीलों, जलाशयों तथा प्राकृतिक तालाबों के साथ–साथ मानव निर्मित तालाबों के रूप में अन्तः स्थलीय जल संसाधन उपलब्ध है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों के आर्थिकी का स्रोत मुख्यतः कृषि पर आधारित है। पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र के अर्न्तगत आर्थिक लाभ अर्जन के साथ–साथ क्षेत्र वासियों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक सुपाच्य आहार उपलब्ध कराने का साधन हैं। जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जल संसाधनों के अनुरूप जनपद में शीत जल मत्स्य प्रजातियों कामन कार्य, मिरर कार्य, सिल्वर कार्य व ग्रास कार्य आदि का पालन किया जा रहा है। जनपद के अर्न्तगत प्राकृतिक जल संसाधन सरयू, गोमती व पिण्डर नदी, गरूड गंगा, लाहुर नदी एवं विभिन्न गधेरे है।

कृषकों को निजी भूमि में ऐसे स्थान जहॉ नदियों गधेरों नहरों व प्राकृतिक श्रोतों द्वारा वर्ष भर पानी की उपलब्धता हो छोटे–छोटे तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन कार्य–व्यवसाय करने हेतु विभाग द्वारा शासकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। तकनीकी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

1– नीली क्रान्ति योजना – योजना केन्द्र पुरोनिधानित है। इसका संचालन 80:10:10 (केन्द्र : राज्य : लाभार्थी) के आधार पर किया जाता है। उक्त योजनार्न्तगत वर्ष 2016–17 में निम्न कार्य सम्पादित किये गए।

(अ) पर्वतीय तालाब निर्माण – मत्स्य पालन के इच्छुक व्यक्ति कों मत्स्य तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु अनुदान देकर लाभान्वित किया जाता है। मत्स्य पालकों को प्रति 100 वर्ग मी0 की एक यूनिट हेतु रू 90,000/–का अनुदान दिया जाता है। शासन से वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़,

ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत क्रमशः रू. 6.30, 6.30, 6..30, 45.65, 2.70, 2.70 लाख अवमुक्त धनराशि से क्रमशः 07, 07, 07, 05, 03, 05 यूनिट तालाबों का निर्माण कराया गया । जिसमें से क्रमशः रू 6.30, 6.30, 6..30, 45.65, 2.70, 2.70 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में मत्स्य कृषकों कों उपलब्ध करायी गयी।

2–जलाशय विकास योजना

➢ **मत्स्य संरक्षण एवं संर्वधन हेतु जनचेतना एवं गोष्ठी** – पर्वतीय क्षेत्र मे उपलब्ध जलस्रोतों में उपलब्ध मत्स्य सम्पदा के संरक्षण एवं संर्वधन हेतु जन चेतना व गोष्ठियों का आयोजन कर प्रति गोष्ठी रू 10,000/की दर सें व्यय किया गया। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत क्रमश. 05, 03, 08 ,03, 05, 07 गोष्ठियों का आयोजन कर क्रमशः रू. 0.50, 0.30, 0.80, 0.30, 0.50, 0.70 लाख की राशि व्यय की गयी।

➢ **मत्स्य बीज संचय :–** मत्स्य बीज संचय हेतु विभिन्न स्रोत्रो जैसे प्रदेश में स्थित मत्स्य प्रक्षेत्रों/नदियों आदि से मत्स्य बीज संग्रहित कर जनपद के भीतर ही दूसरे ऐसे स्थानों पर जहॉ पर मत्स्य सम्पदा का निरन्तर ह्रास हो रहा है तथा मछलियों की कुछ प्रजातिया लुप्त होने के कगार पर है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत नदियों मे क्रमशः 2.30, 2.85, 2.625, 2.20, 3.50, 1.50, लाख मत्स्य बीज जनपद ऊधम सिंह नगर में हेमपुर हैचरी, काशीपुर से ला कर संचित किया गया है।

3. अनुसूचित जाति हेतु उपयोजना :– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु तालाब निर्माण, मत्स्य पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। योजनान्तर्गत कराए गए कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

➢ **तालाब निर्माण :–** योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के मत्स्य पालको को तालाब निर्माण एंव प्रथम वर्षीय निवेश हेतु प्रति 100 वर्ग मीटर (एक यूनिट) पर रू 60,000/ मानक व्यय पर 70 प्रतिशत अनुदान रू 42000 की दर से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत क्रमशः 19, 17, 17, 27, 19, 19 व्यक्तियों को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

➢ **पर्वतीय तालाब निर्माण योजना :–** इस योजनान्तर्गत 50 वर्ग मीटर की एक यूनिट स्टोन पिचिंग तालाब निर्माण एंव प्रथम वर्षीय निवेश हेतु रू 50000/ मानक व्यय मानते हुए 50 प्रतिशत अनुदान धनराशि रू 25000/ अनुदान देय है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत क्रमशः 12, 12, 12, 12, 12, तालाब निर्माण किये गये है।

➢ **आदर्श तालाब निर्माण योजना :–** इस योजनान्तर्गत 200 वर्ग मीटर का पक्का सीमेन्टेड बहुउद्देशीय मत्स्य पालन तालाब बनाये जाने का प्रावधान है। इसमें रू 3.00 लाख मानक मानते हुए 50 प्रतिशत अनुदान धनराशि रू 1.50 लाख अनुदान देय है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत क्रमशः 01, 02, 02, 02, 02, तालाब निर्माण किया गया है।

➢ **मत्स्य बीज वितरण :–** वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत क्रमशः 3.90, 2.71, 3.50, 130.375, 2.50, 1.93, लाख मत्स्य बीज मत्स्य पालकों के तालाबों में संचय हेतु उन्नत प्रजाति का मत्स्य बीज विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों/अभिकरण की हैचरी से लाकर वितरित किया गया।

➢ **प्रशिक्षण –** राज्य की सभी जनजातियों के उत्थान के लिये विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिसमें तालाब निर्माण /सुधार आदि से पूर्व एवं बाद में मैदानी / पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन एवं उससे सम्बन्धित विभिन्न प्रशिक्षणों की व्यवस्था की गयी है। जिसमें इच्छुक व्यक्तियों को मत्स्य उत्पाद बनाना, जाल बुनना एवं चलाना तथा शोभाकारी मछलियों के रख–रखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण दिये जाते हैं। योजनान्तर्गत तालाब निर्माण कराये जाने वाले लाभर्थियों को दस दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा जिस हेतु प्रत्येक लाभार्थी को रू0 150.00 प्रति दिवस देय होगें। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को दस दिवसीय प्रशिक्षण हेतु रू0 1500.00 देय होगें। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत क्रमशः.रू 2.170, 2.50, 3.17, 5.01, 1.375, 2.17 लाख की राशि व्यय की गयी।

प्रचार प्रसार एंव साहित्य वितरण – वैज्ञानिक मात्स्यिकी को बढ़वा दिये जाने के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मत्स्य पालन सम्बन्धी साहित्य, बैनर, फ्लैक्स बैनर एंव अन्य की व्यवस्था की जायेगी।

➢ **योजनाओं से जनता का लाभ –** उपरोक्त योजनाओं से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ–साथ प्रोटीन युक्त मासांहार की पूर्ति के साथ ही कुपोषण की समस्या भी दूर हुई है। स्वामित्व कृषि योग्य भूमि का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करके अधिकतम लाभ अर्जित किया जा रहा है। रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे ग्रमीणों को अपने ही गॉव में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहें है तथा स्वच्छ पर्यावरण में सहायक वनसम्पदा के दोहन कों रोकने के साथ–साथ जलीय प्रदूषण को रोकने में मदद मिल रही है। जगह–जगह तालाब निर्माण होने से जल संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य स्वतः ही हो रहा है। तालाब निर्माण हाने से पशुओं के पीने के पानी की समस्या दूर होने के साथ–साथ सिचाई आदि सम्बन्धी रोजमर्रा के कार्य सम्पादित हो रहें हैं।

राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना – राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है एवं इसका संचालन 50:50 (केन्द्र एवं राज्य) के आधार पर किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में निर्बल वर्ग के मछुओं के रहन–सहन के स्तर को सुधारना है। इसके अन्तर्गत निर्धन वर्ग के मछुओं को रहने के लिए मकान एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जायेगी उक्त योजनान्तर्गत निम्नानुसार कार्य किये जाने है–

आदर्श मछुआ गावों का विकास – इसके अन्तर्गत जनपदों में मछुआ आवासों का निर्माण निःशुल्क कराया जाता है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के डेरी, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मानको के अनुसार प्रत्येक आवास पर धनराशि रू0 75,000/– आवास का व्यय निर्धारित है।

पेयजल सुविधा – इसके अन्तर्गत मछुआ समुदाय के व्यक्तियों हेतु पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु कम से कम 10 घरों के बीच एक नलकूप की स्थापना कराई जाती है। जिस पर कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पशुपालन, डेरी तथा मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के मानकानुसार रू0 40,000 नलकूप की दर से व्यय किया जाता है।

जन जाति उपयोजना – इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति हेतु तालाब निर्माण, मत्स्य पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। योजनान्तर्गत कराए गए कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

तालाब निर्माण :– योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति के मत्स्य पालको को तालाब निर्माण एंव प्रथम वर्षीय निवेश हेतु प्रति 100 वर्ग मीटर (एक यूनिट) पर रू 60,000/ मानक व्यय पर 70 प्रतिशत अनुदान रू 42000 की दर से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, के अर्न्तगत क्रमशः. 08, 18, 11, 11, व्यक्तियों को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

अध्याय–14

ग्राम्य विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का उद्देश्यः

- ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के श्रम रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा में वृद्धि।
- जल संरक्षण, सूखा निवारण, सिंचन सुविधा, भूमि विकास, बाढ़ नियन्त्रण व जल निकास एवं सर्वमौसम सड़क द्वारा ग्रामीण संयोजकता सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।

पात्रता

- पंजीकृत ग्रामीण परिवारों के समस्त वयस्क जॉब कार्ड धारक सदस्य जो अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हों।

महात्मा गांधी नरेगा योजना का चरणवार क्रियान्वयन

चरण	चयनित जनपदों की सं0	चयनित जनपदों के नाम
प्रथम चरण (2006–07)	3	चमोली, चम्पावत एवं टिहरी
द्वितीय चरण (2007–08)	2	हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर
तृतीय चरण (2008–09)	8	अन्य समस्त जनपद

अधिनियम के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य

योजना निम्नलिखित कार्यों पर केन्द्रित होगी जिसे नीचे प्रवर्गीकृत किया गया हैः

I प्रवर्ग अ : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण –

(i) पेय जल स्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध ठहराव बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शस्य।

(ii) जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभरण प्रबंधन कार्य।

(iii) सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, पुनरूज्जीवन और अनुरक्षण।

(iv) सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनर्जीवन।

(अ) सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहर बंद, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना, और बागवानी।

(vi) सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।

प्रवर्ग आ : दुर्बल वर्गों के लिए व्यक्तिगत परिसम्पत्तियां

(i) भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुंओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।

(ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना।

(iii) इसे जुताई के अधीन लाने के लिए परती भूमि या बंजर भूमि का विकास।

(iv) इंदिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केंद्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक।

(v) कुक्कुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन करना।

(vi) मछली शुष्कण यार्डों, भंडारण सुविधाओं जैसे मत्स्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्स्यपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना।

III प्रवर्ग इ : एनआरएलएम सम्बन्धी स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना

(i) जैव उर्वरकों और पश्च कटाई सुविधाएं जिनके अंतर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए कार्य।

(ii) स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्यशाला।

IV प्रवर्ग ई : ग्रामीण अवसंरचना

(i) विहित संनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से या 'खुले में मल त्याग न करने' प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनबाडी शौचालयों जैसे कार्यों से संबंधित ग्रामीण स्वच्छता ;

(ii) असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवक्र के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना ; और ग्राम में पक्की आंतरिक सड़कें या गलियों, जिनके अंतर्गत पार्श्विक नालियां और पुलियां भी हैं, का निर्माण ;

(iii) खेल के मैदानों का निर्माण ;

(iv) आपदा तैयारी में सुधार करना या सड़कों का जीर्णोद्वार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण कार्य भी हैं, का जीर्णोद्धार, जलमग्न क्षेत्रों में, अपवहन उपलब्ध कराने, बाढ़ जलमार्गों की मरम्मत करने, चॉयर जीर्णोद्धार तटीय संरक्षण के लिए तूफानी जल नालियों का निर्माण संबंधी कार्य ;

(v) ग्राम पंचायतों के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों परिसंघों, चक्रवात, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर में शवदाह गृह के लिए भवनों का निर्माण ;

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान्न भंडारण संरचनाओं का निर्माण ;

(vii) अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकर्मों के लिए ऐसे संकर्मों के प्राक्कलन के भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन ;

(viii) कोई अन्य कार्य, जो इस संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.

क्रियान्वयन प्रक्रिया

1. ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार चाहने वाले परिवारों का पंजीकरण.
2. श्रम रोजगार के इच्छुक ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क फोटोयुक्त परिचय पत्र/जॉब कार्ड की सुविधा.
3. पंजीकृत मजदूरों द्वारा कार्य हेतु ग्राम पंचायत/विकासखण्ड स्तर पर आवेदन
4. योजनान्तर्गत ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग प्रतिबन्धित.
5. पंजीकृत आवेदनकर्ता की मांग पर श्रम रोजगार की उपलब्धता 15 दिवस के भीतर सुनिश्चित.
6. निर्धारित अवधि के भीतर कार्य उपलब्ध न कराये जाने की दशा में बेरोजगारी भत्ता देय.
7. कम से कम लगातार 14 दिन के कार्य की मांग की अनिवार्यता.
8. 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से.
9. परियोजनाओं का चयन एवं अनुमोदन ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा.
10. परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में रेखीय विभागों की सक्रिय भूमिका.

कार्य स्थलीय सुविधायें

1. चिकित्सा सुविधा, पीने का पानी, आराम हेतु छाया की उपलब्धता.
2. छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की माताओं द्वारा कार्य किये जाने की दशा में यदि वे संख्या में 5 से अधिक हैं तो उनके बच्चों हेतु क्रेच की व्यवस्था.
3. कार्य करते दुर्घटना से घायल व्यक्ति की निःशुल्क चिकित्सा एवं अस्पताल भर्ती की स्थिति में आधी मजदूरी देय. मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि रु० 25000/– देय.

मजदूरी भुगतान प्रक्रिया

- भारत सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी दिनांक 1 अप्रैल 2017 से रु० 175/– निर्धारित.
- महिला तथा पुरुष को एक समान मजदूरी देने की व्यवस्था.
- 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था.
- निर्धारित अवधि के भीतर मजदूरी भुगतान न दिये जाने की दशा में विलम्ब हेतु प्रतिकर भुगतान देय.
- कार्यों के लिए श्रमांश न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा सामग्री अंश अधिकतम 40 प्रतिशत निर्धारित जिसमें कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी भी सम्मिलित है.
- मजदूरी भुगतान विकासखण्ड स्तर पर NeFMS (National Electronic Fund Management System) के माध्यम से देय.
- सामग्री अंश का भुगतान विकासखण्ड स्तर पर EFMS (Electronic Fund Management System) के माध्यम से देय.

कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2016–17 तक ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार के इच्छुक 389329 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये गये, 73.711 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया तथा वर्ष के अन्त तक 21756.47 लाख रूपये का व्यय मनरेगा योजना में किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

मुख्य विशेषतायें

- सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना
- टिकाऊ और आपदारोधी आवास (न्यूनतम 25 वर्ग मीटर)
- प्र.मं.आ.यो–ग्रा. के अन्तर्गत निर्मित आवासों में रसोई तथा शौचालय का निर्माण अनिवार्य
- आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता रू. 1.30 लाख
- इकाई सहायता के अतिरिक्त प्रति परिवार शौचालय निर्माण के लिए रू. 12000/– की सहायता स्वजल अथवा मनरेगा से
- आवास निर्माण के लिये मनरेगा योजना से 95 दिनों का अकुशल मजदूरी का प्रावधान
- इसके अतिरिक्त इच्छुक लाभार्थियों को रू. 70.000 तक संस्थागत ऋण का प्रावधान
- SECC- 2011 डाटा से ग्राम सभा द्वारा लाभार्थी का चयन
- आवास साफ्ट एवं पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा भुगतान
- योजना के क्रियान्वयन एवं मोनीटरिंग हेतु मोबाइल ऐप की अनिवार्यता
- लाभार्थी को स्थानीय रूप से उचित एवं उपयोगी आवास डिजाइन चुनने का विकल्प
- आवासों की गुणवत्ता सुधार एवं दक्षता हेतु राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में डी.बी.टी./पी.एफ.एम.एस./ एफ.टी.ओ. के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान

प्र.मं.आ.यो.–ग्रा. के अन्तर्गत अनुमन्य धनराशि रूपये 1,30,000/– का भुगतान डी.बी.टी. के तहत पी. एफ.एम.एस. के माध्यम से थ्ज् के द्वारा सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में निम्नानुसार तीन किश्तों में हस्तान्तरित की जायेगी, जिस हेतु चयनित लाभार्थी को विकास खण्ड के माध्यम से आवास सॉफ्ट में स्वयं का बैंक खाता, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं मनरेगा जॉब कार्ड का नम्बर अंकित कराना होगाः–

स्टेज	धनराशि/प्रतिशत	विवरण
I	60,000/–	आवास स्वीकृत होने पर तथा भूमि चयन के फोटो ग्राफ आवास सॉफ्ट में अपलोड होने पर
II	40,000/–	लेन्टल लेवल निरीक्षण/फोटो ग्राफ आवास सॉफ्ट में अपलोड होने के उपरान्त
III	30,000/–	आवास पूर्ण होने तथा निरीक्षण उपरान्त शौचालय सहित फोटो ग्राफ आवास सॉफ्ट में अपलोड होने पर

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया –ऑन–लाईन व्यवस्था, जियो टैगिंग–

- SECC- 2011 सर्वे में पात्र पाये गये लाभार्थियों का ग्राम सभा की खुली बैठकों द्वारा प्राथमिकता निर्धारण का प्रस्ताव करना।
- ग्राम सभा प्रस्ताव को आवास सॉफ्ट में अपलोड करना।
- ग्राम सभा प्रस्ताव द्वारा लाभार्थी के प्राथमिकता निर्धारण को ऑन–लाईन करना।
- अपीलिएट कमेटी से ऑन–लाईन अनुमोदन।
- लाभार्थी के बैंक खाता, आधार सं0, मनरेगा जॉब कार्ड सं0 आदि पूर्ण विवरण सहित लाभार्थी का पंजीकरण करना।
- आवास एप्प द्वारा आवास निर्माण स्थल का दो स्तरीय फोटो एवं जियो टैगिंग करना।
- जियो टैगिग के उपरान्त सैंक्शन जारी करते हुए सीधे लाभार्थी खाते में प्रथम किश्त की धनराशि का एफटीओ जारी करना।
- द्वितीय एवं तृतीय स्तर का जियो टैगिंग व किश्त का एफ.टी.ओ. जारी करना।

राज्य में पात्र परिवार– SECC-2011 सर्वे में आवास हेतु चिन्हित 62627 परिवारों का ग्राम सभा से सत्यापन उपरान्त 17342 परिवार आवास हेतु पात्र पाये गये। 2016–17 से 2018–19 तक कुल 17561 पात्र परिवारों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार बुनियादी सुविधाओं से युक्त **"अच्छे आवासों"** का निर्माण करवाया जायेगा.

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 634.80 लाख रू0 व्यय कर 2863 आवास पूर्ण कराये गये जिसमें 325 आपदा पैकेज के आवास भी सम्मिलित हैं।

नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना :– नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रू0 32000.00 मात्र है, योजना में लक्षित है। योजना के अर्न्तगत आवास निर्माण हेतु रू0 10000.00 अनुदान तथा 40000.00 रू0 बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 13.20 लाख रू0 व्यय कर 169 आवास पूर्ण कराये गये।

सांसद क्षेत्र विकास योजना :– इस योजना के अन्तर्गत माननीय सांसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये तक की लागत वाले निर्माण कार्य करवाए जाने का सुझाव दे सकते है। राज्य सभा के निर्वाचित माननीय सदस्य जिस राज्य से वे चुन कर आये है, उस राज्य के एक या अधिक जिलों का चयन

इस योजना के अन्तर्गत अपनी पसंद के निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन हेतु संस्तुति कर सकते है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 578.36 लाख रू0 व्यय किया गया।

विधायक क्षेत्र विकास निधि :– इस योजना के अर्न्तगत विधान सभा के प्रत्येक मा0 सदस्य 200.00 लाख रू0 की धनराषि तक निर्माण कार्य कराये जाने का प्रस्ताव दे सकते है। योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होने तथा स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जाता है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 6257.29 लाख रू0 व्यय किया गया।

एकल पेयजल योजना :– त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को मुहैया कराये जाने के दृष्टिकोण से शासन द्वारा एकल पेयजल योजना प्रारम्भ की गई है, इसमें एक ग्राम्य की पेयजल योजना को ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं अनुरक्षण/देख–रेख हेतु हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ऐसी योजनाऐं जो एकल ग्राम पेयजल योजना होने के साथ–साथ ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित हो चुकी हो। योजना के अन्तर्गत योजना में कुल लागत का 10 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत का अंश तथा 90 प्रतिशत भाग में शासकीय धनराशि होती है। योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी विभाग से प्राप्त करने के पश्चात पेयजल विभाग से तकनीकी आख्या प्राप्त की जाती है, तदुपरान्त प्रस्वात स्वीकृति हेतु निदेशालय प्रेषित किए जाने पर आवंटन प्राप्त किया जाता है और योजना ग्राम पंचायत के स्तर से प्रारम्भ की जाती है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 25.63 लाख रू0 व्यय कर 37 योजनाऐं पूर्ण की गई।

दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना :– यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की गई है, जनपद स्तर पर जिला विकास अधिकारी योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी होते है, योजना में बी0पी0एल0 में चयनित परिवारों में से आवास विहीन परिवारों को जो प्रतीक्षा सूची में छूट गये हों, को आवास दिये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं परगनाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करने के बाद चयनित परिवारों की सूची का अनुमोदन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा किया जाता है । आवासविहीनता के साथ–साथ अधिकतम रू0 21000/वार्षिक आय सीमा के ग्रामीण आवासविहीन परिवारों को पात्रता श्रेणी में इस प्रतिबन्ध के साथ रखा जाता है कि आय प्रमाण–पत्र उप जिलाधिकारी से न्यून स्तर का न हो। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 26.79 लाख रू0 व्यय कर 53 आवास पूर्ण किए गए।

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम :– बायोगैस कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, देश में ऊर्जा के बचत के दृष्टिकोण से योजना संचालित की जा रही है। इसमें ऐसे कृषकों का चयन किया जाता है जो संयंत्र स्थापित किये जाने के इच्छुक हो, जिसके अपने स्वयं के पास पॉच या उससे अधिक जानवर हों, उसके निवास के आस–पास पानी की प्रचुर मात्रा हो। कृषक का चयन विकास खण्ड स्तर से किया जाता है, और विकास खण्ड से ही अधिकतम जानकारी मुहैया करायी जाती है। चयन के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त कर संयंत्र का तकनीकी आंगणन विकास खण्ड के तकनीकी स्टाफ द्वारा तैयार किया जाता है, इसकी सूचना जिला स्तर को दी जाती है। जनपद के अन्तर्गत पूर्व वर्षो में संयंत्रों के निर्माण हेतु कुछ राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है जिनके द्वारा मांग के आधार पर संयंत्र निर्मित किए जाते है, इसके अलावा कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं जैसे पॉल हिमालयन, कालिका, रानीखेत द्वारा भी संयंत्र निर्माण हेतु टर्नकी ऐजेन्सी का कार्य किया जा रहा है। जनपद में भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत् प्रायः 02 घन मीटर आकार के संयंत्र स्थापित किए जा रहे है, जिसमें मुवलिंग 11000.00 की सब्सिडी तथा रू0 1500.00 टर्नकी एजेन्सी फीस निर्धारित में दी जा रही है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 19.12 लाख रू0 (अनुदान) व्यय कर 244 बायोगैस संयंत्र निर्माण किए गए।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोगार योजना (एस0जी0एस0वाई0) के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) एन0आर0एल0एम0 योजना

एस0जी0एस0वाई का एन0आर0आर0एल0एम0 में बदलाव

- विभिन्न कमियों के दृष्टिगत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माह जून 2011 में एस0जी0एस0वाई0 के मूल्याकंन के आधार पर गुणात्मक सुधार करते हुए एक नई योजना की रूपरेखा तैयार कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का नाम से संचालन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जिसका परिवर्तित नाम आजीविका भी है एक राष्ट्रब्यापी मिशन तथा ध्वजवाहक कार्यक्रम के रूप में संचालन।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महत्वपूर्ण घटक

सामाजिक एकजुटता एवं समावेश

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह एवं इनके उच्च स्तरीय संगठनों (VO/BO) के माध्यम से आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ कर उनकी आजीविका को संवहनीय बनाना।
- ग्रामीण बेरोजगार युवक–युवतियों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कर उन्हें रोजगार एंव स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से राज्य मे आगामी 8–10 वर्षो की अवधि के दौरान समस्त गरीब ग्रामीण परिवारों को मिशन के अन्तर्गत आच्छादित करने का लक्ष्य।
- सहभागिता से गरीबों की पहिचान (PIP).

संस्थागत तथा कौशल विकास

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से राज्य में विभिन्न केन्द्रपोषित/राज्य सहायतित अथवा वाह्यसहायतित योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों का सुदृढीकरण,क्षमता विकास एवं नवीन स्वयं सहायता समूहों का सृजन एवं क्षमता वर्धन कर आजीविका के विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुये ग्राम,कलस्टर तथा विकास खण्ड स्तर पर संगठनों का निर्माण एवं आजीविका संर्वधन हेतु संसाधनों की उपलब्धता।
- समूह गठन में पंचसूत्र का नितान्त समावेशन।

वित्तीय समावेशन

- महिला स्वयं सहायता समूह एवं उनके संगठनों (Federations) को सतत् मार्गदर्शन एंव क्षमतार्वधन करना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संगठनों को वित्तीय साक्षरता यथा – बचत, ऋण,साख तथा बीमा पर परामर्श उपलब्ध कराते हुए पूर्ण रूप से वित्तीय समावेशन करना।
- आर0एफ0 तथा सी0आई0एफ0 समूहों एवं उनके संगठनों को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता।
- ब्याज उपादान (Interest subsidy) की ब्यवस्था।

आजीविका प्रोत्साहन

- मौजूदा आजीविका के मुख्य साधनों (कृषि, गैर कृषि एवं स्वरोजगार इत्यादि) का विस्तार तथा संगठन आधारित आजीविका का सृजन करना।
- कौशल एवं उद्यमिता आधारित रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण एंव क्षमता विकास करना।
- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता तथा महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका को बढ़ाने हेतु महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का क्रियान्वयन करना।

➢ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) एन0आर0एल0एम0 योजना प्रथम चरण में राज्य के 05 जनपद (देहरादून, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तकाशी) के 10 विकास खण्डों को (Intensive) तथा शेष जनपदों के 85 विकासखण्डों को (Non-Intensive) विकास खण्ड मानते हुवे, आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किया जाना है।

➢ एस0जी0एस0वाई0 योजना/एन0आर0एल0एम0 (आजीविका) के अन्तर्गत सक्रिय महिला/ विकलांग महिला समूहो जो समूह पंचसूत्रीय जैसे (नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित ऋण, नियमित ऋण की वापसी, बुक किपिंग) आदि समूहों को लिया जाना है। महिला समूहों को लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

➢ एस0जी0एस0वाई0 योजना/एन0आर0एल0एम0 (आजीविका) के अन्तर्गत बीस सूत्रीय कार्यक्रम में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। क्योंकि यह योजना लक्ष्य आधारित नहीं है।

➢ एस0जी0एस0वाई0 योजना/एन0आर0एल0एम0 (आजीविका) के अन्तर्गत सक्रिय महिला/विकलांग महिला समूहो को Subsidy (अनुदान) 0.10 लाख रू0 तथा Community Investment Funds (CIF) 0.50 लाख रू0 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

अध्याय – 15

विद्युत

आर्थिक विकास हेतु प्रमुख अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकता के अन्तर्गत विद्युत सबसे प्रमुख है। सामान्यजन के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन विद्युत पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्यों के लिये भी विद्युत का प्रयोग धीरे–धीरे बढ़ता जा रहा है। कुमायूँ मण्डल में 6870 राजस्व ग्राम है, जिनमें से वर्ष 2016–17 के अन्त तक 6865 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जिला

नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर में सभी ग्राम विद्युतीकृत हैं। चम्पावत में 99.21 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं।

जनपदवार विद्युतीकृत ग्रामों का विवरण वर्ष 2016–17 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	जनपद	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या			
		पावर कारपोरेशन द्वारा	उरेडा द्वारा	लघु जल विद्युत	योग
1.	अल्मोड़ा	2149	0	0	2149
2.	बागेश्वर	804	11	31	846
3.	नैनीताल	1050	0	0	1050
4.	पिथौरागढ़	1506	36	0	1542
5.	ऊधम सिंह नगर	651	0	0	651
6.	चम्पावत	600	27	0	627
योग मण्डल		**6760**	**74**	**31**	**6865**

जल विद्युत

1. विभाग का परिचय एवं विस्तार – पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन ऊर्जा सुधार एवं अन्तरण अधिनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2000 में हो गया था। फलस्वरूप जल विद्युत निगम, पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उत्पादन निगम का सृजन हुआ। उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद 09.11.2001 से उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड क्रियाशील हुआ। कालान्तर में, जल

विद्युत परियोजनाओं के विकास के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में कार्य करने के उद्देश्य से यूजेवीएन लिमिटेड की स्थापना की गयी। वर्तमान में यूजेवीएन लिमिटेड दिनांक 04.04.2011 से प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं उत्पादन के अतिरिक्त सौर ऊर्जा बगास आधारित परियोजनाओं पर भी कार्यरत है एवं गैस चलित ताप विद्युत परियोजनाओं एवं कोल ब्लाक आवंटन क्षेत्र में भी प्रयासरत है। प्रदेश के दुर्गम एवं सीमान्त क्षेत्रों में विद्युत वितरण कार्यों में यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा सफलता पूर्वक कार्य किया गया। सम्पूर्ण कुमायूँ मण्डल क्षेत्र में लघु, मध्यम, बृहद परियोजनाओं के विकासार्थ पिथौरागढ़ में मण्डल कार्यालय क्रियाशील है।

2. विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का वित्तीय पोषण – उत्तराखण्ड सरकार के नीतियों के अनुरूप पूर्ववर्ती खण्ड धारचूला एवं थल के अन्तर्गत उत्पादनरत कुल 11.33 मे0वा0 क्षमता की 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को हस्तान्तरण कर दिया गया है। जबकि 1150 कि0वा0 दुर्गापुर परियोजना को नगर पालिका परिषद, नैनीताल को हस्तान्तरित किया गया। वर्तमान में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य चल रहा हैः–

   1. तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 2X2.5 मे0वा0 सुरिनगाड़ द्वितीय चरण लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य।
   2. 12 मे0वा0 तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला की डी0पी0आर पूर्ण एवं लैण्ड केस ऑनलाईन फाइल कर दी गयी है।
   3. 15 मे0वा0 पैनागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील, मुनस्यारी की डी0पी0आर0 का अनुमोदन अपेक्षित।
   4. 12 मे0वा0 जुम्बागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील, मुनस्यारी की डी0पी0आर0 का अनुमोदन अपेक्षित।
   5. 120 मे0वा0 सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना, तहसील, मुनस्यारी – अनुसंधान एवं नियोजन चरण में।
   6. 230 मे0वा0 की सेलाउथिंग जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला – सर्वेक्षण एवं अनुसंधान चरण में।

   उपरोक्त के अतिरिक्त कुमायूँ मण्डल में नदेही एवं बाजपुर शुगर मिल पर क्रमशः 16 मे0वा0 एवं 22 मे0वा0 क्षमता की बगास आधारित विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु उत्तरांचल शुगर्स से अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर लिये गये हैं। निविदा आमंत्रण हेतु कार्य प्रगति पर है।

3. विभागीय कार्यों पर गत वर्षों के सापेक्ष प्रगति एवं समीक्षात्मक आलेख – वर्ष 2013–14 की अपेक्षा उपरोक्त विकासाधीन एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं पर वर्ष 2014–15 में बेहतर एवं तीव्र गति से कार्य हुये परन्तु 16 एवं 17 जून 2013 को आयी प्राकृतिक आपदा के चलते उत्पादनरत परियोजनाओं सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं को अभूतपूर्व क्षति पहुॅची। प्राकृतिक आपदा के उपरान्त यथा सम्भव प्रयास करते हुये सुरिनगाड़ द्वितीय चरण लघु जल विद्युत परियोजना, तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना एवं

सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिये गये हैं जबकि 1.2 मे0वा0 की कूलागाड़ परियोजना का जीर्णोधार, 2 मे0वा0 की कंचोटी परियोजना का पुर्ननिर्माण कार्य एवं 8 मे0वा0 की सोबला परियोजना का पुर्नवास कार्य के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

4. **रोजगार सृजन –** परियोजनाओं के निर्माण एवं कमीशिनिंग के उपरान्त उत्पादन हेतु परिचालकीय वर्ग के कार्मिकों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में आउट सोर्सिंग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) से कार्मिकों को अनुबन्धित कर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाताहै। समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन प्रक्रिया भी सम्पादित की जाती है। अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं की सीधी भर्ती का भी प्राविधान है।

अध्याय – 16

अक्षय ऊर्जा

सूर्योदय स्वरोजगार योजना 4–5 कि0वा0 (सोलर पावर प्लाण्ट ग्रिड कनेक्टेड) – इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय जिलों/क्षेत्रों के लाभार्थी अपने घर की छत पर 4–5 किलोवाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत करा सकता है जिस हेतु छत पर लगभग 80 से 100 वर्ग मीटर छाया रहित जगह की आवश्यकता होती है। सयंत्र की स्थापना के साथ ही इस हेतु यू0पी0सी0एल0 से किये गये 25 वर्षीय विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुसार यू0पी0सी0एल0 की ग्रिड से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है। प्लाण्ट से धूप होने पर लगभग उत्पादित होने वाली प्रति घण्टे 03 से 04 यूनिट/प्रति कि0वा0 बिजली संबन्धित लाभार्थी के घर पर जुड़े विद्युत उपकरणों के संचालन पर सर्व प्रथम व्यय/उपयोग होती है तथा शेष बच रही विद्युत यू0पी0सी0एल0 की ग्रिड में स्वतः प्रवाहित (एक्सपोर्ट) हो जाती है तथा रात्रि में पूर्व की भॉति यू0पी0सी0एल0 की ग्रिड से संबन्धित लाभार्थी को विद्युत आपूर्ति (इम्पोर्ट) होती रहती है इस प्रकार सयंत्र के साथ जोड़े गये एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट विद्युत मीटर में नेट मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत क्रय विक्रय की गणना यू0पी0सी0एल0 द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। ऐसे 04 किलोवाट के सयंत्र की स्थापना पर रू0 3.00 लाख का व्यय आता है जिस पर विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में योजना पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया गया है। वर्ष 2016–17 में यह योजना के अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा–361, नैनीताल–118, पिथौरागढ़–202, बागेश्वर–120 चम्पावत–97 संख्या लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

सोलर पावर प्लाण्ट ग्रिड कनेक्टेड – ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लाण्ट सयंत्र की स्थापना के साथ ही इस हेतु यू0पी0सी0एल0 से किये गये 25 वर्षीय विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुसार यू0पी0सी0एल0 की ग्रिड से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है। प्लाण्ट से धूप होने पर लगभग उत्पादित होने वाली प्रति घण्टे 03 से 04 यूनिट/प्रति कि0वा0 बिजली संबन्धित लाभार्थी के घर पर जुड़े विद्युत उपकरणों के संचालन पर सर्व प्रथम व्यय/उपयोग होती है तथा शेष बच रही विद्युत यू0पी0सी0एल0 की ग्रिड में स्वतः प्रवाहित (एक्सपोर्ट) हो जाती है तथा रात्रि में पूर्व की भॉति यू0पी0सी0एल0 की ग्रिड से संबन्धित लाभार्थी को विद्युत आपूर्ति (इम्पोर्ट) होती रहती है इस प्रकार सयंत्र के साथ जोड़े गये एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट विद्युत मीटर में नेट मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत क्रय विक्रय की गणना यू0पी0सी0एल0 द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। संयन्त्र की

स्थापना पर लगभग रू0 0.75 लाख प्रति कि0वा0 का का व्यय आता है। वर्ष 2016–17 में कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद नैनीताल–450 कि0वा0 एवं उधम सिंह नगर–1300 कि0वा0 ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापाना की गई है।

सोलर पावर प्लाण्ट (ऑफ ग्रिड) – इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी /संस्थान अपने भवन में विद्युत की सुचारू निरन्तर व्यवस्था हेतु अपनी आवश्यकतानुसार क्षमता अनुरूप ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना करवा सकता है यह प्लाण्ट से दिन में धूप द्वारा उत्पादित विद्युत को प्लाण्ट के साथ जोडे गये बैट्री बैंक में दिन के समय एकत्र कर लिया जाता है यथा आवश्यकता अनुसार इसे उपयोग में लाया जाता है। यह योजना पर वर्तमान में कोई अनुदान देय नहीं है जिसकी स्थापना हेतु लगभग 20 वर्ग मीटर प्रति किलोवाट छाया रहित स्थल की आवश्यकता होती है तथा प्लाण्ट की स्थापना पर लगभग रू0 1,35,000.00 प्रति किलोवाट की दर से व्यय आता है। वर्ष 2016–17 में यह योजना के अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा–05 कि0वा0, उधमसिंहनगर–10 कि0वा0 के संयत्र की स्थापना करायी गई है।

डिश सोलर कुकर – इस उपकरण में धूप की मदद से बिना ईधन खर्च किये भोजन बनाया जाता है। संयंत्र में एक 1.50 मी0 व्यास की पैराबोलिक रिफलेक्टर डिश होती है जिसके साथ एक 5 ली0 क्षमता का प्रेशर कुकर भी उपलब्ध कराया जाता है। यह संयत्र से लगभग 45 मिनट में प्रेशर कुकर में रखी गयी खाद्य सामग्री पकायी जा सकती है जिससे पकी खाद्य सामग्री पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भी होती है। यह संयंत्र का कुल मूल्य रूपये 6,573/– है तथा केन्द्रीय एवं राज्य अनुदान पश्चात् रूपये 986/– मात्र लाभार्थी अंशदान पर संयंत्र उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2016–17 में यह योजना के अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा–500, नैनीताल–122, पिथौरागढ़–70, उधमसिंहनगर–50, बागेश्वर–90, चम्पावत–35, लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

सोलर स्ट्रीट लाइट – इस योजना के अन्तर्गत रात्रि में पथ प्रकाश हेतु ग्रामों, सार्वजनिक स्थलों, ग्रामीण बाजार आदि में सुलभ कराये जाने के दृष्टिगत यह सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करायी जाती है। वर्तमान में इस संयंत्र पर अनुदान देय नही है तथा दस वर्षीय रखरखाव सहित संयत्र का मूल्य रूपये 21,500/– मात्र है। जिला योजना, विधायक निधि, सांसद निधि तथा अन्य स्रोतों से संयत्र मूल्य की पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने पर यह संयंत्र निर्देशित स्थलों पर स्थापित कराये जाते हैं। यह स्वचालित संयत्र है जो कि अन्धेरा प्रारम्भ होते ही स्वतः ऑन हो जाता है तथा सूर्योदय होते ही ऑफ हो जाता है। वर्ष 2016–17 में यह योजना के अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा–538, नैनीताल–207, पिथौरागढ़–290, उधमसिंहनगर–64, बागेश्वर–110, चम्पावत–244 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य कराया गया है।

सोलर वाटर हीटर – इस संयत्र का प्रयोग सूर्य की किरणों द्वारा होटलों, घरो इत्यादि में गरम पानी की आपूर्ति/प्राप्ति हेतु किया जाता है। यह संयत्र 100 ली0 प्रतिदिन क्षमता के गुणांक में किसी भी क्षमता तक स्थापित कराते हुए अपनी आवश्यकतानुसार 60 से 80 डिग्री सेन्टीग्रेट तक गरम पानी प्राप्त करते हुये ईधन/विद्युत की बचत की जा सकती है। इस संयंत्र पर वर्तमान में अनुदान देय नहीं है किन्तु स्थापना उपरान्त नियमानुसार उ0पा0कार्पो0लि0 को स्थापित कराये गये संयत्र की क्षमता से सप्रमाण सूचित/मांग किये

जाने पर सम्बन्धित के विद्युत बिल में रू. 1.00/– प्रति ली0 की दर से विद्युत बिल में छूट दिये जाने का प्राविधान है। यह सयंत्र की स्थापना हेतु राज्य में विभिन्न फर्मे कार्यरत हैं तथा ऐसे 100 ली0 प्रतिदिन क्षमता का संयत्र लगभग रू0 18000/– में इनके माध्यम से स्थापित करवाया जा सकता है। वर्ष 2016–17 में यह योजना के अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा–3050, पिथौरागढ़–18000, उधमसिंहनगर–3000, बागेश्वर–1000, चम्पावत–8000, लीटर/प्रतिदिन क्षमता के सयंत्र स्थापित कराये गये हैं।

बायोमास वुड स्टोव – पर्यावरणीय दृष्टि/ईधन की बचत हेतु तकनीकि रूप से निर्मित धुऑ रहित बायोमास वुड स्टोव से लगभग 50 प्रतिशत ईंधन य था लकड़ी, कोयला, बायोमास ब्रिकेट्स आदि की बचत की जा सकती है साथ ही इसके उपयोग से सामान्य चूल्हों की अपेक्षा धुऑ भी 80 प्रतिशत कम होता है। ऐसे बायोमास वुड स्टोव विभिन्न माडल एवं साइजों में उपलब्ध होते हैं। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में–1725 संख्या लाभाथियों को रू0 300.00 प्रति स्टोव लाभार्थी अंशदान पर उपलब्ध कराये गये हैं।

पारिवारिक बायोगैस – पारिवारिक बायोगैस से जनित गैस पारंपरिक एल0पी0जी0 गैस का उत्तम विकल्प है। इसके उपयोग से जीवाश्म ईधनों पर दबाव तो कम होता ही है, साथ ही स्वास्थ्य एवं पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त संयन्त्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में मिलती है जो कि खेतों के लिए बहुत लाभाकारी होती है। इस योजना में 2–4 घन मी0 के संयन्त्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा रू0 11000.00 प्रति संयन्त्र अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद नैनीताल–355 एवं उधम सिंह नगर–275 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

सुधारित घराट – इस योजना के अन्तर्गत पारम्परिक घराटों के उच्चीकरण पर सयंत्र की लागत के सापेक्ष (मैकेनिकल घराटों की दशा में अधिकत रू0 50,000.00 एंव इलेक्ट्रिकल घराटों की दशा में अधिकत रू0 150,000.00) तक सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़–10, बागेश्वर–5, घराट स्थापित कराये गये।

अध्याय – 17

उद्योग

वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य के सतत् एवं समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कम पूंजी निवेश में अधिक रोजगार सृजन की क्षमता रखते हैं और अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र जैसे खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण जैसे स्थानीय संसाधनों पर आधारित क्षेत्रों में व्यापक रूप से विस्तारित होने के कारण, कृषि क्षेत्र के पश्चात् रोजगार सृजन में दूसरा स्थान रखते हैं। एमएसएमई क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए गत् वर्षो में अनेक रोजगार परक योजनायें लागू की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में शासन, निदेशालय, जनपद एवं बैकिंग सेक्टर के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य पीएमईजीपी कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में अग्रणी राज्यों में रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य गत् वर्षो में किये गये सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप ईज ऑफ डूईंग बिजनेस मे प्रथम 10 राज्यों में स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है। उपरोक्त उपलब्धि के साथ–साथ विभाग द्वारा संचालित अन्य रोजगारपरक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रारंभ में आयोजित समीक्षा बैठक के माध्यम से इस वर्ष हेतु फोकस एरिया को चिन्हित करते हुए विभागीय रणनीति, कार्ययोजना एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु विभागीय रूप रेखा तैयार की गई है, ताकि वर्षान्त तक विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए लक्ष्यों की शत्–प्रतिशत प्राप्ति की जा सके।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

(Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन, विकास एवं संवर्द्धन तथा इन उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम भारत के राजपत्र दिनांक 16 जून, 2006 मे प्रकाशित हुआ है तथा अधिनियम के प्राविधान दिनांक 02 अक्टूबर, 2006 से प्रवर्त हो गये हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग शब्द के स्थान पर उद्यम शब्द का प्रयोग किया गया है तथा कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ''सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम'' के रूप में नये सिरे से परिभाषित किया गया है।

उद्यमों को दो श्रेणियों में निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:–

1–निर्माण एवं उत्पादन में संलग्न उद्यम (**Manufacturing Enterprises**)	प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा
सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises)–	रु. 25 लाख तक
लघु उद्यम (Small Enterprises)–	रु. 25 लाख से रु. 5 करोड़ तक
मध्यम उद्यम (Medium Enterprises)–	रु. 5 करोड़ से रु. 10 करोड़ तक

2–सेवा क्षेत्र में संलग्न उद्यम (**Service Enterprises**)	उपकरणों में निवेश की सीमा
सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises)–	रु. 10 लाख तक
लघु उद्यम (Small Enterprises)–	रु. 10 लाख से रु. 2 करोड़ तक
मध्यम उद्यम (Medium Enterprises)–	रु. 2 करोड़ से रु. 5 करोड़ तक

उद्योग आधार मैमोरेण्डम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा का.आ. 2576(अ)– सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशित दिनांक 29 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1643 (अ), का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार इस पक्ष में सलाहकार समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के उपरांत विनिर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इस अधिसूचना के साथ अनुबंध–1 के रूप में संलग्न फार्म में उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करेगा।

उद्योग आधार ज्ञापन प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित http://udyogaadhar.gov.in, उद्योग आधार पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल किया जायेगा लेकिन अपवादिक मामलों में जहॉ किसी कारण से आनलाइन फाइलिंग संभव नही है, वहॉ विधिवत भरे गए अनुबंध–1 के रूप में फार्म की हार्ड प्रति संबंधित जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत की जाय जो ऐसे उद्यम की ओर से उद्योग आधार ज्ञापन आनलाइन फाइल करेगा। एक ही आधार संख्या का प्रयोग कर एक से अधिक उद्योग ज्ञापन फाइल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

उद्योग आधार ज्ञापन स्वघोषणा के आधार पर फाइल किया जायेगा और उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करते समय, समर्थन में कोई भी दस्तावेज अपलोड किया जाना अथवा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसे प्राधिकृत किया जाए, जहां अवश्यक हो, उद्योग आधार ज्ञापन में दी गयी सूचना के दस्तावेजी प्रमाण मांग सकता है।

उद्योग आधार मैमोरेण्डम फाईल के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

(पूंजी निवेश करोड़ रू0 में)

जनपद का नाम	वर्ष 2016–17 में फाईल किये गये उद्योग आधार मैमोरेण्डम	
	संख्या	पूंजी निवेश
नैनीताल	261	152.00
ऊधमसिंहनगर	498	212.30
अल्मोड़ा	160	18.87
पिथौरागढ़	160	11.98
बागेश्वर	124	4.72
चम्पावत	115	10.90
योग :–	**1318**	**410.77**

कार्यरत् वृहत उद्योगों की अद्यतन स्थिति

प्रदेश में पूर्ववर्ती राज्य से माह मार्च, 2017 तक कार्यरत् बृहद उद्योगों की संख्या 151 है, जिनमें रू. **17278.25** करोड़ का पूंजी निवेश तथा **42671** लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जनपदवार कार्यरत् स्थापित बृहद उद्योगों की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	जनपद	कार्यरत् इकाईयां		
		संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू. में)	रोजगार
1	ऊधमसिंहनगर	148	13609.24	39202
2	नैनीताल	3	3669.01	3469
	योगः–	**151**	17278.25	**42671**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिगत देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 15 अगस्त 2008 से प्रारम्भ किया गया है।

संचालित विभाग:

योजना संयुक्त रूप से जिला उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित की जा रही है।

1– जिला उद्योग केन्द्र द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में।

2– खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में।

योजना के अवयव:

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूक्ष्म विनिर्माण/सेवा उद्यम के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियां।

पात्रता:

- 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवक/युवतियां एवं उद्यमी।
- उद्यम के निर्माण क्षेत्र में 10.00 लाख से अधिक की योजना एवं सेवा क्षेत्र में रू0 5 लाख से अधिक की योजना हेतु न्यूनतम योग्यता आठवीं पास।
- योजना के अन्तर्गत केवल नयी स्थापित इकाई को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा। पुरानी/अन्य संस्था द्वारा पूर्व में अनुदान/सब्सिडी प्राप्त इकाईयों को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नकारात्मक सूची में घोषित उद्योग पात्रता की श्रेणी में नहीं आयेंगे।

वित्तीय सहायता:

उद्योग क्षेत्र : अधिकतम रू0 25.00 लाख

सेवा क्षेत्र : अधिकतम रू0 10.00 लाख

मार्जिन मनी एवं अनुदान : भारत सरकार द्वारा निम्न प्रकार अनुमन्य किया गया है:–

योजनान्तर्गत लाभार्थियों के वर्ग	परियोजना लागत पर लाभार्थियों का अंशदान	सहायता दर	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
सामान्य वर्ग	10%	15%	25%
अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग	5%	25%	35%

नकारात्मक सूची:

- मांस(प्रशोधन, डिब्बाबंदी और परोसना) और नशीली सामाग्रियां(उत्पादन/निर्माण बिक्री)
- फसल उगाना, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, खादी और पालीवस्त्र आदि।
- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी परियोजना

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना :–

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रथम माह में राज्य सरकार/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी विज्ञापन निकाला जायेगा, जिसके माध्यम से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।
- जनपदों में जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे ताकि बेरोजगारो को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जा सके।
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह जिला स्तरीय टास्कफॉर्स कमेटी (DLTFC) का आयोजन किया जायेगा, और निर्धारित लक्ष्य के डेढ़ गुणा अधिक आवेदनों का चयन कर उन्हें जून माह तक सम्बन्धित बैंक शाखाओं को स्वीकृत/संवितरण के लिये प्रेषित कर दिया जायेगा। बैंको द्वारा सभी मार्जिन मनी दावे माह नवम्बर तक नोडल बैंक को प्रेषित कर दिये जायेंगे ताकि माह जनवरी तक सभी मार्जिन मनी दावे निस्तारित किये जा सके।
- जिलाधिकारी द्वारा बीएलबीसी (BLBC), एसएलबीसी (SLBC) स्तर पर भी प्रत्येक माह योजना की समीक्षा की जायेगी।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति दिनांक 31–3–2017 तक

(वर्ष 2016–17)

(धनराषि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लक्ष्य		स्वीकृत ऋण		वितरित मार्जिन मनी बैक लॉग सहित		रोजगार
		इकाई	मार्जिन मनी	सं0	धन0	सं0	धन0	
1	नैनीताल	25	49.46	65	85.89	66	104.32	260
2	ऊधमसिंहनगर	25	49.45	24	43.95	35	78.88	96
3	अल्मोड़ा	21	42.00	56	83.72	56	77.99	168
4	पिथौरागढ़	18	36.00	66	67.56	65	55.45	264
5	बागेश्वर	17	34.00	42	46.21	58	65.45	168
6	चम्पावत	20	40.00	66	74.25	78	91.19	264
योगः–		**126**	**250.91**	**319**	**401.58**	**358**	**473.28**	**1220**

उद्योग मित्र

जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति के कार्यों में मुख्य रूप से जिला स्तर पर उद्योगों के प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभागों से समय–सीमा के अन्तर्गत स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने की समीक्षा, एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन, उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाईयों के लिये सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उद्यमियों की समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही एवं जिन मामलों को जिला स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सका है, को राज्य स्तर पर विचार/निर्णय के लिये सन्दर्भित करना है। जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

उद्देश्य:

- स्वरोजगार हेतु नये सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
- बिखरे हुए पारम्परिक शिल्पियों (आर्टीजन) तथा शहरी व ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को एक साथ लाकर, यथासम्भव उनके आवासीय स्थल के पास रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से नवयुवकों के पलायन को रोकना।
- दस्तकारों की आय उपार्जन की क्षमता में अभिवृद्धि कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास दर में वृद्धि।
- योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, अनुदान स्वरूप दी जायेगी। योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड प्रदेश होगा। योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड प्रदेश होगा। योजना के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, भारत सरकार द्वारा नकारात्मक सूची में चिन्हित गतिविधियों को भी वित्तपोषित किया जा सकेगा।
- योजना के अन्तर्गत सेवा/व्यवसाय तथा उद्योग स्थापना हेतु नयी परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- प्रदेश के छोटे, अति लघु उद्योग जैसे बारबरी (नाई), धोबी, कारपेंटरी, रफुगिरी, टेलरिंग व कार्डिंग के व्यवसाय को प्रोत्साहन।

योजना का क्रियान्वयन : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा। योजना का क्रियान्वयन उद्योग निदेशालय तथा उसके अधीन जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा।

ऋण की मात्रा एवं मार्जिन मनी सहायता (अनुदान सहायता) : कुल अनुमोदित परियोजना लागत के सापेक्ष सामान्य वर्ग के उद्यमी/अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तथा विशेष वर्ग के लिए 95 प्रतिशत ऋण राशि स्वीकृत कर भुगतान की जायेगी। परियोजना लागत में भूमि की कीमत शामिल नहीं होगी।

योजनान्तर्गत मार्जिन मनी सहायता/अनुदान, जो राज्य सरकार द्वारा देय होगी निम्न प्रकार है:–

योजनान्तर्गत लाभार्थियों के वर्ग	स्वयं का योगदान	सहायता दर	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
सामान्य वर्ग	10%	15%	25%
विशेष (अ.सू. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ भू.पू.सैनिक/ शारीरिक विकलांग/ उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी)	5%	25%	35%

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

(वर्ष 2016–17) माह मार्च, 2017 तक

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त प्रार्थना पत्र	योजनान्तर्गत नियमावली के बिन्दु संख्या 7 (ख) के अनुसार आवेदक की पात्रता देय मार्जिन मनी की गणना						योग (उद्योग+सेवा+व्यवसाय)		रोजगार सृजन
				उद्योग		सेवा		व्यवसाय				
				संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या
1	नैनीताल	30	160	7	3.63	4	2.40	14	10.20	**25**	**16.22**	26
2	उधमसिंहनगर	35	139	14	13.88	9	4.94	11	7.68	**34**	**26.50**	75
3	अल्मोड़ा	30	43	6	3.95	4	2.13	14	5.75	**24**	**11.83**	27
4	पिथौरागढ़	30	36	4	3.13	10	6.38	9	4.97	**23**	**14.48**	33
5	बागेश्वर	20	30	2	2.10	7	4.50	10	6.50	**19**	**13.10**	19
6	चम्पावत	20	44	3	1.75	9	4.70	11	7.00	**23**	**13.45**	27
योग		**165**	**452**	**36**	**28.44**	**43**	**25.05**	**69**	**42.1**	**148**	**95.58**	**207**

उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015

उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र के समन्वित एवं समावेशी विकास के लिए वर्ष 2008 में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 लागू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर उद्यमिता को अभिप्रेरित करते हुए उद्योग स्थापना को बढ़ावा देना था, ताकि रोजगार के सृजन के साथ–साथ पर्वतीय क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोका जा सके। इस नीति में वर्ष 2011 में कतिपय संशोधन भी किये गये।

राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, पर्वतीय क्षेत्र से जनशक्ति के पलायन को रोकने, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों की स्थापना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे राज्य हेतु ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015'' लागू की गई है।

यह नीति 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि से पात्र औद्योगिक इकाईयों को उपादान प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट के रूप में चिन्हित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को निम्नलिखित सहायता/सुविधाएं प्रदान की गई हैं:–

निवेश प्रोत्साहन सहायता :– उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर निम्नांकित श्रेणियों के अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी:–

क्र.सं.	श्रेणी	प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	40 प्रतिशत (अधिकतम रू. 40 लाख)
2	श्रेणी–बी एवं बी+	35 प्रतिशत (अधिकतम रू. 35 लाख)
3	श्रेणी–सी	30 प्रतिशत (अधिकतम रू. 30 लाख)
4	श्रेणी–डी	15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 15 लाख)

ब्याज उपादान :

क्र.सं.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
2	श्रेणी–बी एवं बी+	08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
3	श्रेणी–सी	06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
4	श्रेणी–डी	शून्य

मूल्यवर्धित कर (वैट) की प्रतिपूर्ति :

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 90 प्रतिशत
2	श्रेणी–बी	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत
	श्रेणी–बी+	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत

स्टाम्प शुल्क में छूट :

क्र.सं.	श्रेणी	छूट की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	शत् प्रतिशत
2	श्रेणी–बी एवं बी+	शत् प्रतिशत
3	श्रेणी–सी	शत् प्रतिशत
4	श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति :

संयोजित विद्युत भार	श्रेणी–''ए''	श्रेणी–''बी'' व ''बी+''
	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा
100 केवीए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत् प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत् प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत
100 केवीए से ऊपर	60%	50%

विशेष राज्य परिवहन उपादान :

क्र.सं.	श्रेणी	उपादान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
2	श्रेणी–बी	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
	श्रेणी–बी+	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00 लाख प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई अथवा कच्चामाल/ तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत वर्ष 2016–17 में इकाईयों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता का विवरण जनपदवार निम्नवत् हैः–

जनपद का नाम	इकाईयों की संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)
नैनीताल	36	231.59
अल्मोड़ा	21	150.16
बागेश्वर	12	41.86
पिथौरागढ़	27	24.06
चम्पावत	11	87.46
योग	**107**	**535.13**

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने एंव लघु उद्योगों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये प्रेरित करना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं उद्यमियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं और इसके आधार पर अपने उद्यम के चयन, सरलता पूर्वक स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना स्त्रोतों की जानकारी भी उन्हें मिलती है।

इस कार्यक्रम में निम्न अवयव सम्मिलित हैं :

- विशिष्ट तकनीकी शोध, विकास एंव अन्य विशिष्ट संस्थाओं का समुचित सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अंग के अधीन जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों, सहायक प्रबन्धक स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- उद्यमियों तथा प्रशिक्षकों का फील्ड विजिट, जिसमें औद्योगिक दृष्टि से सफल औद्योगिक कलस्टरों एंव आदर्श उद्यमिता संस्कृति के क्षेत्रों का भ्रमण।
- जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमियों के लिये आवश्यक सामयिक साहित्य, सूचना एंव नवीनतम प्रशिक्षण तकनीक एवं उपकरणों से सुसज्जित करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किये जा रहे हैं–

दो दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्रत्येक जनपद में आवश्यकतानुसार तीन दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में 15–20 व्यक्तियों के समूह में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

तीन साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम : ये कार्यक्रम यथासम्भव किसी विशिष्ट उद्योग के लिये 15–20 उद्यमियों के समूह में आयोजित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रायः तकनीकी ज्ञान व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आयोजित किये जा रहे हैं। इन्हें विशिष्ट तकनीकी संस्थाओं, जैसे आई0आई0टी0/इंजीनियरिंग कालेज, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, ई0एस0टी0सी0, आदि अन्य विभिन्न तकनीकी संस्थाओं से तथा जनपदों में योग्य एवं अनुभवी संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार संपादित कराये जाने का प्राविधान रखा गया है।

चार साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम : उद्यमिता प्रशिक्षण हेतु उद्यमिता के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थाओं जैसे उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान, इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ इण्टरप्रनियॉरशिप गुवाहाटी, आसाम आदि से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में 20–25 व्यक्तियों के समूह को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

एकल खिड़की व्यवस्था (SINGLE WINDOW SYSTEM)

- उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों/स्वीकृतियों/ अनापत्तियों/अनुज्ञां के लिये सूचना, मार्ग–दर्शन, आवेदन–पत्रों की उपलब्धता तथा आवेदन–पत्रों के केन्द्रीय व समयबद्ध निस्तारण के लिए एकल खिड़की सम्पक्र, सूचना एवं सुगमता व्यवस्था दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 से लागू।
- उद्यम स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा अनुज्ञां के लिये अनुमोदित प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति की अधिकतम समय–सीमा 15 दिन।
- उद्यम के संचालन हेतु वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों हेतु अधिकतम 30 दिन की समय–सीमा निर्धारित।
- उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृतियों के लिए कॉमन एप्लीकेशन फार्म–1 तथा उद्यम संचालन के लिए कॉमन एप्लीकेशन फार्म–2 पर आवेदन का प्राविधान।
- कॉमन एप्लीकेशन फार्म–1 पर आवेदन हेतु दिनांक 2–3–2016 से विभागीय पोर्टल investuttarakhand.com पर ऑनलाईन व्यवस्था।
- कॉमन एप्लीकेशन फार्म–1 पर आवेदक द्वारा किये गये आवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अभिमत/निर्णय हेतु 15 दिन की समय सीमा निर्धारित।
- आवेदन के लिए जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय स्थित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र प्रकोष्ठ नोडल एजेन्सी नामित।
- पूर्णरूप से भरे हुये आवेदन पत्रों पर किसी विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही न किये जाने पर डीम्ड स्वीकृति का प्राविधान।
- निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के प्राविधान।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के निवेश प्रस्तावों पर निर्णय हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला प्राधिकृत समिति तथा बृहत उद्यमों के प्रस्तावों पर निर्णय हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति अधिकृत।
- विभागों/जिला प्राधिकृत समिति के निर्णयों के विरूद्ध राज्य प्राधिकृत समिति को तथा राज्य प्राधिकृत समिति के निर्णय के विरूद्ध सरकार को अपील करने का प्राविधान।
- उद्यमियों की समस्याओं तथा जिज्ञासाओं के त्वरित निस्तारण हेतु उद्योग निदेशालय में अलग से टॉल–फ्री नम्बर 18002701213 स्थापित।

हथकरघा योजनायें

एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना (**Integrated Development and Promotion of Handicrafts**)

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों के 24300 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिल्पियों को विभिन्न शिल्पों में प्रोत्साहित किये जाने हेतु रू0 30 करोड़ की परियोजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत निम्न कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं:–

डिजाइन वक्रशॉप :– प्रत्येक ब्लॉक में 10 डिजाइन वक्रशॉप आयोजित की जायेंगी।

लोकल लेवल मार्केटिंग वक्रशॉप :– प्रत्येक ब्लॉक में 2 लोकल लेवल मार्केटिंग वक्रशॉप आयोजित की जायेंगी।

सीएफसी :– सभी 15 ब्लॉकों में शिल्पियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

एकीकृत डिजाइन वक्रशॉप :– प्रत्येक ब्लॉक में 3 कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

प्रदर्शनियॉ :– शिल्पों के प्रोत्साहन हेतु राज्य में 15 प्रदर्शनियॉ विकासखण्ड स्तर पर आयोजित की जानी है।

स्टेट लेविल माक्रेटिंग वक्रशॉप :– राज्य के शिल्पियों को राज्य स्तर पर विपणन से सम्बन्धित जानकारी दिये जाने हेतु 2 सेमीनार आयोजित किये जाने हैं।

बायर–सेलर मीट :– शिल्पियों द्वारा उत्पादित किये गये उत्पादों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने हेतु दो क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आयोजित किये जाने हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बायर–सेलर मीट :– शिल्पियों द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचित कराने के उद्देश्य से एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय वक्रशॉप :– शिल्पियों को राष्ट्रीय स्तर पर विपणन की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अन्तर्राष्ट्रीय वक्रशॉप आयोजित की जायेगी।

टूल किट :– शिल्पियों को विभिन्न शिल्प उत्पाद तैयार किये जाने हेतु 5000 शिल्पियों को टूल किट उपलब्ध कराये जायेंगे।

एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पियों एवं गठित एसएचजी/सहकारी समितियों का विवरण।

क्र0स0	जनपद	विकासखण्ड	प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पियों की संख्या	एसएचजी/सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या
1.	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	240	168
		धारचूला	150	91
2.	ऊधमसिंहनगर	खटीमा	240	199
		जसपुर	300	148
3.	नैनीताल	हल्द्वानी	100	100
4.	बागेश्वर	बागेश्वर	150	87
5.	अल्मोडा	हवालबाग	240	147
योग			1420	940

हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान :

- राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के परम्परागत शिल्पों के प्रोत्साहन हेतु गरूड़ाबांज, अल्मोड़ा में हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिसके अन्तर्गत राज्य के परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण आदि पर कार्य किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना :

- योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के सरंक्षण, संर्वद्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले सिद्ध हस्त शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से शिल्पियों को उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2016 में प्रदेश के 14 शिल्पियों को शिल्प के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। कुमॉऊ मण्डल के 10 शिल्पियों को सम्मानित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

जनपद का नाम	पुरस्कार संख्या	शिल्प
बागेश्वर	2	हथकरघा, ताम्र शिल्प
चम्पावत	2	हथकरघा, लौह शिल्प
नैनीताल	2	ऐपण, पेन्टिग वाल हैंगिंग
पिथौरागढ़	1	काष्ठ कला मन्दिर निर्माण
अल्मोड़ा	3	कालीन शिल्प, मूर्तिकला, ताम्र शिल्प

नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिये रिवाल्विंग फण्डः

- प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपणन के साथ–साथ हथकरघा बुनकरों के उद्यमिता विकास एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ग्राम–मटेना, जनपद–अल्मोड़ा में नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है।

औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार–प्रसार

प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के प्रदर्शन, औद्योगिक नीति के प्रचार–प्रसार तथा राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अंतराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों, यथाः भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली (प्रत्येक वर्ष 14–27 नवम्बर) में राज्य की सहभागिता सुनिश्चित कर प्रदेश ने अपनी पहचान बनाई है। भारत अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला, जो प्रतिवर्ष माह नवम्बर में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, में राज्य द्वारा भाग लिया जाता है। कुटीर, दस्तकारी, लघु, हथकरघा एवं हस्तशिल्प इकाईयों को व्यापार व विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश व प्रदेश

के बाहर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों, यथाः नेशनल हेण्डलूम एक्सपों, स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो, क्राफ्ट बाजार, गॉधी शिल्प बाजार, शरदोत्सव/ग्रीष्मोत्सव व प्रदेश के पारम्परिक मेलों मे विभाग द्वारा प्रदर्शनियां/गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 14–27 नवम्बर, 2016 तक आयोजित किया गया। इस वर्ष प्रदर्शनी का थीम ''स्किल ऑफ इण्डिया'' थी। मेले में राज्य के उद्योग, लघु उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण के 90 स्टॉल स्थापित किये गये।

प्रतिवर्ष की भॉति इस वर्ष भी देहरादून में माह 31 दिसम्बर, 2016 से 14 जनवरी, 2017 तक ''नेशनल हैण्डलूम एक्सपो'' का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। हल्द्वानी(नैनीताल) में 23 मार्च, 2017 से 4 अप्रैल, 2017 तक तथा काशीपुर (नैनीताल) में दिनांक 31 मार्च, 2017 से 13 अप्रैल, 2017 तक ''स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो'' का आयोजन किया जा रहा है।

विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि किये जाने हेतु औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार योजनान्तर्गत कार्यशाला/गोष्ठी/सेमीनार आदि का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प कारीगर व बुनकरों के उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु एवं बुनकरों एवं शिल्पियों को सुलभ बाजार उपलब्ध कराने व उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गो/पर्यटन केन्द्रों तथा देहरादून, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, श्रीनगर (गढ़वाल), हरिद्वार, काशीपुर एवं कसारदेवी व मालरोड (अल्मोड़ा) में स्थापित विपणन केन्द्रों के माध्यम से ''हिमाद्रि'' ब्राण्ड नाम के उत्पादों का विपणन एवं प्रदर्शन किया जा रहा है।

ग्रामोद्योग

विभाग का परिचय –

उत्तराखण्ड बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकार व जनता के मध्य सामंजस्य रखते हुए बोर्ड की योजनाओं को लागू करना है, खादी एवं ग्रामोद्योग सैक्टर के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवक–युवतियों को उनकी अभिरूचि के अनुरूप स्वरोजगार सीापनार्थ भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से प्राप्त योजनाओं से तकनीकी कौशल/विकास प्रशिक्षण उपरान्त बैंकों के माध्यम से वित्त की व्यवस्था की जाती है व उत्पादित माल के विपणन में समुचित सहयोग दिया जाता है।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग सैक्टर के अन्तर्गत मुख्यतः दो योजनाएं संचालित की जाती है।
(अ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पी0एम0ई0जी0पी0)।
(ब) व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना ।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना – वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर के अन्तर्गत क्रमशः 32, 26, 27, 25, 25, 31 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 23, 31, 38, 35, 35, 16 पूर्ति व बैंकों द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 (लाख में) 151.03, 107.25, 170.23, 141.37, 104.90, 130.00 लाख के सापेक्ष

क्रमशः रू0 (लाख में) 59.96, 39.00, 70.43, 50.89, 34.08, 48.30 लाख मार्जिन मनी वितरित कर क्रमशः 160, 105, 150, 140, 97, 110 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

ब्याज उपादान योजना – वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, के अन्तर्गत क्रमशः 35, 25, 100, 25, 45, 35, भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 29, 26, 89, 20, 45, 14, पूर्ति व बैंकों द्वारा स्वीकृत धनराशि क्रमशः (लाख में) 105.50, 78.50, 275.00, 50.50, 145.50, 49.50 लाख के सापेक्ष क्रमशः रू0 (लाख में) 12.46, 24.71, 33.66, 10.80, 15.64, 8.505 लाख ब्याज उपादान धनराशि वितरित कर क्रमशः 80, 80, 185, 51, 122, 51 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार दोनों योजनाओं में वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर में क्रमशः 240, 185, 335, 191, 219, 161 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

खादी वस्त्रों की बिक्री – वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर के अन्तर्गत क्रमशः 20, 10, 14, 02, 09, 19 संस्था/समितियों द्वारा क्रमशः रू0 (लाख में) 501.81, 165.12, 329.86, 29.04, 66.24, 936.21 लाख की बिक्री कर क्रमशः रू0 (लाख में) 47.37, 15.25, 29.37, 2.55, 5.87, 86.30 लाख प्रान्तीय रिवेट उपलब्ध कराया गया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण – वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, के अन्तर्गत पूर्वीघोडा नाला बिन्दुखत्ता, नैनीताल एवं अल्मोड़ा में क्रमशः 20, 10, व्यक्तियों को खादी कताई का प्रशिक्षण क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग, जसपुर एवं अल्मोड़ा के मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण उपरान्त 6000 किग्रा0 (ऊनी) एवं 3500 किग्रा0 (सूती) कुल 9500 किग्रा0 विभागीय लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादन हेतु तागा कताई कराया गया ।

अध्याय – 18

बाल विकास

वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में **45** बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 6023 पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 2263 मिनी आगंनबाड़ी केन्द्र संचालित है।

पंजीकृत लाभार्थी विवरण – बाल विकास परियोंजनाओं के अन्तर्गत आगंनबाड़ी केन्द्र में वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में जन्म माह से 3 वर्ष के बच्चे – 241682, 3 से 6 वर्ष के बच्चे – 114639, गर्भवती महिलायें – 37298, धात्री महिलायें – 39106 तथा किशोरी बालिकाएं 24985 पंजीकृत है।

अनुपूरक पोषाहार – अनूपूरक पोषाहार अन्तर्गत आगंनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को कुक्ड फूड योजनान्तर्गत प्रतिदिन ताजा पका भोजन खिलाया जाता है। गर्भवती, धात्री महिलाओं एंव 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों हेतु अनुपूरक पोषाहार अन्तर्गत टेक होम राशन योजनान्तर्गत प्रत्येक आगंनबाडी केन्द्र पर प्रत्येक माह की 5 तारीख कों वजन एंव पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है साथ ही टी0एच0आर0 का वितरण भी किया जाता है।

टी0एच0आर0 सामग्री

लाभाथी वर्ग	सामग्री	मात्रा	अनुमानित व्यय
6 माह से 03 वर्ष के बच्चे हेतु	दलिया अथवा सूजी	1.50 किलो	80.00
	स्थानीय दाले/मूंग दाल/काला भट्ट अथवा चौलाई	500 ग्राम	25.00
	मूंगफली दाना अथवा भुना चना	250 ग्राम 500 ग्राम	25.00
	गुड अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम	20.00
योग			**150.00**

गर्भवती एवं धात्री महिलायें	सोयाबीन दाल अथवा मूंग दाल/स्थानीय दालें /काला भट्ट	1.50 किलो 900 ग्राम	75.00
	मडुआ का आटा	2.00 किलो	50.00
	नमक	1 पैकेट	20.00
	गुड/चीनी अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम	30.00
योग			**175.00**
अति कुपोषित बच्चों हेतु	दलिया अथवा सूजी	1.50 किलो	100.00
	स्थानीय दाले/मूंग दाल अथवा चौलाई	500 ग्राम	30.00
	मूंगफली दाना अथवा भुना चना	250 ग्राम 500 ग्राम	25.00
	गुड अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम	20.00
	अण्डे अथवा फल (सेब, खुमानी, सन्तरा आदि)	**10 अण्डे (सप्ताह में दो बार)**	**50.00**
	बादाम अथवा अखरोट		**25.00**
योग			**225.00**

जनपद में कुक्डफूड योजना अन्तर्गत आगंनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत 03 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जा रहा पोषक आहार (नाश्ता–भोजन) मार्च से नवम्बर तक का समय

क्र0सं0	दिन	नाश्ता	भोजन
1	सोमवार	भुना चना	दाल–चावल
2	मंगलवार	हलुआ (आटा अथवा सूजी)	न्यूट्रीला एवं चावल
3	बुधवार	भुनी मूंगफली	नमकीन पराठा
4	बृहस्पतिवार	पोहा	दलिया नमकीन अथवा पीठा
5	शुक्रवार	उबला चना	मिक्स दाल एवं चावल
6	शनिवार	भुना चना	खिचड़ी

दिसम्बर से फरवरी तक

क्र0सं0	दिन	नाश्ता	भोजन
1	सोमवार	भुना चना गुड़ के साथ	दाल–चावल
2	मंगलवार	हलुआ (आटा एवं बेसन मिक्स अथवा सूजी) मिठास में गुड़ का उपयोग	न्यूट्रीला एवं चावल
3	बुधवार	भुनी मूंगफली गुड़ के साथ	नमकीन पराठा
4	बृहस्पतिवार	पोहा	दलिया नमकीन अथवा पीठा
5	शुक्रवार	उबला चना	मिक्स दाल एवं चावल
6	शनिवार	भुना चना गुड़ के साथ	खिचड़ी

कुक्ड फूड/टेक होम राशन योजनान्तर्गत निम्न निर्धारित वित्तीय मानक अन्तर्गत माह में (25 दिन) हेतु। धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है–

- 6 माह से 03 वर्ष के प्रत्येक बच्चें हेतु – **रु0 150.00**
- 3 से 6 वर्ष के प्रत्येक बच्चे हेतु – **रु0 150.00**
- गर्भवती एंव धात्री महिला हेतु – **रु0 175.00**
- अति कुपोषित बच्चों हेतु – **रु0 225.00**

नन्दा देवी योजना 'हमारी कन्या हमारा अभिमान –

- बी0पी0एल0 परिवार की 02 कन्याओं हेतु संचालित।
- लाभार्थियों को अनुमन्य आर्थिक सहायता धनराशि– रू0 15000.00
- प्रथम किश्त– रू0 5000.00 (आवेदन पर स्वीकृति पश्चात लाभार्थी के खाते में सीधे भुगतान)।
- शेष रू0 10000.00 की लाभार्थी व माता के नाम 10 वर्ष हेतु संयुक्त एफ0डी0।
- द्वितीय किश्त– रू0 5000.00 का कन्या के 10 वर्ष के आयु पूर्ण होने पर खाते में भुगतान ।
- तृतीय किश्त– कन्या के 18 वर्श की आयु पूर्ण होने पर ब्याज सहित शेष धनराशि का भुगतान। अन्तिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने व अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में कुल रू0 **1856.25** लाख धनराशि व्यय कर कुल **12375** लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जनपदवार विवरण निम्नानुसार उल्लिखित है।

जनपद	लाभार्थियों की संख्या	व्यय धनराशि (रु0 लाख में)
नैनीताल	2666	399.90
पिथौरागढ़	1033	154.95
अल्मोड़ा	3333	499.95
चंपावत	733	109.95
बागेश्वर	966	144.90
ऊधमसिंहनगर	3644	546.60
कुल योग	**12375**	**1856.25**

'सबला योजना' –

योजना का आरंभ – भारत सरकार की यह योजना राज्य के 4 जनपद नैनीताल, हरिद्वार, चमोली एवं उत्तरकाशी में यह योजना वर्ष 2009–10 में लागू हुयी थी।

योजना उद्देश्य – आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य सफाई, पोषण प्रजनन एवं यौजन स्वास्थ्य और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना, पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक / अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बार में सूचना/ मार्गदर्शन प्रदान करना।

पात्रता – 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियाँ।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल कुल 14959 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

'किशोरी शक्ति योजना' –

योजना का आरंभ – भारत सरकार की यह योजना राज्य के 9 जनपद में यह योजना वर्ष 2009–10 में लागू है।

योजना उद्देश्य – आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य सफाई, पोषण प्रजनन एवं यौजन स्वास्थ्य और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना, किशोरियों को समाज की आर्थिक दृष्टि से उपादेय एवं उपयोगी सदस्य बनने के लिये प्रेरित करना।

पात्रता – 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियाँ।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में कुल रू0 **8.80** लाख धनराशि व्यय कर कुल **11902** लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

जनपद	लाभार्थियों की संख्या	व्यय धनराशि (रु0 लाख में)
पिथौरागढ़	3235	2.20
अल्मोड़ा	2077	2.20
चंपावत	3110	2.20
बागेश्वर	0	0.00
ऊधमसिंहनगर	3480	2.20
कुल योग	**11902**	**8.80**

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना –

- **योजना आरम्भ करने की तिथि–: दिसम्बर 2014**
- **पात्रता :–** ऐसी समस्त वृद्ध महिलाओं जिनकी आयु 60 वर्ष अथवा उससे अधिक है, (आयकर दाताओं तथा राजकीय कर्मचारी/अधिकारी के परिवारों एवं सेवा निवृत्त पेशनधारी/अर्थात महिलाओं को छोड़कर) को सम्मिलित किया जायेगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर इन महिलाओं का चयन ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा तथा सत्यापन समबिन्धत मुख्य सेविका द्वारा किया जायेगा।
- प्रति लाभार्थी प्रति माह अनुमन्य रू0 150.00

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना अन्तर्गत पात्र वृद्ध महिलाओं हेतु निर्धारित टी0एच0आर0 सामग्री

क्र0स0	सामग्री का नाम	मासिक मात्रा	अनुमानित लागत
1	मूंगदाल/मलका/लोबिया दाल	500 ग्राम	रु0 55.00
2	सूजी/दलिया	1.50 किलोग्राम	रु0 40.00
3	किशमिश/छुआरा	500 ग्राम	रु0 55.00 अन्तर्गत
			कुल धनराशि रु0 150.00

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में रू0 889.81 लाख धनराशि व्यय कर 614319 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

अध्याय – 19

मार्ग परिवहन तथा संचार

आर्थिक विकास तथा जनजीवन के स्तर को उन्नत करने में मार्ग परिवहन तथा संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा जनजीवन के समग्र विकास में सड़कें एवं परिवहन प्रमुख भूमिका अदा करते है। इनके अतिरिक्त इसके द्वारा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते है। संचार साधनों द्वारा पारस्परिक सम्पक्र की सुविधा प्राप्त होने के अतिरिक्त जीवन अधिक सुविधापूर्ण एवं मनोरम बनता है।

वर्ष 2016–17 तक इस मण्डल में कुल सड़कों की लम्बाई तथा निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	मद	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
i	राष्ट्रीय राजमार्ग	किमी0	308	128.4	--	227	76	125	**864.40**
ii	प्रादेशिक राजमार्ग	किमी0	737.819	466.044	372.23	113.99	217.645	258.92	**2166.65**
iii	मुख्य जिला सड़कें	किमी0	297.639	77.23	229.86	131.67	43.6	125.5	**905.50**
iv	अन्य जिला सड़कें	किमी0	722.608	262.41	109.15	146.75	120.86	13.585	**1375.36**
v	ग्रामीण सड़कें	किमी0	1788.888	1823.01	1291.13	1708.24	436.4	488.315	**7535.98**
vi	हल्का वाहन मार्ग	किमो0	27.72	140.24	73.05	--	5.5	32.3	**278.81**
vii	सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत मोटर सड़कें	किमी0	--	--	223.00	--	--	120.00	**343.00**
viii	जिला पंचायत	किमी0	--	292.00	--	296.36	--	--	**588.36**
ix	शहरी स्थानीय निकाय तथा अन्य	किमी0	16.45	157.00	53.50	766.35	--	47.51	**1040.81**
x	सिंचाई विभाग	किमी0	--	138.45	--	264.44	--	--	**402.89**
xi	गन्ना विभाग	किमी0	--	44.03	--	382.28	--	--	**426.31**
xii	वन विभाग	किमी0	119.59	677.84	11.30		37.00	252.31	**1098.04**

प्रतिलाख जनसंख्या पर कुमायूँ मण्डल में पक्की सड़कों की लम्बाई 389.23 किमी0 है। कुमायूँ मण्डल के जनपदों में प्रतिलाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई चम्पावत में 534.62 किमी0, नैनीताल में 476.82 किमी0, अल्मोड़ा में 601.28 किमी0, पिथौरागढ़ में 401.48 किमी0, बागेश्वर में 320.00 किमी0 तथा ऊधमसिंह नगर 242.90 किमी0 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमायूँ मण्डल में प्रति हजार वर्ग किमी0 पर पक्की सड़कों की लम्बाई 782.57 किमी0 है। कुमायूँ मण्डल के जनपदों में ऊधमसिंह नगर में 1575.58 किमी0, नैनीताल में 1070.75 किमी0, अल्मोड़ा में 1192.42 किमी0, चम्पावत में 786.04 किमी0, बागेश्वर में 370.29

किमी0 तथा पिथौरागढ़ में मात्र 273.75 किमी0 है। क्षेत्रफल के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ में सड़कों की लम्बाई बहुत कम है।

जनपद पिथौरागढ, बागेश्वर में सड़कों की लम्बाई अपेक्षाकृत कम है। जिसका कारण यह है कि इन जनपदों का अधिकांश उत्तरी क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है जहॉ पर जनसंख्या नगण्य है। अतः वहॉ सड़क निर्माण की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती है।

रेल लाइनें :– मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय है जिसमें रेल लाइनों का बिछाया जाना सम्भव नहीं है। जनपद चम्पावत, नैनीताल के मैदानी क्षेत्र में 3 रेलवे लाईनें उ0प्र0 के मैदानी क्षेत्र से आकर क्रमशः टनकपुर, काठगोदाम तथा रामनगर पर समाप्त हो जाती है, जिसमें सभी स्टेण्डर्ड व मीटर गेज की लाइनें हैं। मण्डल के भीतर पड़ने वाली रेल लाईनों की कुल लम्बाई 212 किमी0 है, इन रेल लाईनों द्वारा न केवल यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है अपितु इस मण्डल से कच्चा माल जैसे लकड़ी, पत्थर तथा अन्य वन उत्पाद आदि को मैदानी भागों को ढोने तथा मैदानी भागों से खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को यहॉ तक पहुॅचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

संचार सेवायें :– वर्ष 2016–17 तक कुमायूॅ मण्डल में 1148 डाक घर स्थापित हैं। कुमायूॅ मण्डल के अल्मोड़ा में 320, पिथौरागढ़ में 323, नैनीताल में 159, बागेश्वर में 152, ऊधमसिंह नगर में 111 तथा चम्पावत में 83 डाकघर है। कुमायूॅ मण्डल में टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या 63363 है। जिसमें से सर्वाधिक 42573 जनपद ऊधमसिंह नगर में टेलीफोन कनैक्शन हैं। 5632 जनपद अल्मोड़ा में, 9821 जनपद नैनीताल में, 852 जनपद चम्पावत में, 3398 जनपद पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर में 1087 टेलीफोन कनैक्शन हैं।

मण्डल में जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में संचार सुविधायें अधिक हैं तथा जनपद अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र हैं एवं जनपद चम्पावत का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र होने पर भी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात में सुविधायें अपेक्षाकृत अधिक हैं।

अध्याय – 20

बैकिंग सेवा

बैकिंग सेवा के अर्न्तगत वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 541, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें 138 तथा अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें 165 कार्यरत है। वर्ष 2016–17 में व्यवसायिक बैंको की जमा धनराशि 3390927.56 लाख रूपया है। बैकों द्वारा वर्ष 2016–17 में 1802277.64 लाख रूपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2016–17 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 53.15 रहा है। वर्ष 2016–17 में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य में 681786.29 लाख रूपया, लघु उद्योग तथा अन्य में 375396.73 लाख रूपया ऋण वितरित किया गया है।

वर्ष 2016–17 में जनपदवार बैंक सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है –

क्र0 सं0	जनपद का नाम	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा	अन्य व्यवसायिक बैंक शाखा	जिला सहकारी बैंक	सहकारी बैंक की शाखा	सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शाखा
1	अल्मोड़ा	87	29	12	1	22	1
2	बागेश्वर	27	14	3	--	8	--
3	नैनीताल	134	37	55	1	29	2
4	ऊधमसिंह नगर	210	20	71	4	29	4
5	पिथौरागढ़	52	30	4	1	20	--
6	चम्पावत	31	8	20	--	8	--
योग मण्डल		**541**	**138**	**165**	**7**	**116**	**7**

अध्याय – 21

शिक्षा

सामाजिक सेवाओं का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य एवं अच्छे संस्कारों पर निर्भर करती है। अतः चिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं शिक्षा आर्थिक

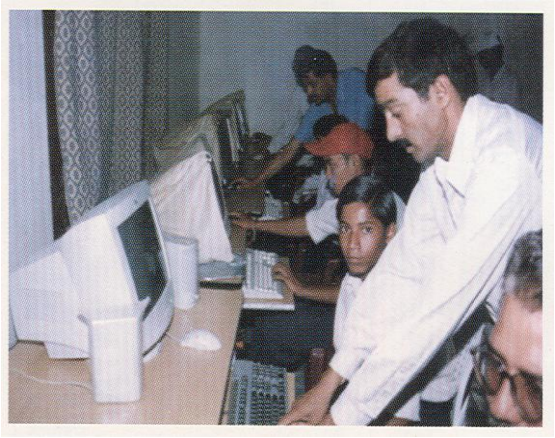

विकास के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के चहुमुखी विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजर्थिक विकास में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से साक्षरता प्रतिशत में अभिवृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्यक्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा उत्तम जन स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमायूँ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। कुमायूँ मण्डल में महिला साक्षरता का प्रतिशत 69.61 तथा जबकि पुरूष साक्षरता का प्रतिशत 87.36 है। जनगणना 2011 के अनुसार कुमायूँ मण्डल के जनपदों में साक्षरता का प्रतिशत निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	जनपद	पुरूष	स्त्री	कुल व्यक्ति
1	अल्मोड़ा	92.86	69.93	80.47
2	नैनीताल	90.07	77.29	83.88
3	ऊधमसिंहनगर	81.09	64.45	73.10
4	पिथौरागढ़	92.75	72.29	82.25
5	बागेश्वर	92.33	69.03	80.01
6	चम्पावत	91.61	68.05	79.83
योग मण्डल		**87.36**	**69.61**	**78.52**

साक्षरता का प्रतिशत 6 से अधिक वर्ष की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मण्डल में जनपद नैनीताल़ का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है तथा ऊधमसिंहनगर में सबसे कम है। लिंगवार साक्षरतान्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत अन्य जनपदों के सापेक्ष कम है।

कुमायूँ मण्डल (31 मार्च 2017 तक) में **6826**. प्राथमिक स्कूल **1841** सीनियर बेसिक स्कूल **1392** हाईयर सैकेन्ड्री स्कूल है।

विद्यालयों का उच्चीकरण :– वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में **15** राजकीय जूनियर हाईस्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर तथा **24** हाई स्कूलों का इन्टर स्तर पर उच्चीकरण हुए है।

प्राथमिक शिक्षा :– प्रारम्भिक शिक्षा के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को सम्वर्धनात्मक शिक्षण, सी0सी0ई0, कम्प्यूटर शिक्षा एवं नवाचारी कार्यक्रम द्वारा रूचिकर शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती रही है। वर्ष 2002 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा एवं शैक्षिक स्तर को सशक्त करने हेतु संचालित किया जा रहा है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किये गये। वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में **45850** छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

क्रीड़ा क्षेत्र की उपलब्धियाँ – वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में **2933** छात्र–छात्राओं द्वारा वर्ष 2016–17 राज्य / राष्ट्रीय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगितायों में प्रतिभाग किया गया।

राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता – राज्य स्तरीय ताइक्वाण्डों, मानचित्र, सुलेख, अंताक्षरी, खो–खो, क्रीडा प्रतियोगिता के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में **194** स्वर्ण पदक, **132** रजत पदक, **252** कांस्य पदक प्राप्त किए।

राष्ट्रीय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता – राष्ट्रीय स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में **03** स्वर्ण पदक, **11** रजत पदक **11** कांस्य पदक प्राप्त किए।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :– समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक एवं राजकीय व सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक/हाईस्कूल/ इण्टर कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण किया गया। उक्त मद में वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में रू0 **389.293** लाख की धनराशि व्यय कर **305521** छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

निःशुल्क गणवेश वितरण :– समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक की समस्त बालिकाओं, अनुसूचित जाति बालक, अनुसूचित जनजाति बालक एवं बी0पी0एल0 वर्ग के बालकों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क गणवेश का वितरण विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से किया गया। वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में रू0 **1156.17** लाख व्यय कर **289044** छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

समावेशित शिक्षा :– विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु बच्चों के उचित चिह्नांकन हेतु चिकित्सा विभाग के अभिकर्मियों, एल्मिको कानपुर के सहयोग से परीक्षण व उपकरण वितरण शिविर आयोजित किये गये। चयनित बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र एवं सहायता उपकरण वितरित किये गये। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में **1068** ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, को एस्कोर्ट सुविधा प्रदत्त की गयी। **371** बच्चों को विकलांगता प्रमाण एवं **220** बच्चों को सहायता उपकरण वितरित किये गये। उक्त मद में रू0 **42.02482** लाख की धनराशि व्यय की गयी।

अध्यापक प्रशिक्षण :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कौशल विकास हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल में 11166 अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उक्त मद में रू0 **90.87** लाख की धनराशि व्यय की गयी।

मध्यान्ह भोजन :– कुमाऊॅ मण्डल में 7046 राजकीय व सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर /हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित है। इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों के पोषण हेतु भोजनमाता की सहायता से भोजन तैयार कर विद्यालयों के अध्ययनरत बच्चों को वितरित किया जाता है। मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल में **7001** किचन कम स्टोर रूम हैं। योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को रू0 5000 की दर से बर्तन क्रय करने एवं भोजनमाताओं के लिए एप्रन व बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन क्रय करने हेतु आकस्मिक व्यय के रूप में रू0 1000 की दर से धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार **815** विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार किये जा चुके हैं जिनमें पैदा की गई सब्जियां विद्यालयों में तैयार मध्याह्न भोजन में इस्तेमाल हो रही है। प्रत्येक माह के अन्तिम कार्यदिवस को समस्त विद्यालयों में सामूहिक जन्मोत्सव मनाया जाता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षा किया जाता है जिसमें विभिन्न बीमारियों से ग्रसित व संदर्भित बच्चों को बीमारियों के अनुरूप दवाएं बॉटी जाती है। मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल में रू0 **5904.237** लाख की धनराशि व्यय की गयी।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय :– कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति तथा बी0पी0एल0 परिवार की ऐसी छात्राएं जो विद्यालय जाने से वंचित रह गई हैं, को निःशुल्क शिक्षा, आवास, पठन सामग्री, वेशभूषा, भोजन आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत के.जी.बी.वी. हेतु वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में रू0 **130.480** लाख की धनराशि व्यय कर **393** छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

एम.आई.एस. :– परियोजना के अन्तर्गत जनपद के विद्यालयों से सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने हेतु एक सूचना प्रणाली तंत्र विकसित किया गया है जिसमें विद्यालयों से न्यूपा नई दिल्ली द्वारा तैयार यू–डायस साफ्टवेयर से डी.सी.एफ. प्रपत्र प्रिंट कर उसमें सूचनाएं प्राप्त कर संकलन के उपरान्त डाटा फीड कर सम्पूर्ण सूचना भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून को प्रेषित की जाती है। विद्यालयों की समस्त सूचनाओं का संकलन उनके स्कूल रिपोर्ट कार्ड के रूप में विद्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। यू–डाइस के आधार पर ही आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का निर्माण किया जाता है।

उन्नति कार्यक्रम –

वर्तमान समय में राष्ट्रीय– अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर संपक्र भाषा के रूप में अंग्रेजी का महत्व है, यह सर्व विदित है कि अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जो सभी व्यक्तियों, संस्कृतियों व देशों को आपस में जोडती है। कुमाऊॅ मण्डल में I.S & F.S देहरादून द्वारा संचालित किया गया। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ

मण्डल में **312** विद्यालयों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें **22875** विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान :– संस्थान के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसमें डी0ईएल0एड0 प्रशिक्षण दिया जाता हैं। वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल में 131 स्वीकृत सीटों के सापेक्ष 119 की भर्ती हैं।

सर्व शिक्षा अभियान,

पहुंच एवं विशिष्ट प्रशिक्षण :– प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए 06–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की विद्यालय तक पहुंच एवं विद्यालयों में नामांकन सुनिष्चित किया गया। इस हेतु बालगणना, शालात्यागी बच्चों का चिंन्हांकन एवं स्कूल चलो अभियान आदि कार्यक्रम संचालित किये गये। कुमाऊ मण्डल में 1426 बच्चों को चिन्हित कर 1066 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया।

1. **नवाचारी शिक्षा:–** नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किए गए–

- **राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम :–** माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय, संकुल, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर स्वच्छ विद्यालय अभियान आयोजित किया गया।

प्राविधिक शिक्षा

कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में तकनीकी शिक्षा हेतु क्रमशः 5, 8, 7, 3, 3, 5 राजकीय प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान एवं जनपद नैनीताल, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर क्रमशः 1, 4, 1 निजी प्राविधिक संस्थान तथा जनपद अल्मोडा 2 महिला पालीटेक्निक संचालित है। महिला पालीटेक्निक में केवल महिला अभ्यर्थियों को ही विभिन्न डिप्लोमा पाठयक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। समस्त संस्थानों में प्रवेश हेतु वर्तमान में प्रादेशिक स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग के उपरान्त संस्थान आवंटित किया जाता है।

उपरोक्त सभी पालीटेक्निक संस्थाओं में विभिन्न पाठयक्रमों में शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो रहा है। छात्र/छात्राओं के सेवायोजन हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों को आमंत्रित कर परिसर साक्षात्कार आयोजित कराया जाता है। परिसर साक्षात्कार के माध्यम से वर्ष 2016–17 में लगभग 75 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठित यथा बजाज, टाटा मोर्टस, ए0पी0एस0, सैमसंग, स्पाइसर इण्डिया आदि में सेवायोजन का लाभ प्राप्त होता रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित पोषित सामुदयिक विकास योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं/युवतियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, इसके साथ–साथ संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवायोजन इकाई के अन्तर्गत समय–समय पर विभिन्न जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं।

कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह में तकनीकी शिक्षा हेतु पालीटेक्निक संस्थानों में वर्ष 2016–17 में विभिन्न ट्रेडो में क्रमशः 938, 296, 810, 584, 124, 1996 सीटो के विपरीत क्रमशः 666, 149, 469, 408, 54, 1572 विद्यार्थी भर्ती /अध्ययनरत है।

अध्याय – 22

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

कुमाऊॅ मण्डल में वर्ष 2016–17 तक 353 एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय एवं 269 आयुर्वेदिक चिकित्सालय /औषधालय तथा 58 होम्योपैथिक चिकित्सालय/ औषधालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 849 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र / मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र स्थापित हैं।

पुर्नरक्षित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी) – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षयरोग से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क बलगम की जॉच व सम्पूर्ण अवधि की औषधियों की आपूर्ति की जाती है। इस कार्यक्रम में मरीजों को औषधियां डाट्स निरीक्षकों द्वारा अपने सामने ही खिलाई जाती है। मरीजों को औषधिया खिलाने की इस पद्धति को Directly Observed Treatment Short Course (डाट्स) कहते है।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा नैनीताल पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमश 610, 7468, 3119, 9601, 1212, 1645, कुल 16187 मरीजों को देखा गया एवं क्रमशः 610, 1673, 344, 981, 152, 151, कुल 3911 मरीज धनात्मक पाये गये।

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन0वी0बी0डी0पी0) – एन0वी0बी0डी0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, जापाजीज इन्सफलाइटिस बीमारियों का नियंत्रण एवं इलाज किया जाता है। इससे सम्बन्धित जॉचें व उपचार निःशुल्क किया जाता है। मलेरिया तथा डेंगू की जॉचों के लिये निकटतम चिकित्सा इकाई व आशा तथा ए0एन0एम0 से सम्पक्र किया जा सकता है।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल में 41, ऊधमसिंह नगर में 19, बागेश्वर में 3, चम्पावत में 6 तथा मण्डल में 69 मरीजों का उपचार किया गया।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :–राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सकों की टीम द्वारा समस्त राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों व आंगनबाडी केन्द्रों में पंजीकृत 6 हफ्ते से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, किशोर व किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण आशा व ए0एन0एम0 के द्वारा किया जाता है,तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या होने पर चिकित्सकों की टीम को सूचित किया जाता है। भ्रमण करने वाली चिकित्सकों की टीम द्वारा किसी रोग से ग्रसित बच्चों को आवश्यकतानुसार प्रा0स्वा0केन्द्र, सामु0स्वा0 केन्द्र, जिला चिकित्सालय में संदर्भित किया जाता है। उक्त स्वास्थ्य सुविधाओं में सोमवार व शुक्रवार को टीम की स्टाफ नर्सों द्वारा सन्दर्भित बच्चों का चिकित्सालय के चिकित्साधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराकर ईलाज निःशुल्क किया जाता है। गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यलय द्वारा उच्चीकृत चिकित्सालयों में इलाज हेतु भेजा जाता है। गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को उच्चीकृत चिकित्सालयों में भेजने, चिकित्सा उपचार व वहॉ से वापस लाने की सुविधा निःशुल्क की जाती है।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा नैनीताल पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत़ में क्रमशः 146427, 147226 ,86185, 29344, 58278, 50860 कुल मण्डल में 518320 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर क्रमशः. 123, 154, 62, 210, 95, 63 मण्डल में कुल 707 गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को उच्चीकृत चिकित्सालयों में इलाज हेतु भेजा गया।

राष्ट्रीय अंधता उन्मूलन कार्यक्रम (एन0बी0सी0पी0) :– राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क मोतिया बिन्द के आपरेशन लैंस प्रत्यारोपण किया जाता है, तथा विद्यालयों में ऑखों की जॉच करने के पश्चात्बच्चों को निकटतम सामु0स्वा0केन्द्र व जिला चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्में का वितरण भी किया जाता है। 60 वर्ष के ऊपर आयु के वृद्धों को भी आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जाता है।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा नैनीताल पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगऱ, बागेश्वर, चम्पावत़ में क्रमशः 3373, , 5489, 1937, 5489, 543, 969 मण्डल में कुल 17800 मोतिया बिन्द के आपरेशन किये गये।

जननी सुरक्षा योजना (जे0एस0वाई0) :– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं द्वारा संस्थागत प्रसव कराने व प्रसव के 48 घण्टे संस्थान में रूकने के बाद रू0 1400 का वित्तीय लाभ दिया जाता है। साथ ही महिला व शिशु को निःशुल्क घर तक पहुचाने की व्यवस्था की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 श्रैणी की गर्भवती महिलाओं को रू0 500 प्रति आहार व पोषण हेतु गर्भावस्था के 7 वें महीने में सम्बन्धित क्षेत्र की ए0एन0एम0 के माध्यम से दिये जाते है, तथा यह धनराशि अन्तिम में से कम करके प्रसव के पश्चात शेष रू0 900 के रूप में उक्त महिला को दिये जाते है।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा नैनीताल पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगऱ, बागेश्वर, चम्पावत़ में क्रमशः 4797, 10178, 5189, 15047 2309, 2093, मण्डल में कुल 39613 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे0एस0एस0के0) :– इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला के पंजीकरण से लेकर प्रसव के बाद 42 दिनों तक तथा नवजात शिशु के 1 वर्ष पूरा होने तक समस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें व चिकित्सालय तक आवागमन की व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जाती है। उक्त आवागमन सुविधाए0एन0एम0व आशा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ 108 एम्बुलैंस द्वारा भी यह सुविधा उपलब्ध है। गर्भस्थ भ्रूण की सही स्थिति व वृद्धि की निगरानी हेतु 04 ए0एन0सी0 जॉचें की जाती है। जॉच में ए0एन0एम0/चिकित्सक द्वारा हिमोग्लोबिन, बल्ड प्रेशर, पेशाब की जॉच व आवश्यकतानुसार अल्ट्रासाउण्ड भी कराया जाता है तथा इसी के अनुसार सलाह व ईलाज किया जाता है, प्रत्येक महिला को आयरन फोलिक एसिड की 100 गोलियां दी जाती है। नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करने के लिये आशाओं द्वारा संस्थागत प्रसव के मामलों में 06 ग्रह भ्रमण व घर पर प्रसव होने पर 07 गृह भ्रमण

किये जाते है। इस भ्रमण में मातृ शिशु स्वास्थ्य में कोई जटिलता पाये जाने पर निकटवर्ती चिकित्सा ईकाईयों में जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार की व्यवस्थ कराई जाती है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा नैनीताल पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर ,चम्पावत् में क्रमशः 5153, 18482, 7257, 15047, 2309, 3461, मण्डल में कुल 51709 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर0एस0बी0वाई0) :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 05 सदस्यों को भर्ती होने की दशा में रू0 30000 तक का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, इसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार का स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है जिसको दिखाने पर निर्धारित सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में रू0 30,000 तक का वित्तीय लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी अस्पताल तथा निम्न गैर सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है–

सिटी हॉस्पिटल व रिर्सच सेण्टर, तीनपानी, बरेली रोड, हल्द्वानी।

बाम्बे हास्पिटल व रिर्सच सेण्टर, आवास विकास रोड, निकट सौरभ होटल, हल्द्वानी।

सॉई हास्पिटल, निकट मुखानी चौराहा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी।

कृष्णा हास्पिटल एवं रिर्सच हास्पिटल, गुरूनानक पुरा हल्द्वानी।

बालाजी हास्पिटल, समता आश्रम गली, रामपुर रोड, हल्द्वानी।

बृजलाल हास्पिटल व रिर्सच सेण्टर, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

किशोरवय प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम (ए0आर0एस0एच0) – किशोर एवं किशोरियों में प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य में जानकारियां शरीर से सम्बन्धित मुद्दों पोषण विकास व स्वच्छता की जानकारी एवं क्लिीनिकल तथा काउंसलिंग के रूप में परामर्श दिये जाने हेतु अर्श कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में चयनित कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत्, बागेश्वर में शून्य एवं नैनीताल, 1100 समूह 652 ग्राम ऊधमसिंह नगर मे 1100 समूहं 652 ग्रामों में किशोर एवं किशोरियों के समूह बनाकर आपस में बैठकों के माध्यम से किशोर/किशोरियों के शारीरिक, मानसिक, भवनात्मक एवं सामाजिक समस्याओं की पहचान कर ए0एन0एम0, आशा, आगनबाडी कार्यकत्री के सहयोग से परामर्श दिये जाने का कार्य किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किशोर, किशोरियों में शारिरिक, मानसिक समस्याओं के चिकित्सीय निदान हेतु ए0एफ0सी0सी0 सेन्टर स्थापित किया जा रहा है, जिसमें सप्ताह में एक दिन चिकित्सकों द्वारा किशोर, किशोरियों की समस्याओं का चिकित्सीय निदान/परामर्श प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय में भी प्रत्येक मंगलवार को सांय 3 से 5 बजे के मध्य चिकित्सकों द्वारा किशोर, किशोरियों की समस्याओं का निदान एवं चिकित्सीय उपचार तथा परामर्श दिया जा रहा है।

सचल चिकित्सा वाहन :– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के सभी जनपदों में एक–एक सचल चिकित्सा वाहन तैनात है, जिसमें एक्सरे, पैथोलॉजी, ए0एन0सी0 आदि सेवायें उपलब्ध है जबकि दूसरा सचल चिकित्सा इकाई वाहन जैन स्टूडियों नई दिल्ली द्वारा संचालित है जिसमें ई0सी0जी0,

अल्ट्रासाउन्ड, एक्स रे, पैथौलॉजी आदि सुविधायें उपलब्ध है। इन जॉचों के लिये बी0पी0एल0 परिवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। दोनों वाहनों में चिकित्सक भी तैनात है। समस्त मरीजों को तीन माह में एक बार रू0 14 शुल्क देकर पर्चा बनवाने के पश्चात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध की जाती है तथा दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध की जाती है।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल में 1, पिथौरागढ में 1, ऊधमसिंह नगर में 2, चम्पावत में 2 वाहन उपलब्ध हैं। इस प्रकार मण्डल में कुल 6 सचल वाहन हैं।

फेमिली प्लानिंग इन्डेमिनिटी स्कीम :– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत असफल नसबन्दी, शारीरिक जटिलतायें अथवा मृत्यु होने की दशा में लाभार्थी/प्रार्थी को उक्त प्रकरण के 90 दिनों के अन्तर्गत दावा करने पर क्षति पूर्ति के रूप में क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 25000 से रू0 2 लाख तक की धनराशि प्रदान की जाती है, क्षति पूर्ति हेतु आवेदन सामु0स्वा0केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। नसबन्दी के कारण मृत्यु होने पर (अस्पताल में नसबन्दी आपरेशन के दौरान मृत्यु होने में भी देय) या अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 07 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु होने पर रू0 2.00 लाख, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 08 से 30 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु होने पर रू0 0.50 लाख, असफल नसबन्दी होने पर रू0 0.30 लाख व अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 60 दिनों के अन्तर्गत उत्पन्न जटिलताऐं व अस्पताल में इलाज का खर्च सहित अधिकतम सीमा रू0 0.25 लाख की क्षति पूर्ति प्रदान करने का प्रावधान है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल में रू0 3.9 एवं जनपद बागेश्वर में 0.30 लाख क्षति पूर्ति के रूप में व्यय किया गया।

ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक समिति का गठन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक ग्राम हेतु एक वर्ष में अधिकतम रू0 10000 अथवा केन्द्र द्वारा निर्धारित धनराशि आशा तथा ग्राम की निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि के संयुक्त खाते के द्वारा खर्च की जा सकती है, इस समिति में कम से कम 15 सदस्य होने चाहिये तथा समिति की अध्यक्ष निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि होंगी। वर्ष 2016–17 में चयनित कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत मे क्रमशः 2153, 1071, 1461, 643, 855 एवं 585 कुल – 6768 ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों का आयोजन किया गया। वी0एच0एस0एन0सी0की सदस्य सचिव और संयोजक ग्राम की आशा होंगी, ग्राम हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग समिति के सहमति की दशा में ग्राम के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण हेतु किया जा सकता है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़,ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः रू0 83.69, 95.10, 148.20, 64.30, 73.94, 58.50 मण्डल में कुल 523.73 . लाख खर्च किया गया।

ई0एम0आर0आई0 108 :– में ई0एम0आर0आई0 108 द्वारा अपनी सेवायें प्रदान की जा रही है। जो कि आकस्मिक रोगियों को चिकित्सा सुविधा पहुॅचाने के साथ–साथ उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुॅचाने का कार्य कर रही है। 108 सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर गर्भवती महिलाओं को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव हेतु

पहुॅचाने में विशेष सहायता मिली है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः .12, 13, 9, 8, 5, 5 कुल 52 वाहनों द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना :– उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना दिनांक 26 फरवरी 2015 से लांच की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य बी0पी0एल0 व ए0पी0एल0 परिवारों द्वारा अपनी जेब से चिकित्सा पर किये जाने वाले व्यय को कम करना है ताकि प्रदेश की जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

योग्य लाभार्थियों के पहचान हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा एकत्रित्र डाटाबेस को आधार बनाया गया है। राज्य के सरकारी कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यू हैल्थ योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जा रहा है तथा आयकर दाताओं को योजना से पृथक रखा गया है। अतः उक्त श्रैणी के परिवारों को छोडकर अन्य सभी परिवार योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं। पूर्व में ही जिन परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किये गये है उन्हें भी मुख्यमंत्री बीमा का लाभ प्रदान किया जायेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी परिवार को एक एम0एस0बी0वाई कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, इस कार्ड पर परिवार के मुखिया की फोटो, मतदाता पहचान पत्र संख्या, परिवार संख्या/यू0आर0एन0 मुद्रित है। प्रति कार्ड प्रति परिवार द्वारा रू0 30 मात्र का भुगतान कर रू0 50,000 तक निःशुल्क चिकित्सा लाभ लाभार्थी को दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत परिवार के सभी व्यक्ति सम्मिलित है।

कार्ड का उपयोग चिन्हित सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में चिन्हित व्याधियों के लिये नकद रहित बीमा लाभ प्राप्त करने के लिये किया जा सकता है। कार्ड धारकों के बीमा का तात्पर्य यह है कि कार्ड धारकों द्वारा चिन्हित चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवायें प्राप्त की जायेंगी एवं बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अनुसार चिकित्सालयों को भुगतान किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत 1350 चिन्हित बीमारियों के उपचार का प्राविधान है इनमें महंगी जॉच प्रक्रिया जैसे कि सी0टी0स्कैन और एम0आर0आई भी सम्मिलित किये गये है जिसका लाभ सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलेगा। लाभ के अन्तर्गत चिकित्सालय में भर्ती होने की दशा में पूर्व निर्धारित दरों में पैकेज के रूप में लाभ प्रदान किया जायेगा। पैकेज के अन्तर्गत सभी शुल्क सम्मिलित है एवं लाभार्थी द्वारा तब तक किसी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी जब तक चिकित्सा व्यय की धनराशि बीमा की निर्धारित राशि की सीमा से अधिक न हो जाए। यात्रा भत्ता हेतु मरीज को रू0 100 नकद लाभ का प्राविधान है। भविष्य मे योजना को और भी वृहद उपयोगी करने के लिये अतिरिक्त सुविधाओं का समावेश किया जायेगा। जिसमें बीमित लाभ की सीमा बढाने जाने एवं चिन्हित बीमारियों के दायरे में अतिगम्भीर बीमारियों को भी सम्मिलित किये जाने का भी प्रस्ताव है।

प्रत्येक बार चिकित्सा लाभ प्राप्त करने की दशा में लाभाथियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर समुचित जानकारी का संक्षिप्त संवाद प्रेषित किया जाएगा। इस व्यवस्था हेतु बीमा कंपनी द्वारा एक सेंटर का संचालन करवाया जाएगा। जिसकी निगरानी राज्य नोडल ऐजेंन्सी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा भी समय समय पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर लाभार्थियों को योजना संम्बन्धी उपयोगी सूचनाऐं प्रदान की जायेगी। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़,ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में पात्र लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 26167, 12757, 17307, 116387, 39699, 37532 कुल मण्डल– 249849 है। जिनमें से क्रमशः 21256, 12623, 17307, 85883, 34811, 30580, कुल मण्डल में–202464 कार्ड बनाकर वितरित किए गए हैं।

अर्बन स्वास्थ्य कार्यक्रम – मलिन बस्तियों हेतु एन.एच.एम. के अर्न्तगत अर्बन हैल्थ सेन्टरों की स्थापना की गयी है, जिसमें मलीन बस्तियों मे रहने वाली महिलाओ एवं शिशुओं को टीकाकरण /प्रतिरक्षण कार्यक्रम/परिवार कल्याण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, एवं ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 4 एवं 3 सेण्टर बने हैं अन्य जनपदों में शून्य हैं। इस प्रकार मण्डल में कुल 7 सेण्टर हैं ।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम :–. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 08 विकासखण्डो में किशोर–किशोरियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी जा रही है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, एवं ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 4 एवं 3 अर्बन सेण्टरों द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

पी0सी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 – कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पी0सी0पी0एन0डी0 टी0 अधिनियम के अन्तर्गत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का प्रत्येक 90 दिनों में निरीक्षण किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु लगातार शिविर आयोजित कर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जनता को जागरुक किया जाता है, वहीं अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर कमियां पाये जाने पर कार्यवाही की जा रह है, परिणामस्वरुप लिंगानुपात में वृद्धि हुई है तथा कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगा है।

प्रतिरक्षण व पल्स पोलियो – पैन्टावैलैन्ट वैक्सीन से 6 जानलेवा बिमारीयों से शीशु की सुरक्षा करती है तथा पोलियो ड्राप पिलाई जा रही है जो की निशुल्क उपलब्ध हैं।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम – इस कार्यक्रम के तहत संचारी रोगो की रोकथाम करने हेतु जनपद स्तर पर निगरानी तंत्र की स्थापना की गयी है, किसी भी प्रकार का आउटब्रेक होने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

ब्लड बैंक – वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के अल्मोड़ा में 02, जनपद नैनीताल में 03, जनपद पिथौरागढ़ में 01, उधमसिंहनगर में 06, ब्लड बैंक है। जनपद अल्मोडा में 1900, नैनीताल में 18041, पिथौरागढ 2911, उधमसिंहनगर में 20,000 मण्डल में लगभग 42852 यूनिट रक्त प्रतिवर्ष एकत्र हुआ। रक्त अवयव (कम्पोनेंट) की सुविधा सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध है ।

जनपद में कार्यशील विभिन्न प्रथम संदर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) :– वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर में क्रमशः 07, 04, 02, 05, 01 इकाईयां कार्यरत है। मण्डल में कुल 19 इकाईया है।

खुशियों की सवारी – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत मातृ एवं शिशु सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 08, 10, 10, 10, 03, 03, योग मण्डल–44 खुशियों की सवारी वाहनों का संचालन किया जा रहा है।

प्रतिरक्षण कार्यक्रम – बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षित करने हेतु नियमित प्रतिरक्षण के अलावा बिशेष प्रतिरक्षण सप्ताह व आउटरीच सेसन का भी आयोजन किया जा रहा है । इस योजना में आशा के द्वारा किसी भी 0–5 वर्ष के बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षण कराने पर 150.00 रू0 दिया जाता है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 8424, 16302, 6897, 36624, 3866, 3649 बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित कर क्रमशः रू0 11.03, 108.99, 64.37, 89.06, 4.67, 5.03 कुल मण्डल में 283.15 लाख व्यय किया गया।

NRHM – NRHM ***का नाम बदलकर अब*** NHM ***हो गया है।*** NHM द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :

अन्टाइड फण्ड – वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 126.49, 225.53, 86.86, 178.78, 31.00, 36.51, योग मण्डल– 685.17 लाख रू0 व्यय हुआ।

गर्भवती माताओं का पंजीकरण – वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 10856, 18482, 7254, 41119, 4207, 4651, कुल मण्डल–86569 गर्भवती माताओं का पंजीकरण हुआ।

प्रतिरक्षण – वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 8424, 16302 ,6897, 36624, 3866, 3649, कुल मण्डल– 75762 प्रतिरक्षित किये गए।

परिवार कल्याण –

पुरूष नसबन्दी – वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 114, 112, 5, 95, 46, 2, कुल मण्डल– 374 पुरूष नसबन्दी की गयी।

महिला नसबन्दी – वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 1283, 1970, 1013, 1983, 501, 609, कुल मण्डल– 7359 महिला नसबन्दी की गयी।

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस – वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 9671, 6371, 4649, 8190, 3465, 2931, कुल मण्डल– 35277 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषक दिवस मनाये गए।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण किये गये बच्चों की संख्या – वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 146427, 147226, 86185, 29344, 58278, 50860, कुल मण्डल– 518320 बच्चों का परीक्षण किया गया।

विकलांग शिविरों की संख्या – वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 15, 75, 30, 58, 23, 25, कुल मण्डल– 226 विकलांग शिविर आयोजित किये गए।

मायावती आश्रम :– स्वामी विवेकानन्द (1863–1902) की प्रेरणा से मार्च 1899 में लोहाघाट से मात्र 8 कि0मी0 दूरी पर 6000 फीट की ऊॅचाई पर स्थित सुरम्य घने वन के बीच मायावती आश्रम की स्थापना हुई है। यह अद्वैत आश्रम है; जो रामकृष्ण मठ बेल्लूर (हावड़ा) की एक शाखा है । आश्रम में कुल 30 शय्याओं का धर्मार्थ अस्पताल भी है।

श्यामलाताल अस्पताल :– रामकृष्ण मठ बेल्लूर (हावड़ा) की शाखा द्वारा ही संचालित एक अन्य अस्पताल सुरम्य ताल के नजदीक श्यामलाताल नामक स्थान पर चम्पावत–टनकपुर मार्ग पर सूखीढॉग से 5 किमी0 की दूरी पर स्थित है।

एस0एस0बी0 :– राष्ट्र की सीमा पर तैनात हमारे जॉबाज एस0एस0बी0 द्वारा टनकपुर क्षेत्र में स्वयं का अस्पताल चलाया जा रहा है।

एन0एच0पी0सी0 :–

चम्पावत विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले टनकपुर क्षेत्र में नेशनल हाइड्रो पॉवर कारपोरेशन का अस्पताल भी जनपद के स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम् भूमिका निभा रहा है।

अध्याय – 23

जल सम्पूर्ति

जल संस्थान का मुख्य उद्देश्य जल सम्भरण की योजनाऐं बनाना उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना है।

जल संस्थान के निम्न कार्य हैं :–

1. जहॉ साध्य हो वहॉ सीवर व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रर्वतन।
2. अपने कार्य स्थलों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य प्रद जल मिल सके और साध्य हो वहॉ दक्ष सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके।
3. ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।
4. ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट के अधिसूचना द्वारा उसे सौपे जा सके।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः 07, 02, 14, 04, 03, एवं 02 नगरीय व क्रमशः 308, 615, 40, 489, 288, 176 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। इन पेयजल योजनाओं में क्रमशः 77, 23, 54, 06, 04, 07 नग पम्पिंग पेयजल योजनाऐं एवं शेष क्रमशः 238, 594, 0, 487, 285, 174 नग गुरूत्व आधारित पेयजल योजनाऐं है। उक्त के अतिरिक्त क्रमशः 967, 1272, 326, 901, 750, 527 नग इण्डिया माक्र–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित है, जिनकी मरम्मत/रखरखाव का कार्य भी इस विभाग तथा जनपद ऊधमसिहनगर के अन्तर्गत जलनिगम द्वारा किया जाता है।

उत्तरांचल कूप :– विभाग द्वारा उत्तरांचल कूपों का अधिष्ठापन किया जाता है, जिससे जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः 474, 316, 02, 238, 193, 113 नग उत्तरांचल कूप स्थापित किये गये इस प्रकार अब तक कुल 1336 कूपों का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

स्टील इन्टेक चैम्बरः :– जनपद के अन्तर्गत जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद के अर्न्तगत स्टील इन्टेक चैम्बरों का विभिन्न स्रोतों पर अधिष्ठापन कार्य कराया गया। वर्ष 2016–17 तक कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः 32, 397, 0, 181, 360, 28 नग स्टील इंटेक चैम्बर अधिष्ठापित किये गये है।

जनपद में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य पेयजल निगम के अतिरिक्त जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, स्वजल, मण्डी परिषद, एग्रो आदि द्वारा भी कराया जाता है, जिससे जनपद में खराब हैण्डपम्पों की

सही जानकारी विभाग को नहीं मिल पाती है, यह कार्य एक ही विभाग द्वारा कराये जाते तो कार्य की गुणवत्ता के साथ–साथ जनता को योजना का पूरा लाभ प्राप्त हो जायेगा। जनपद की समस्त पूर्व निर्मित पूर्ण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर जल संस्थान को हस्तगत कर दी गई है।

एकल पेयजल योजना :– त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत् ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा एकल पेयजल योजना प्रारम्भ की गई है, इसमें एक ग्राम की पेयजल योजना को ग्राम पंचायत द्वारा स्वंय अनुरक्षण/देख–रेख हेतु हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ऐसी योजनाऐं जो एकल ग्राम पेयजल योजना होने के साथ–साथ ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित हो चुकी हों। योजना के अन्तर्गत् कुल लागत का 10 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत अंश तथा 90 प्रतिशत भाग में शासकीय धनराशि होती है। योजना के अन्तर्गत् विकास खण्डों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी विभाग से प्राप्त करने के पश्चात पेयजल विभाग से तकनीकी आख्या प्राप्त की जाती है, तदुपरान्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु निदेशालय प्रेषित किए जाने पर आवंटन प्राप्त किया जाता है और योजना ग्राम पंचायत स्तर से प्रारम्भ की जाती है।

वर्ष 2016–17 तक कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत़, बागेश्वर में पेयजल निगम द्वारा स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या क्रमशः 262, 103, 324, 30, 137, 0 जलसंस्थान द्वारा स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या क्रमशः 705, 1169, 02, 871, 617, 527 है।

साथ ही अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड जल संस्थान, कुमाऊॅ मण्डल को महाप्रबंधक, पिथौरागढ़ तथा महाप्रबंधक, नैनीताल परिक्षेत्र में विभाजित कर दिया गया है उक्त सूचना में जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत़ एवं बागेश्वर महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड़ जल संस्थान, पिथौरागढ़ के अनुक्षणाधीन है अतः महाप्रबंधक पिथौरागढ़ से उक्त सूचना प्राप्त कर संकलित सूचना प्रेषित की जा रही है।

अध्याय – 24

पर्यटन

कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र का सबसे सुन्दर एवं आकर्षक क्षेत्र है। जनपद ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र से आरम्भ होकर पिथौरागढ़ के अन्तिम छोर तक अनेक ऊँची–नीची पर्वतमालाएं एवं शस्यश्यामला वसुन्धरा के बीच यह मण्डल अपने में एक विशेष आकर्षण प्रस्तुत करता है। यहॉ से कैलाश एवं मानसरोवर के दुर्गमपथ, ऊँची–नीची पर्वत मालायें एवं ग्लेशियर के मनोरंजक स्थल देश–विदेश के पर्यटकों को बरबस आकर्षित करते हैं।

जनपद नैनीताल में नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, नेशनल कार्बेट पाक्र रामनगर तथा मुक्तेश्वर मुख्य पर्यटन स्थल तथा कैंची धाम, हैड़ाखान मुख्य धार्मिक स्थल हैं। जहॉ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक/श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल नानकमत्ता, काशीपुर में द्रोण सागर तथा गिरिताल पर्यटकों का मुख्य आकर्षक स्थल है। रूद्रपुर में झील का निर्माण स्वीकृत हुआ है जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। काशीपुर में मॉ दुर्गा का प्रति रूप चैती माई का मन्दिर है। जहॉ प्रतिवर्ष चैत्रमास में 15 दिन का धार्मिक तथा पर्यटक मेला आयोजित होता है।

जनपद अल्मोड़ा में लोगों की आस्था का प्रतीक चितई स्थित गोलू मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थल है। अल्मोड़ा, शीतलाखेत, बिनसर तथा रानीखेत प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। अल्मोड़ा स्थिति जागेश्वर में प्राचीन मन्दिर समूह, बिनसर महादेव में शिव मन्दिर तथा गणनाथ में प्राचीन शिव मन्दिर हैं। दूनागिरि में प्राचीन धार्मिक स्थल है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

जनपद बागेश्वर में कौसानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। बैजनाथ पुरातात्विक स्थल, पिण्डारी, कफनी पर्वतारोहण के प्रसिद्ध स्थल, विजयपुर, कांडा दर्शनीय स्थल तथा बागेश्वर जो सरयू व गोमती का संगम स्थल है, में बागनाथ का प्राचीन मन्दिर धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है।

जनपद पिथौरागढ में चौकोड़ी, बेरीनाग, पाताल भुवनेश्वर तथा गंगोलीहाट में मॉ कालिका देवी मन्दिर, ध्वज में देवी का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। पिथौरागढ़, चण्डाक, थल केदार, नारायण आश्रम, मुनस्यारी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं।

जनपद चम्पावत में लोहाघाट मायावती आश्रम, बाणासुर का किला, श्यामलाताल, रीठासाहब में सिक्खों का प्रसिद्ध गुरूद्वारा तथा देवीधुरा में प्रसिद्ध बाराही मन्दिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरि में श्री पूर्णा देवी जी का मन्दिर स्थित है। चैत्र मास में एक माह का मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

मण्डल के प्रमुख पर्यटक स्थलो का वर्णन :– अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय कुमायूँ की प्राचीन इतिहास की झलक पाने के लिए आदर्श संग्रहालय है। जहॉ कत्यूर व चंद शासन काल की ऐतिहासिक वस्तुऐं व स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित दस्तावेज आदि प्रदर्शित हैं।

चितई मन्दिर कुमाऊँ में ''गोल्लू'' का अति प्राचीन मन्दिर है। मान्यता हैं कि मन्नतें मांगने पर पूर्ण होती है तथा मन्नत पूर्ण होने पर मन्दिर में घंटी अर्पित की जाती है। इसलिए मन्दिर प्रांगण में असंख्य छोटी–बड़ी घंटियां टंगी हैं।

हिरन पाक्र :– अल्मोड़ा से 3 किमी0 दूर नारायण तिवाड़ी देवाल नामक स्थान पर एक छोटा सा चिड़िया घर है। जहॉ हिरन, तेंदुआ, बाघ, भालू है।

अल्मोड़ा से 6 किमी0 दूर कलमटिया पहाड़ी की चोटी पर कसार देवी मन्दिर है। कई विदेशी पर्यटक यहॉ के शान्त वातावरण से वशीभूत होकर यहॉ रूकते हैं। अल्मोड़ा से 30 किमी0 दूर 2420 मी0 की ऊँचाई पर बिन्सर स्थित है, जहां से चौखम्भा, त्रिशूल, नन्दादेवी, शिवलिंग तथा पंचाचूली की हिमाच्छादित

चोटियों का बहुत मनोरम दृश्य दिखता है। यहां काफी घना जंगल है जिसमें कई प्रकार के जानवर, पक्षी तथा फूल पाये जाते है इसके अतिरिक्त कोशी में कटारमल सूर्यमन्दिर स्थित है। कत्यूरी शासन द्वारा कटारमल में सूर्य मन्दिर का निर्माण लगभग 800 वर्ष पूर्व किया गया है। इस मन्दिर की तुलना कोणाक्र के सूर्य मन्दिर से की जाती है। स्थानीय जनता का मुख्य आस्था केन्द्र जागेश्वर मन्दिर के प्रांगण में चन्दवंश के विभिन्न शासकों द्वारा 164 मन्दिर निर्मित कराये गये। यह मन्दिर अल्मोड़ा से 34 किमी0 दूर स्थित है। इनमें भगवान जागेश्वर, मृत्युंजय व पुष्टि देवी आदि का मन्दिर चन्द्र कालीन स्थापत्य के नमूने हैं। चन्द्र राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर, जहॉ से हिमालय का विस्तृत श्रंखलाओं का दृश्य दिखता है। जैसे केदारनाथ, चौखम्बा, त्रिशूल, नन्दादेवी, नन्दाकोट और पंचाचूली पर्वतों के अद्भुत दर्शन होते हैं। अल्मोड़ा का मनमोहक पर्यटक स्थल रानीखेत है। हिमालय दर्शन व सुहावनी जलवायु के कारण इसे हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। रानीखेत अपनी शौर्य गाथाओं के साथ छावनी क्षेत्र व कुमायूँ का मुख्य पर्यटक स्थल है। रानीखेत से 10 किमी0 चौबटिया एशिया का सबसे बड़ा फल उद्यान है।

बागेश्वर में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव स्थल भी है। पिण्डारी, कफनी, सुन्दरढूँगा जैसे ग्लेशियरों को ट्रेकिंग टूर यहॉ से जाते हैं। अल्मोड़ा से 53 किमी0 व बागेश्वर से 39 किमी0 की दूरी पर कौसानी प्राकृतिक सौन्दर्य व हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का केन्द्र है। सन् 1929 में कुमायूँ भ्रमण के दौरान महात्मा गॉधी जब कौसानी आये, तो उन्होंने इसे भारतवर्ष का स्विटजरलैण्ड कहा था। कौसानी से 17 किमी0 की दूरी पर स्थित बैजनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित है।

नैनीताल एक विख्यात पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। प्राकृतिक झीलों का नैनीताल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पाये जाने के कारण इसे झीलों का जनपद भी कहा जाता है। पूर्व में नैनीताल जनपद में लगभग 60 झीलें थी। मानवीय छेड़छाड़ व प्राकृतिक कारणों से 60 झीलों के स्थान पर अब गिनीचुनी ही झीलें शेष हैं। फिर भी नैनीताल देश में अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए ख्याति प्राप्त है तथा जिला एवं कुमायूँ मण्डल का मुख्यालय भी है। पर्यटन सीजन मार्च से जून तथा सितम्बर से अक्टूबर के अन्त तक रहता है। यहॉ

पहुॅचने के लिए निकटस्थ रेलवे स्टेशन काठगोदाम व निकटस्थ हवाई अड्डा पन्तनगर (फूलबाग) है। नैनीताल से 22 किमी0 दूर भीमताल झील अपने सौन्दर्य व टापू के लिए प्रसिद्ध है तथा नैनीताल से 26 किमी0 की दूरी पर नौकुचियाताल, नैनीताल से 21 किमी0 की दूरी पर सातताल स्थित है जो प्रकृति की सौन्दर्यता को प्रसिद्ध करता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पाक्र में रंग बिरंगे पक्षी और शेर, हाथी, भालू, नील गाय, चीता, चीतल जैसे वन्य जीव स्वछन्द बिहार करते हैं। कालाढूँगी से 4 किमी0 आगे नया गॉव में कार्बेट फाल भी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है।

अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित कैंची मन्दिर जहॉ नीम करौली महाराज आश्रम, हनुमान व अन्य देवताओं

के मन्दिर आस्थावान भक्तों के केन्द्र हैं। यहॉ रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी है। जून माह की 15 तारीख को कैची धाम में नीम करौली महाराज के जन्म दिन पर विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।

ऊधमसिंह नगर में नानकमत्ता सिक्खों के लिए आदरपूर्ण स्थान है। यहॉ का गुरूद्वारा, कुऑ व पीपल वृक्ष प्रसिद्ध है। यह विश्वास है कि यहॉ गुरू नानकदेव ने विश्राम किया था।

पिथौरागढ़ शहर से 7 किमी0 दूरी पर चण्डाक नामक स्थान से पिथौरागढ़ का विहंगम दृश्य दर्शनीय है। यहॉ मोस्टमानो मन्दिर में अगस्त माह में विशाल मेला आयोजित होता है। यहॉ मैग्नासाइड खनिज की खान व कारखाना है। पिथौरागढ़ से 18 किमी0 दूर ध्वज से हिमालय श्रृखलाओं के विस्तृत दर्शन होते हैं। शहर से 6 किमी0 की दूरी पर थल केदार में भगवान शिव का मन्दिर है। जहॉ शिव रात्रि मेला महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ से 77 किमी0 की दूरी पर गंगोलीहाट का महाकाली मन्दिर देश के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। गंगोलीहाट से 6 किमी0 पर गुपतड़ी तथा वहॉ से 8 किमी0 पर पाताल भुवनेश्वर में गुफाओं का रहस्य व दैवीय संसार है। यहॉ महादेव व शेष नाग का निवास स्थान माना जाता है। गुफा में विभिन्न दैवी आकृतियों का निर्माण धार्मिक आस्था का कारण है। पिथौरागढ़ से 112 किमी0 व बेरीनाग से 9 किमी0 दूर देवदार, बॉज, बुराश के पेड़ों के बीच स्थित चौकोड़ी हिमालय के सुन्दर स्थानों में से एक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्वामी नारायण द्वारा स्थापित नारायण आश्रम अपने प्राकृतिक व शान्त सौन्दर्य का प्रतीक है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा मुनस्यारी तहसील मुख्यालय भी है। यहॉ से पंचाचूली शिखर का नया रूप दिखता है। जनपद चम्पावत में स्थित श्री पूर्णागिरी का मन्दिर भी लाखों श्रद्वालुओं की आस्था का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरी मन्दिर में प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर–दूर से कई श्रद्वालु आते है।

उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मण्डल में जनपदवार उपलब्ध पर्यटन स्थल एवं पर्यटक आवास गृह तथा उनमें उपलब्ध शय्याओं का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पर्यटक स्थलों की संख्या	पर्यटक आवास गृहों की संख्या	पर्यटक आवास गृह/रैनबसेरों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1	अल्मोड़ा	4	12	410
2	बागेश्वर	25	15	368
3	नैनीताल	30	14	585
4	ऊधमसिंह नगर	13	2	30
5	पिथौरागढ़	24	21	473
6	चम्पावत	28	7	176
योग मण्डल		**124**	**71**	**2042**

उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनओं हेतु लाभार्थियों को 20 प्रतिशत मार्जन मनी का प्राविधान है।

वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यों हेतु राज सहायता दी जाती है :–

1. 8 से 10 कमरे युक्त होटलनुमा आवासीय इकाई की स्थापना।
2. मोटर वक्रशाप/मोटर गैराज की स्थापना।
3. बस/टैक्सी परिवहन सुविधा संचालन योजना।
4. साहसिक क्रियाकलाप हेतु उपकरण क्रय योजना।
5. साधनाकुटी एवं योगध्यान केन्द्रों का विकास।
6. स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्र।
7. टैन्ट आवासीय सुविधाओं की स्थापना।
8. पी0सी0ओ0 युक्त पर्यटक सूचना केन्द्र/रेस्टोरेन्ट का निर्माण।
9. फास्ट फूड केन्द्रों की स्थापना।

वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

माहः मार्च, 2017 **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य (अनन्तिम)	बैंको को प्रेषित प्रार्थना पत्र		बैंको द्वारा स्वीकृत प्रार्थना पत्र संख्या		बैंको द्वारा वितरित प्रार्थना पत्र	
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अल्मोड़ा	43	50	879.45	33	496.47	33	496.47
2	बागेश्वर	50	75	190.01	41	93.37	41	93.37
3	पिथौरागढ़	42	44	211.80	29	121.47	29	121.47
4	चम्पावत	23	29	417.83	15	155.67	15	155.67
5	नैनीताल	50	48	54.00	39	217.66	39	217.66
6	ऊधमसिंह नगर	23	26	324.00	12	238.04	10	181.72
योग कुमाऊँ		231	272	2077.09	169	1322.68	167	1266.36

अध्याय – 25

सेवायोजन

रोजगार महानिदेशालय भारत सरकार, रोजगार कार्यालयों को (एन0सी0एस0) नेशनल कैरियर सविर्स में परिवर्तन मिशन मोड में चल रहा है। जिस हेतु एन0सी0एस0 पोर्टल प्रारम्भ हो चुका है। कुमाऊॅ मण्डल में 11 सेवायोजन कार्यालय संचालित है।

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में सेवायोजन कार्यालयों में 56257 बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा अपना नाम पंजीकृत करवाया गया। वर्ष 2016–17 में 156 अभ्यर्थी को सेवायोजित किया गया। वर्ष के अन्त में (31 मार्च, 2017 तक) 326468 बेरोजगार अभ्यर्थी के सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध थे। एन0सी0एस0 पोर्टल में पंजीकरण हेतु जागरूकता/मार्गदर्शन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

कुमाऊॅ मण्डल सार्वजनिक क्षेत्र में 1098 नियोजक हैं जिनके यहां 71734 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा निजी क्षेत्र के अंतर्गत 375 नियोजक हैं, जिनके यहां 43962 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। निकट भविष्य में सभी नियोजकों को एन0सी0एस0 पोर्टल में पंजीकृत होना है।

सेवायोजन कार्यालय में स्थापित व्यवसाय मार्ग निर्देशन इकाई को अब कैरियर सेन्टर के नाम से जाना जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यालय द्वारा पूर्ववत स्कूल एवं कालेजों में जाकर कैरियर वार्ता दिया जाना महत्वपूर्ण कार्य दायित्व है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 40319 बेरोजगार अभ्यर्थियों को पंजीयन के समय मार्ग निर्देशन दिया गया, जिसमें से 12747 अभ्यर्थियों ने सामूहिक वार्ताओं में भाग लिया। 10487 अभ्यर्थियों ने विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन प्राप्त किया। ऐसे अभ्यर्थी जिनकों अभी तक रोजगार सहायता उपलब्ध नहीं हुई है, उन अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजन आदि की जानकारी देकर इन मामलों का पुनरावलोकन किया गया। जिसके अन्तर्गत में क्रमशः 331 अभ्यर्थियों द्वारा पुनरावलोकन का लाभ उठाया गया। विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण, सेवायोजन अवसर तथा स्वतः नियोजन के अवसरों की जानकारी दी गई।

शिक्षण मार्गदर्शन केन्द्र के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 434 टंकण तथा 316 आशुलिपि वर्ग में प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। तीन सत्र पूर्ण होने पर 292 प्रशिक्षार्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की एवं इन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र दिये गये। शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 6 मासीय एवं 1 वर्षीय प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर, टंकण, आशुलिपि, भाषा (हिन्दी), सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान सचिवीय पद्वति बुककीपिंग एवं एकाउन्टेंसी तथा अंकगणित एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सेवायोजन कार्यालय आजीविका परामर्श केन्द्र (कैरियर काउंसिंलिंग सैन्टर) प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रत्येक माह कैरियर काउंसिंलिंग दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल में कैरियर काउंसिंलिंग सैन्टर की 14379 शाखाओं द्वारा कैरियर काउंसिंलिंग सम्बन्धित साहित्य के माध्यम से प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना सभी केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जा रही है।

वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल में 54 रोजगार मेले आयोजित किये गये जिनमें 6121 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया तथा 1336 अभ्यर्थियों का विभिन्न निजी कम्पनियों में रोजगार / प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया। इस मेले में ट्रेनी आपरेटर उपरवाईजर एवं सुरक्षा गार्ड तथा **''सीखो एवं कमाओं''** योजनान्तर्गत डिप्लोमा इन मैकेनिकल इजीरिंग कोर्स एवं आटोमोबाईल मैन्यूफैक्चरिंग व्यवसायों में चार वर्षीय डिप्लोमा भी सम्मिलित है। जिसमें अशोक लिलैण्ड सिडकुल पंतनगर, उत्तराखण्ड मुक्तविश्विद्यालय, मिन्डा इन्डस्ट्री में प्रतिभाग किया।

सेवायोजन कार्यालय द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को कैरियर सम्बन्धी सूचना एवं मार्ग दर्शन प्रदान करने हेतु अपना व्यवसाय चुनिये श्रृंखला के अन्तर्गत इंजीनियरिंग/चिकित्सा/ पैरामेडिकल/ प्रबन्धक/सेना व पुलिस/विज्ञान/कला सामान्य /कैसे बनाये अपना कैरियर/ स्वरोजगार /कैरियर के विभिन्न विकल्प आदि विषयों पर कैरियर साहित्य का प्रकाशन कैरियर कॉर्नरों में छात्रों के मार्गदर्शन हेतु किया गया।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये शिक्षित बेरोजगारों को प्रदान किये जाने वाला रोजगार सह कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल में 10233 अभ्यर्थियों को रोजगार सह कौशल विकास भत्ता स्वीकृत किया गया।

उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुपालन में सेवायोजन कार्यालय में ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्र के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत बेरोजगार अभ्यर्थियों को ऑन लाइन पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत किये जा रहै है।

अध्याय – 26

निर्बल वर्ग हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम

समाज कल्याण

1–अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति :– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1521.11 लाख की धनराशि व्यय कर 34293 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

2–पिछडी जाति छात्रवृत्ति :– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले पिछड़ी जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में रू0 25.12 लाख के सापेक्ष धनराशि व्यय कर 1573 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

3– विकलांग छात्रवृत्ति :– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले विकलांग छात्र/छात्राओं तथा विकलांग अभिभावकों के पाल्यों छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में रू0 2.40 लाख के सापेक्ष की धनराशि व्यय कर 142 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

4–वृद्धावस्था पेंशन :– इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के बी0पी0एल0 श्रेणी अथवा रू0 4000 मासिक आय वाले परिवारों के वृद्धजनों को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 18315.75 लाख की धनराशि व्यय कर 174983 वृद्धजनों को लाभान्वित किया।

5–विकलांग भरण पोषण अनुदान :– योजनान्तर्गत 18 वर्ष से अधिक के विकलांजन जिनकी विकलांगता का प्रतिषत 40 या इससे अधिक है। तथा जिनकी मासिक आय रू0 4000/–प्रतिमाह से कम है, को रू0 1000/–प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में रू0 2840.82 लाख की धनराशि व्यय कर 27440 विकलांगजनों को लाभान्वित किया गया।

6–विकलांग दम्पत्ति को विवाह प्रोत्साहन :– योजनान्तर्गत सामान्य द्वारा विकलांग महिला/पुरूष से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 25000/–का प्रोत्साहन दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 17.00 लाख व्यय कर 68 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया।

7–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :– इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष तक हो, की मृत्यु होने पर रू0 20000 एक मुश्त अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2016–17 में रू0 246.40 लाख की धनराशि व्यय कर 1232 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

8–विधवा पेंशन :– इस योजना के अन्तर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु की भी वर्गों की बी0पी0एल0 श्रेणी तथा रू0 4000 मासिक आय वाले परिवारों की विधवाओं को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से विधवा पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2016–17 में रू0 6688.75 लाख की धनराषि व्यय कर 63758 विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

9–परित्यक्ता पेंषन – योजनान्तर्गत परित्यक्ता महिला,मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी, निराश्रित आविवाहित महिलाओं को रू0 1000/–प्रतिमाह की पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2016–17 में रू0 164.92 लाख की धनराशि व्यय कर 1670 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

10–शादी अनुदान :– अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी रू0 15,000 वार्षिक आय तक है। तथा अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिये रू0 50,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में रू. 500.00 लाख की धनराशि व्यय कर 1000 व्यक्ति/परिवारों को लाभान्वित किया गया।

11–अटल आवास योजना :– अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी रू0 32,000 वार्षिक आय है। तथा आवासहीन है, को रू0 38,500/–की आर्थिक सहायता आवास एवं शौचालय निर्माण हेतु दी गयी है। वर्ष 2016–17 में योजनान्र्तगत षासन द्वारा बजट आवंटन नहीं किया गया।

12–गौरादेवी कन्याधन योजना :– इस योजना के अन्तर्गत इन्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुसूचित जाति एवं समान्य जाति की छात्राओं को जिनके परिवारों ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 15976 तथा शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 21206 है अधिकतम दो पुत्रियों तक रू0 50000.00 के एन0ए0सी शिक्षा प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। वर्ष 2016–17 में 3168.00 लाख रू व्यय कर 6336 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्श 2017–18 से योजना महिला एवं बाल विकास को हस्तान्तरित हो गई है।

13–विधवा की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान :– विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला की पुत्री के विवाह हेतु रू0 50,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में रू0 60.00 लाख की धनराषि व्यय कर 120 विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

14– विकलांग कृत्रिम अंग अनुदान :– विकलांगों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु सरकारी चिकित्सक की संस्तुति के आधार पर अधिकतम रू0 3500.00 तक अनुदान दिया जाता है वर्ष 2016–17 में रू0 15.35 लाख व्यय कर 317 विकलांगों को लाभान्वित किया गया।

15– तीलू रौतेली पेंशन :– तीलू रौतेली पेंशन योजना का शुभारम्भ 01 अप्रैल 2014 से किया गया है। कृषि कार्य करते हुए विकलांगता होने पर 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के मध्य विकलांगता की स्थिति में रू0 1000 पेंशन प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में 494 लाभार्थियों को रू0 34.32 लाख की पेंशन वितरित की गई।

16– 18 वर्ष से कम उम्र के विकलांग बच्चों हेतु भत्ता – जन्म से विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक रू0 700 प्रतिमाह की दर से अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है, स्वीकृत की प्रक्रिया एव नियम विकलांग पेंशन

के अनुरूप है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत रू0 95.25 लाख व्यय कर 1329 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

17– बौना पेंशन :– बौना व्यक्तियों को चार फिट के कम ऊचाई के वयक्तियों को बौना पेंशन सहायक समाज कल्याण अधिकारी की संस्तृति पर स्वीकृत की जाती है, आय सीमा की कोई बाध्यता नही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 2.68 लाख व्यय कर 25 व्यक्तिययों को लाभान्वित किया गया।

18– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय – प्रदेश में अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्वति विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार, जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नही कर पाते हैं तथा अत्यन्त निर्धन हैं, के बच्चो को प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र एवं भोजन आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। उत्तराखण्ड मे अनुसूचित जाति के बालकों हेतु वर्तमान में कुल 5 राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय संचालित है। प्रदेश मे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु सैकोट (चमोली), श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल), देहरादून, रूद्रपुर, (ऊधम सिंह नगर) एवं बेतालघाट (नैनीताल) में आश्रम पद्वति विद्यालय संचालित है। उपरोक्त विद्यालयों में बेतालघाट (नैनीताल) हाई स्कूल, सैकोट (चमोली) में जूनियर हाईस्कूल एवं शेष 3 विद्यालय प्राइमरी स्तर तक के हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की भोजन व्यवस्था हेतु प्रति छात्र प्रति दिन रू. 69/–की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विद्यार्थियों के वस्त्र, दवाईयों आदि की भी निःशुल्क सुविधा पृथक से उपलब्ध करायी जाती है।

19– अनु0 जाति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :– वर्तमान में उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के छात्रों को प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने हेतु 03 विभागीय आई. टी. आई. क्रमशः पाइंस (नैनीताल), मालधनचौड़ एवं जनपद बागेश्वर में स्थापित है। जिसमें विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये 608 छात्रों को प्रशिक्षण दिये जाने की क्षमता है।

20– राजकीय बृद्ध एवं अशक्त आवास गृह :– कुमाऊ मॅण्डल के जनपद बागेष्वर में नीलेश्वर में एक राजकीय बृद्ध एवं अशक्त आवास गृह की स्थापना की गई है। जहॉ निराश्रित वृद्धों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र एवं आवास की सुविधा उपलब्ध है। जिसकी स्वीकृत क्षमता 50 है। वर्तमान में 13 बृद्ध निवास करते है।

21– अनुसूचित जाति छात्रावास :– कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोडा, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास संचालन किया गया है। जहॉ अनु0 जाति के छात्रों को निःशुल्क हास्टल सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

उद्देश्य :–

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु रोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर में वित्तीय संस्साधन प्राप्त कर टर्मलोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न कौशल व्यवसायों में दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मौलाना आजाद एजुकेशन फाउडेन्शन फाइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से टर्मलोन, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।

(अ) राज्य निगम की योजनाएंः–

(1) अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना– इस योजना में निगम द्वारा रू0 .20 लाख से रू0 10 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से जिसमें योजना का 25 प्रतिशत अनुदान तथा 60 प्रतिशत बैंक ऋण एवं 15 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वंय का अंश वहन किया जाता है । समस्त योजना का चयन जिला स्तर पर चयन सीमिति के माध्यम से किया जाता है योजना हेतु रू0 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) वार्षिक आय तक के अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र अभ्यर्थी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अनुदान की राशि बैंक इन्डेट होगी।

वर्ष 2016–17 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, क्रमशः रू0 15 लाख रू0, 12 लाख रू0, 9.00 लाख रू0, 1.00 लाख, 64.00 लाख की धनराशि व्यय की क्रमशः 09, 08, 06, 04, 01,25 लोगों को लाभान्वित किया गया।

(2) मुख्यमंत्री हुनर योजना– इस योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षार्थियों को अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित होना चाहिए। लाभार्थी की आयु 18–35 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षार्थी की शैक्षिक योग्यता पारम्परिक प्रशिक्षण हेतु कम से कम पांचवी/साक्षर होना चाहिए। प्रार्थी की शिक्षा राजकीय स्कूलों से हुई हो अथवा मदरसों से दोनो मान्य होगी। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसायों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रार्थी की परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 3,50,000 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 4,50,000 तक होनी चाहिए। प्रार्थी उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के समयानुसार छात्रवृत्ति भी दी जाती है। वर्ष 2016–17 में जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, क्रमशः रू0 1.125 लाख, 2.25 लाख, 1.125 रू0, 2.25 लाख रू0 2.50 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 25, 25, 25, 25, 25, 25 लोगों को प्रशिक्षण किया गया ।

(3) मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना– इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के गरीब अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण अधिकतम रू0 5 लाख दिए जाने का प्राविधान किया गया है। जिसकी वापसी सेवा नियोजित होने या शिक्षा पूर्ण होने 6 माह के उपरान्त से अगले तीन वर्षों में की जाएगी। पात्रता अभयार्थी 12वीं उत्तीर्ण हो, आयु सीमा 18–35 वर्ष होनी चाहिए, परिवार की आय रू0 1.00 लाख से अधिक न हो। वर्ष 2016–17 में जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर क्रमशः रू0 5 लाख, रू0 6.19 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 01, 02 लोगों को लाभान्वित किया गया।

(ब) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित निगम की योजनाएं :–

(1) सर्वाधिक ऋण योजना (टर्मलोन योजना) :– सार्वधिक ऋण योजना के अन्तर्गत रू0 20 लाख तक की परियोजना लागत पर विचार किया जाएगा। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय निगम ऋणांश, 5 प्रतिशत राज्य निगम ऋणांश तथा शेष 5 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। राष्ट्रीय निगम के ऋणांश पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत और राज्य के द्वारा दिए जाने वाले ऋणांश की ब्याज दर 7 प्रतिशत है। वर्ष 2016–17 में जनपद ऊधमसिंह नगर क्रमशः रू0 6 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 06 लोगों को लाभान्वित किया गया।

उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एवं विकलांगजनों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का गठन 25 अक्टूबर 2001 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन किया गया है। निगम का प्रशासनिक विभाग समाज कल्याण विभाग है। निगम द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लक्षित वर्गों के आर्थिक, सामाजिक कल्याण हेतु चलायी जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

1. स्वतः रोजगार योजना :– यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में रू0 15,976 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21,206 कम वार्षिक आय वाले परिवारों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में रू0 20.00 हजार, रू0 7.00 लाख तक की परियोजनाओं के संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत/सरकारी ग्रामीण बैको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निगम द्वारा योजना की लागत का 50 प्रतिशत या रू0 10,000.00 जो भी कम हो अनुदान एवं रू0 20,000.00 से अधिक लागत वाली योजना में अनुदान के अतिरिक्त योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण भी 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर निगम द्वारा दिया जाता है। लेकिन अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण योजना लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में दी जाती

है। सूत्र संख्या 10 (34) अनुसूचित जाति के परिवारो को सहायता के अन्तर्गत अल्मोडा में 117, बागेश्वर 55, नैनीताल 1148, ऊधमसिंह नगर 150, पिथौरागढ 89, चम्पावत 38, एवं सूत्र संख्या 10 (36) में अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता मद में वर्ष 2016–17 में जनपद अल्मोड़ा में 0, बागेश्वर में 01, नैनीताल में 03, ऊधमसिंह नगर में 58 पिथौरागढ़ में 08 तथा चम्पावत में 0 परिवारों को स्वतः रोजगार हेतु सहायता प्रदान की गयी है।

2. हाथ से मैला उठाने वाले स्वच्छकारों के पुर्नवास की स्वरोजगार योजना(SRMS)- भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इस राज्य में पाये गये 49 नगरीय क्षेत्रों में चिन्हित 5503 भवनों में उपलब्ध शुष्क शौचालयों में संलिप्त स्वच्छकारों के पुनर्वेक्षण का कार्य कराने के पश्चात जनपद पिथौरागढ में 05, जनपद चम्पावत में 02, जनपद नैनीताल में 10 एंव जनपद ऊधमसिंहनगर में 30 स्वच्छकार चिन्हांकित किए गए है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से चिन्हांकित स्वच्छकारों को इस अमानवीय कार्य से पृथक करने हेतु उनके बचत खाते के माध्यम से प्रथम चरण में रू0 40,000.00 की नगद धनराशि हस्तान्तरित की जा चुकी है। जनपद नैनीताल में 10, ऊधमसिंहनगर में 05, चम्पावत में 02, एवं पिथौरागढ़ में 05 स्वच्छकारों को योजनान्तर्गत अपना रोजगार संचालित करने हेतु बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण किया गया।

3. शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना :– जिन अनुसूचित जाति के गरीबी के रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पास शहरी क्षेत्र/अर्द्ध शहरी क्षेत्र अथवा उपयुक्त व्यवसायिक स्थलों पर अपनी स्वयं की भूमि उपलब्ध है। उन्हें उस भूमि पर दुकान/विपणन केन्द्र बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 85,000.00 एवं शहरी क्षेत्रों में रू0 78,000.00 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें रू0 10000/– अनुदान स्वरूप दिये जाने का प्राविधान है तथा अवशेष ऋण की वसूली 120 समान किस्तों में की जाती है। दुकान बनाने के पश्चात् उन्हें अपना व्यवसाय चलाने हेतु भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

4. प्रशिक्षण योजनाएं :– अनुसूचित जाति के युवक–युवतियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जैसे कम्प्यूटर, सिलाई, कड़ाई, बुनाई आदि। प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को निगम द्वारा वहन किया जाता है। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। प्रशिक्षण के पश्चात् इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें। विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से 5 प्रतिशत धनराशि प्रशिक्षण पर व्यय करने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा संचालित जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति/दिब्यांग) के अन्तर्गत भी लक्षित वर्गों को क्षमता विकास हेतु कौशल वृद्धि प्रशिक्षण गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क प्रदान किया जाता है तथा प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार हेतु वित्तपोषण भी किया जाता है।

5. शिल्पी ग्राम योजना(अनुसूचित जाति/जनजाति) :– अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परम्परागत शिल्पियों का चिन्हांकन कर उनके प्रचलित शिल्प को पुर्नजीवित एवं विकसित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने एवं प्रशिक्षणोपरान्त पात्र बेरोजगारों को संबंधित व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु वित्तपोषण भी किये जाने का प्राविधान है।

6. जनश्री बीमा योजना(आम आदमी बीमा योजना) :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से जनश्री बीमा योजना भारत सरकार / राज्य सरकार के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड बहुउदेशीय वित्त एवं विकास निगम से श्रम कल्याण विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। अब जनश्री बीमा येाजना का संचालन श्रम कल्याण विभाग संचालित करेगा। जनश्री बीमा येाजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में निवासरत 623790 बी0पी0एल0 परिवारों के 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य मुखिया की स्वाभाविक मृत्यु पर रू0 30,000/–, दुर्घटना में मृत्यु पर रू0 75,000/–, दुर्घटना में स्थाई अपंगता पर रू0 75,000/– तथा आंशिक अपंगता पर रू0 37,500/– हितलाभ भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त योजना के सदस्य के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को शिक्षा सहयोग योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू0 100/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

7. जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना :– वित्तीय वर्ष 2004–05 से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के आर्थिक विकास के लिये जीविका अवसर योजना का विकास किया गया है। इस योजना के अर्न्तगत जागरूकता शिविरों का आयोजन एवं कौशल बृद्धि योजनाओं का संचालन किया जाता है। तत्पश्चात ऋण एवं अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अवस्थापना विकास एवं सहायक सुविधाओं पर भी धन राशि व्यय किये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2016–17 में जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत 621 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए रू0 22.88 लाख तथा जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जनजाति) के अन्तर्गत 257 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए रू0 15.00 लाख की धनराशि व्यय की गई।

8. राष्ट्रीय निगमो द्वारा संचालित कार्यक्रम :– उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नेशनल राष्ट्रीय पिछडावर्ग वित्त एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये भी स्टेट चैनेलाईजिंग एजेन्सी नामित है। राष्ट्रीय निगमों द्व 85 से 90 प्रतिशत तक टर्मलोन की सुविधा दी जाती है। 10–15 प्रतिशत तक राज्य चेनेलाइजिंग एजेन्सी एवं लाभार्थी के अंश के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त बैंकों के माध्यम से पिछड़ी जाति के बी0पी0एल0 परिवारों को ऋण उपलब्ध करासा जाता है। जिसमें निगम द्वारा 15 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण एवं 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश के रूप में होता है अवशेष 75 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में होता है।

अध्याय – 27

शान्ति एवं कानून व्यवस्था

आम नागरिकों के सहयोग के बिना किसी भी सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर भयमुक्त वातावरण बनाना पुलिस की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को नागरिकों के सक्रिय सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है।

मण्डल के रैगुलर पुलिस क्षेत्र में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही है।

उत्तराखण्ड मित्र पुलिस की अवधारणा को साकार करने के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाने के प्रयास प्रशासन स्तर पर किये जा रहे हैं।

कुमायूँ मण्डल में वर्ष 2016–17 में जनपदवार पुलिस स्टेशन (थाना)

मद	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
पुलिस स्टेशन							
ग्रामीण	6	4	13	7	4	4	**38**
नगरीय	4	10	3	10	2	4	**33**
जी0आर0पी0	--	1	--	--	--	--	**1**
योग	**10**	**15**	**16**	**17**	**6**	**8**	**72**

अध्याय – 28

मण्डल की आर्थिक समस्यायें तथा सुझाव

कुमायूँ मण्डल का लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है। शेष 25 प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है। जो जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में पड़ता है। मैदानी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र है। विकास की गति प्रदेश के औसत गति की तुलना में अधिक है। मण्डल में पर्वतीय क्षेत्र जिनमें जनपद चम्पावत का अधिकतर क्षेत्र व अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल का कुछ पर्वतीय आता है, उनमें आर्थिक विकास सम्बन्धी अनेक समस्यायें है, जिनके कारण यहॉ पर विकास की गति धीमी है।

कुमायूँ मण्डल में पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक समस्यायें निम्न हैं :–

1. इस क्षेत्र की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। इस क्षेत्र में अधिकांश भूमि वनों के अन्तर्गत तथा कृषि के लिए अयोग्य होने के कारण कृषि योग्य भूमि बहुत कम बची है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 27 प्रतिशत भूमि ही कृषि योग्य है। यही कारण है कि लगभग 75 प्रतिशत कृषकों के पास एक हैक्टेयर से कम भूमि है। जोतें सीड़ी नुमा तथा बिखरी हुई हैं। सिंचाई साधनों की कमी के कारण अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। ऐसी स्थिति में परम्परागत कृषि मडुवा, सॉवा आदि मोटे अनाजों की खेती से ग्रामों का आर्थिक विकास में अवरोध सिद्ध हो रहा है।

2. पर्वतीय भू–भाग में उद्योग धन्धों का अभाव होने के कारण रोजगार के अवसर नगण्य है तथा इस कारण रोजगार की तलाश में मैदानी भाग की ओर श्रम शक्ति का तेजी से पलायन हो रहा है। पर्वतीय भू–भाग में विद्युत की अनियमित आपूर्ति उत्पादों के समुचित विपणन व्यवस्था न होना भी प्रमुख समस्या है।

3. जीवन जल से जुड़ा है। पर्वतीय भू–भाग में पेयजल श्रोतों के सूखजाने अथवा जल स्तर कम हो जाने से ग्रीष्म काल में पेयजल एक प्रमुख समस्या बन जाती है।

4. पर्वतीय भू–भाग में पर्यटन की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, परन्तु अधिकांश पर्यटक स्थलों के लिए आवागमन के अच्छे साधन, ठहरने एवं भोजन हेतु अच्छे होटलों का अभाव होने के कारण पर्यटकों के आकर्षित नहीं होने से पर्यटन स्थलों का आर्थिक विकास में भी योगदान नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

1. पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय अधिकांश महिलाओं पर आधारित है। कृषि के सम्बन्ध में निर्णय भी महिलाओं द्वारा लिया जाता है। जोखिम लेने से बचने तथा कृषि की नई तकनीकों एवं उन्नत किस्म के बीजों की जानकारी न होने के कारण कृषि जोतें छोटी–छोटी, बिखरी तथा असिंचित होने के कारण परम्परागत कृषि कार्य ही अधिकांश क्षेत्रों में हो रहा है। अतः अधुनान्त कृषि तकनीक के सम्बन्ध में महिलाओं को प्रशिक्षित करना, कृषि उत्पादन के विपणन की जगह सुविधायें उपलब्ध कराना, कर उन्नत कृषि तथा औद्यानिकी तथा बेमौसमी सब्जियों, पुष्पों तथा जड़ी बूटियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा कृषि को उपयोगी बनाने के प्रयास कारगर हो सकते हैं।

2. पर्वतीय क्षेत्रों में Low Volume High Cost वाली औद्योगिक उत्पादकों की इकाईयों को प्रोत्साहित कर औद्योगिकीकरण की पहल की जाने से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर श्रम शक्ति के पलायन पर रोक लगाया जा सकता है। अतः Low Volume High Cost वाली औद्योगिक इकाईयों तथा सुविधायुक्त क्षेत्रों की पहचान के लिए कार्य दलों का गठन कर सार्थक प्रयास हो सकते हैं।

3. पर्वतीय भू–भाग में पेयजल स्रोतों पर जल संरक्षण के कार्य विशेष, कार्य योजना तैयार कर स्थानीय जनता में जागरूकता प्रदान कर जन सहयोग किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। जल स्रोतों के आस पास बॉज, उतीस के पौध का रोपण, ट्रंचिग खोद कर वर्षा के पानी को रोक कर जल संरक्षण का कार्य करने से पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। भूमि एवं जल संरक्षण योजना तथा जलागम योजना में यह कार्य किया भी जा रहा है। ऐसे कार्यों के प्रभावों का भी समय समय पर अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु अभी तक दूरस्थ स्थित पर्यटन स्थलों पर सुविधायें व्यापक स्तर पर उपलब्ध न होने के कारण अधिकांश पर्यटक नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी आदि चुने स्थानों पर जाते हैं। अतः दूरस्थ स्थित पर्यटक स्थलों के लिए आवागमन तथा निवास की सुविधाओं पर ध्यान देकर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। पर्यटक सुविधाओं के लिए मध्यम वर्ग के पर्यटकों को भी ध्यान में रखने से पर्यटकों की संख्या को बढाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि स्थानीय व्यक्तियों द्वारा टूरिस्ट गाइड का कार्य किया जाय तो इससे पर्यटन को बढावा मिलने के साथ ही मण्डल में रोजगार के नये अवसर भी बढेगें।

पशुपालन

पशुपालन के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। दुधारू पशुओं का औसत दुग्ध उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, इस क्षेत्र में अधिकांश पशु देशी नस्ल के हैं, इसके अतिरिक्त पर्याप्त चारे के अभाव में अपेक्षित दुग्ध उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है। कतिपय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन होता भी है, वहॉ खोया अथवा मावा बनाकर दुग्ध पदार्थों, मिष्ठानों से अधिक आय अर्जित कर लेते हैं।

पशुधन के विकास के लिए देशी नस्लों से उत्तम जातियॉ प्राप्त करने हेतु उन्नतशील कृत्रिम विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा अधिक से अधिक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे पशुओं की उन्नत किस्म की नस्लों के साथ–साथ जनपद की पशुशक्ति में वृद्धि हो सके तथा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की समस्याओं का भी निदान हो सके। साथ ही ग्रामीण जनता को चारे की उन्नत किस्मों एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। उत्तराखण्ड में वर्ष 2017 में स्थानीय नस्ल की गाय 'बद्री' को NBAGR द्वारा पंजीकृत कर लिया गया है। बद्री गाय के विकास हेतु नरियालगॉव जनपद चम्पावत में संरक्षण व संवर्धन कार्य प्रगति पर है। चयन के माध्यम से उच्च दुग्ध उत्पादक बद्री गायों का फील्ड परफॉमैन्स रिकाडिंग का कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार बद्री गाय के विकास से पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का प्रयास जारी है।

जल विद्युत

विभागीय समस्या – नवीन परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों पर विभिन्न स्तर पर औपचारिकता पूर्ण करने में समस्या आती है। निर्माण प्रारम्भ होने के बाद भी राजनैतिक, स्थानीय कारकों के साथ परस्पर संचार के अभाव के कारण कार्य बाधित होता है। अक्सर अन्य विभागों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। परियोजना निर्माण की अवधि बढ़ने से लागत तो बढ़ती है विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण उत्पादन राजस्व की भी हानि होती है। कार्ययोजना का लाभ जनता को देर से प्राप्त हो पाता है।

विभागीय समस्याओं हेतु सुझाव – प्रगति समीक्षा बैठकों के दौरान बहस किये गये मुद्दों के कार्यवृत्त पर निश्चित समयावधि के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग से कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाना आवश्यक है। कोई नई समस्या आती है तो विभागों को आपस में बैठाकर बैठकों के जरिये समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कार्य सम्पादन करना उचित होगा।

,,